खण्ड-433, अंक-5
गुरूवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1922
(30 मार्च, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नेता विरोधी दल द्वारा पंचायतों का चुनाव टालने सम्बन्धी प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास	1
श्री अवधेश प्रसाद द्वारा विधान भवन की सफाई व्यवस्था ठीक कराये जाने का अनुरोध	1–2
प्रश्नोत्तर	2-88
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	88
प्रदेश में मा० विधायकों एवं सांसदों के साथ लगे गनर/शैडो को देय मंहगाई भत्ता में एकरूपता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
सेवा निवृत्त अमीन तहसील सादाबाद, जिला हाथरस के बकाया देयों का भुगतान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद हेतु अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन के एवज में परिजनों को विश्वविद्यालय की सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	89-90
जनपद संत रविदासनगर भदोही के अन्तर्गत भदोही से दुर्गागंज तक मार्ग को चौड़ा कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
कारगिल युद्ध एवं जम्मू कश्मीर में शहीद हुये प्रदेश के जवानों के परिजनों को घोषित एवं अन्य सुविधायें अविलम्ब दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर में बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
लखनऊ स्थित चिड़ियाघर के कर्मचारियों को जी० पी० एफ० एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	91
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	92
वित्तीय वर्ष 1998-99 में विधायक निधि की अवशेष धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	92–93
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	93–94
श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाये जाने का प्रयास (जारी)...	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311 की सूचना को नियम 51 में परिवर्तित करने की सूचना ...	94–95
संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में पंचायत चुनाव न कराने तथा विधिक प्राविधान न होते हुये भी पंचायतों के स्थान पर प्रबन्ध समिति मनोनीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	95–104
उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 के सम्बन्ध में नियम 311 एवं 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को विशेष उल्लेख के रूप में सुने जाने की अनुमति	104–114
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000	114
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	
श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा सुने जाने का अनुरोध	114–115
जनपद मेरठ महानगर में नगर निगम/जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार गर्ग व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गई ।) ...	115
जनपद मेरठ के गढ़सोनीपत मार्ग की मेरठगढ़ मार्ग पर शाहजहांपुर, किठौरा व नालपुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गर्ग व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गई ।)	115
श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा सुने जाने का अनुरोध	115–116
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	117–122
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित संकल्प पर संशोधन दिये जाने के बारे में सूचना	122
श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाये जाने का प्रयास (जारी)	122–124
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर संकल्प (प्रस्तुत किया गया) ...	124–138
श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा उठाये जाने का प्रयास	138–142
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	142–144
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 ... (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	145–161

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	161–172
जनपद बहराइच को दो हिस्सों में विभाजित किये जाने के कारण अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह व अन्य सदस्यगण द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	173–178
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	178–179
श्री शिव चरन प्रजापति सदस्य विधान सभा को जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा फर्जी, मनगढ़न्त आपराधिक प्रकरण में फंसाये जाने व उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल व अन्य सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्याय मंत्री का बक्तव्य	179–181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मा० सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय राय, श्री	वाराणसी
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री	बलिया
4–अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
5–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
6–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
7–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
8–ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
9–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
10–कमला प्रसाद रावत श्री	बाराबंकी
11–कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर
12–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
13–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
14–काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
15–कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
16–गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
17–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
18–चौधरी नरेन्द्र सिंह	कानपुर देहात
19–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
20–जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
21–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
22–जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
23–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर
24–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
25–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
26–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
27–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री	खीरी
28–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
29–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
30–फागू, श्री	मऊ
31–बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
32–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
33–मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
34–मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
35–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
36–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया" कुंवर	प्रतापगढ़
37–राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
38–राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
39–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
40–राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
41–राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
42–राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
43–राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
44–राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
45–राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
46–लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
47–वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
48–विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
49–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री	गोण्डा
50–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
51–वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
52–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
53–सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
54–सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
55–सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
56–सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
57–सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
58–सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
59–हरिनारायण, श्री	बलिया
60–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
61–हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रिक्त	एटा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नेता विरोधी दल द्वारा पंचायतों का चुनाव टालने सम्बन्धी प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, पंचायती राज व्यवस्था पर, जो हमारी यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके चुनावों को टालने का कुचक्र रच रही है और प्रधान की जगह नौमिनेशन करने का इरादा बना रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना मुझे मिल गई है । नियम 300 तथा 301 के बाद में इस सूचना को विशेष उल्लेख के रूप में ले लूंगा ।

(श्री कौकब हमीद तथा श्री समरपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अवधेश प्रसाद द्वारा विधान भवन की सफाई व्यवस्था ठीक कराये जाने का अनुरोध

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आप भी कल मतदान के लिये गये होंगे । श्रीमन्, यह हमारा गौरव है कि पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश विधान सभा का अपना एक स्थान है और किसी प्रदेश का ऐसा नहीं है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जितनी- गन्दगी यहां पर है, चाहे आप जिस तरफ से निकलिये । आज मैं आ रहा था तो कबूतरों ने इतना गन्दा कर रखा है, इतना गन्दा पहले यह विधान सभा कभी भी नहीं रहा । सम्पूर्णानन्द जी यहां पर रहे, चौधरी चरण सिंह जी यहां पर रहे और आप जैसे विद्वान व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं । आपने 1977 में भी इसे देखा होगा । आप स्वयं देख लें और नेता सदन को बुलवा लें, चारों तरफ गन्दगी है, यही स्थिति विधायक निवासों की है, इसलिये आज आप नियमों का शिथिलीकरण कर 10 मिनट का समय लेकर आप इसे देख लें और 24 घण्टे के अन्दर ऐसा परिवर्तन कर दें, जिससे कि 25 और 40 साल पुरानी जो यह विधान सभा थी, वही गौरव इसे प्राप्त हो जाय क्योंकि विधान सभा को देखने के लिये पूरे हिन्दुस्तान से लोग आते हैं । इसलिये आप इसके गौरव को बढ़ाने का काम करें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात का संज्ञान ले लिया गया है ।

(श्री कौकब हमीद तथा श्री समरपाल सिंह के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री कौकब हमीद जी आपकी सूचना को भी मैं नियम 300 तथा 301 के बाद विशेष उल्लेख के रूप में ले लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी हमने निवेदन किया था और आज भी पुनः निवेदन कर रहे हैं । 23 मार्च, 2000 को .....

श्री अध्यक्ष–

जब श्री कौकब हमीद जी व श्री समरपाल सिंह जी अपनी सूचना पर विशेष उल्लेख के रूप में अपनी बात कहेंगे तो उस सूचना पर आप अपनी बात भी कह दीजियेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पिछड़े वर्गों का आरक्षण जातियों के प्रतिशत के आधार पर दिये जाने की सरकार से मांग

**1. श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण उनकी जातियों के प्रतिशत के अनुरूप दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

लोक सेवाओं और पदों पर अन्य पिछड़े वर्ग को सीधी भर्ती के पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है । इनके अलावा अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण देय है । इस प्रकार कुल 50 प्रतिशत आरक्षण देय है । पिछड़े वर्गों को आरक्षण (विभिन्न पिछड़ी जातियों को सम्मिलित कर) एक मुश्त 27 प्रतिशत दिया गया है । अलग-अलग जातिवार आरक्षण देना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था है, पिछड़ी जातियों के लिए अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि यह तथ्य संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की आबादी 54 परसेन्ट से ज्यादा है और जवाब में यह आया है कि 27 परसेन्ट आरक्षण की व्यवस्था है । हमारी जातियों के आधार पर आरक्षण की मन्शा नहीं थी । हमारी मंशा यह थी कि पिछड़े वर्गों की जो आबादी है उसका जितना प्रतिशत है और वह गरीब 54 प्रतिशत आता है । क्या माननीय मंत्री जी 54 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करेंगे । दूसरा यह है कि संविधान में शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था है । शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जो व्यवस्था पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा भी कोई क्षेत्रवाद के आधार पर आपने आरक्षण दे रखा है । कुल मिलाकर कितनी जातियां हैं जिनको पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई सुविधा के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण अनुमन्य नहीं है । जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग का प्रतिशत 54 प्रतिशत है , अगर जाति के अनुसार आरक्षण में भी देते हैं तो 50 प्रतिशत से अधिक उन्हीं को देना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में यह नियम संगत नहीं है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के हक भी प्रभावित होंगे ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में उत्तर देते हुए कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं है । श्रीमन्, पिछड़ी जातियों की आबादी 54 प्रतिशत है

ऐसी हालत में 54 प्रतिशत नहीं दिया जा सकता है । इसमें पहला प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि क्या हिन्दुस्तान में, हमारे देश में किसी राज्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण है ? दूसरा यह कि पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण अभी तक मिल रहा था उसमें और भी कई जातियां शामिल हो गयी हैं ? हमें प्रसन्नता है कि यदि उसमें और भी जातियां शामिल हो गई हैं । लेकिन श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि न्याय के आधार पर जातियों की संख्या बढ़ाने से जो संख्या बढ़ी है उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की दृष्टि से राज्य सरकार को आरक्षण दिये जाने की छूट है कि जो उस राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको राज्य अधीन सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ सके इसलिये आरक्षण दिया जा सकता है । लेकिन बार-बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है इसको कहा है । इसलिये किसी भी परिस्थिति में यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता है । इसलिये यहां पर भी यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह जानकारी चाही कि क्या भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण है ? दूसरा जो मेरा प्रश्न है वह यह है कि आरक्षण जो 27 प्रतिशत अभी तक मिल रहा है उसमें बहुत सी और जातियां शामिल हो गई हैं । तो यह जो जातियों की संख्या बढ़ी है उसको देखते हुए क्या यह राज्य सरकार आरक्षण बढ़ाने के लिये केन्द्र से संस्तुति करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है अन्य राज्यों की जानकारी के बारे में तो उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां तक सवाल अन्य जातियों के शामिल किये जाने का है तो उसके लिये एक आयोग गठित है उनके पास जिन-जिन जातियों के प्रतिवेदन जाते हैं उसके आधार पर सभी पक्षों को सुनने के बाद वह अपनी संस्तुति सरकार को भेजते हैं ।

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुये)

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मेरा प्रश्न था कि सारे देश में क्या कोई ऐसा राज्य है जहां 50 परसेन्ट से ज्यादा आरक्षण है ? इन्होंने जबाव दिया कि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, श्रीमन्, संविधान में है कि 50 परसेन्ट से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, फिर मेरा प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित क्यों नहीं हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अगर सूचना हो तो दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अन्य राज्यों की सूचना प्राप्त नहीं है, भारत सरकार की स्थिति सामने रख देना चाहता हूं । अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए साढ़े 7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग है। उसने कहा कि इन-इन जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया जाए उसके आधार पर 27 फीसदी आरक्षण किया गया। अब अन्य पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि अन्य जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने का जो इन्होंने काम किया है, 27 फीसदी आरक्षण केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की तरह इन्होंने किया है, तो जो अन्य जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने का काम किया है इसमें क्या पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति से किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के अन्तर्गत आयोग को अधिकार दिये गये कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवर्तन आने पर इस पर विचार करेंगे, जो प्रभावित पक्ष होगा उसमें सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को भेज सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का परामर्श राज्य सरकार समय-समय पर मांगती है और देखती है कि उनको पिछड़ी जातियों में शामिल किया जाए या नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग उचित समझता है या सरकार उचित समझती है तो पिछड़ा वर्ग अनुसूची में शामिल करती है। 50 फीसदी से ऊपर, 27 फीसदी से ऊपर जाने पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हक मरेंगे। इसलिए इसमें और प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

पिछड़ा वर्ग की संस्तुतियों के बगैर किसी अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम किया है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा प्रश्न किया गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया है क्या उसकी संस्तुतियों के बिना भी किन्हीं जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया है, किसी ऐसी जाति को पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया जा रहा है या नहीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सन् 2000 में जाट जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने का निर्णय और आर्थिक रूप से पिछड़े, गरीबी को आधार मानकर पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, हमें संरक्षण है। यह प्रश्न हमारा है और आपने पूछा। पीठ द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर यदि सरकार नहीं देगी तो फिर प्रश्न पूछने का औचित्य क्या है ? आप कार्यवाही दिखवा लें उत्तर नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। मैं फिर प्रश्न उत्तर दोहरा दे रहा हूं। उत्तर आ गया है। प्रश्न जो पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई जातियां हैं जिन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बिना शामिल कर लिया गया है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जाट समुदाय को शामिल किया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, ऐसा उत्तर नहीं आया है । आप दिलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है । लेकिन मैं फिर प्रश्न को दोहरा रहा हूं । माननीय लालजी वर्मा जी ने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार द्वारा ऐसी किसी जाति को बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के पिछड़ा वर्ग की जातियों में शामिल किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 10.7.95 को राज्य सरकार ने जाट जातियों के प्रतिवेदन पर पिछड़ा वर्ग आयोग को उनका प्रतिवेदन भेजा था । उसमें जाट जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सुझाव भेजे थे । 1997 में फिर यह प्रकरण पिछड़ा वर्ग आयोग के पास पहुंचा किन्तु कोई परामर्श नहीं आया । 99 में तत्कालीन उद्यान मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फिर भेजा किन्तु कोई परामर्श नहीं आया । तदुपरान्त विचार करते हुए कि पिछड़ा वर्ग आयोग इस संदर्भ में चुप है, सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जाट जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछ लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय वर्मा जी आप भी बैठ जायें । शाक्य जी आप मूल प्रश्नकर्ता हैं आप चाहें तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं । पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं । शाक्य जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं मैं और किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, यह सरकार पिछड़े वर्ग के प्रति अन्याय कर रही है । उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है । आप इसे चर्चा में स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो लिखकर दें । मैं विचार कर लूंगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने सबसे पहले यह कहा था कि रिजर्वेशन का आधार शैक्षणिक और सामाजिक है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 27 प्रतिशत में क्या क्षेत्रीय आधार पर रिजर्वेशन शामिल किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी शाक्य जी का यह प्रश्न है कि क्या क्षेत्रीय आधार पर कुछ जातियों को आरक्षण सूची में शामिल किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 2 जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वे समर्थ नहीं है । उनको देखते हुए आयोग ने उस समय संस्तुति की थी उनको शामिल किया गया था ।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

यह भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों की घोर विरोधी सरकार है । यहां जो बैठी हुई है भाजपा सरकार, पिछड़ी जाति के विधायक भी उस शोषण में शामिल हैं, ऐसी स्थिति में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

(सरकार विरोधी नारे लगाये जाते रहे ।)

प्रदेश में खेतिहर श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना बनाये जाने की मांग

**2–श्री अम्बरीष कुमार (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में खेतिहर श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है । यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

कृषि विभाग में खेतिहर श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं खड़ा हूं कृपया प्रश्न संख्या–2 ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं आगे बढ़ गया हूं ।

(व्यवधान)

(इसी मध्य श्री रामजग ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कृपया प्रश्न का उत्तर दुबारा आ जाये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में खादों को खरीदने पर विशेष छूट/सब्सिडी प्रदान किये जाने की मांग

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में यूरिया तथा अन्य खादों को किसानों द्वारा खरीदने पर कोई विशेष छूट/सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यूरिया तथा अन्य खादों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है । अतः राज्य सरकार द्वारा इन उर्वरकों पर कोई छूट दिया जाना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, प्रदेश की अर्थ व्यवस्था किसानों पर आधारित है और इस देश की 80 प्रतिशत जनता किसानी खेती पर आधारित है, अगर किसान कमजोर रहेगा, उसकी परचेसिंग कैपसिटी कमजोर रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जायेगी । तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खाद पर सब्सिडी देने या खाद को सस्ते दामों पर किसानों को मुहैया कराने के लिए अपने संसाधनों से कोई व्यवस्था करेंगे ? जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब राज्य सरकार ने अपने स्तर से सब्सिडी देने का काम किया था तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर अपने संसाधनों से कोई व्यय करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है ।

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट-

मान्यवर, आपने इसके लिए "जी नहीं" कहा । इससे पूर्व में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो किसानों को सरकार की ओर से खाद पर, यूरिया पर, डाई पर, जिंक सल्फेट पर छूट दी गयी थी और इनको यह उपयोग से पहले गोदामों पर मुहैया कराई गई थी । मान्यवर, इस समय ब्लैक पर तो खाद आसानी से मिलेगी लेकिन वह भी पता नहीं कि असली है या नहीं तो जिस ढंग से इसको देने का काम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से हो जाता है वही व्यवस्था मौजूदा सरकार खाद मुहैया कराने के लिए करेगी ? इसके अलावा जो खादों में मिलावट हो रही है तो अच्छी खाद किसानों को मिले, छूट पर मिले तो क्या अच्छी खाद नियामक के आधार पर किसानों को उपलब्ध करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उर्वरक प्रचूर मात्रा में किसानों को उपलब्ध है पता नहीं ये ब्लैक में कहां पहुंच गये, पूरे प्रदेश में किसी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है निजी क्षेत्र में भी मिल रही है, सहकारी क्षेत्र में और सरकारी दुकानों पर भी मिल रही है ।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, मैंने पूंछा था कि क्या किसानों को यूरिया पर, डाई पर, जिंक सल्फेट पर छूट दी जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

आपका उत्तर आ गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इन्होंने लिखित रूप से और वैसे भी बताया, मैं जानता हूं और यह सारा प्रदेश जानता है कि यह किसान विरोधी सरकार है लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने निवेदन किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो क्या कोई संसाधन जुटाकर भविष्य में कोई इस तरह की किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्था करेंगे, अगर मौजूदा स्थिति में नहीं हो सकता तो भविष्य में क्या कोई विचार है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक सरकार का उल्लेख आपने किया था कि उस समय खाद पर अनुदान मिला, सब्सिडी मिली तो 20 वर्षों का रिकार्ड मैंने देखा । प्रदेश सरकार की ओर से उर्वरक पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी गयी । केन्द्र सरकार सब्सिडी देती है और उसके बाद ही भारी घाटा लेकर किसानों की सहायता के लिए खाद उपलब्ध कराती है ।

प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाने की जानकारी

*2–श्री श्रीराम पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नई पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन कराने में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतों का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत 5 वर्ष के पश्चात् कार्यकाल बढ़ाया जाना संभव नहीं है परन्तु यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य न हो तो वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा छः माह से अनधिक अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकता है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है तो यह प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त करने का प्रारूप इस सरकार का क्या होगा और दूसरा, यह प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त करने में क्या सरकार की मंशा अधिकारी कर्मचारियों की प्रशासनिक समिति बनाकर नियुक्त करना है या भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक लोगों को भी सरकार प्रशासनिक समितियों में शामिल करके प्रशासक बनाने जा रही है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है । हमने केवल यह सुनिश्चित किया है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी चुनाव कराने की विधिवत समय सुनिश्चित कर लिया गया है । उस समय मे हमारी सरकार ने विकेन्द्रीकरण किया पंचायती राज को । उसमें हर एक गांव में 6 समितियां निर्धारित हैं । उस समिति में एक प्रशासनिक समिति रहती है जिसमें सब वर्गों का प्रतिनिधित्व है उसमें एक पिछड़ा वर्ग, एक अनुसूचित जाति, एक महिला और 3 सामान्य सदस्य और स्वयं उसके अध्यक्ष प्रधान है और वह प्रशासनिक समिति गांव में रहती है । शासन ने निर्णय लिया है कि उसको प्रशासनिक समिति में कनवर्ट कर देंगे । उस समिति की अध्यक्षता करने वाले का नाम प्रधान या सभापति आदि पर विचार किया जा सकता है । ये शंकाग्रस्त होकर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है ।

डा० अशोक वाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहता हूं । पिछले एक वर्ष में पंचायत विभाग में निरन्तर नये परिवर्तित आदेश निर्गत किये गये, बहुत

सारे विभागों को हस्तान्तरित किया गया, फिर कहा गया कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, यथास्थिति बनाई जा रही है, इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक पंचायतों का कार्य पंगु बना रहा और वित्तीय अधिकार भी समाप्त रहे, इन सब कारणों से पूरे एक वर्ष तक विकास कार्य बाधित रहे, उस पर माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला । मैं अद्यावधिक स्थिति जानना चाहता हूं, पंचायतों के जिम्मे कौन से विभाग रहेंगे, क्योंकि बहुत से विभाग दिये गये और बाद में वापस ले लिये गये, इससे भ्रम की स्थिति बनी रही है, आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है । कौन-कौन से विभाग पंचायतों को दिये गये हैं और शासन ने इस संबंध में क्या शासनादेश निर्गत किया है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जो नामित करने की बात कह रहे हैं तो क्या संविधान में पंचायतों के पदों पर कहीं पर कोई नामिनेशन की व्यवस्था की गई है, क्या सरकार संविधानेत्तर इस तरह का कोई आदेश करने जा रही है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कठिनाई व्यक्त की है, कुछ स्तर पर विकास कार्यों में प्रारम्भिक कठिनाइयां आई, लेकिन इनटोटेलिटी में विकास कार्य बाधित नहीं हुये हैं । माननीय सदन जानता है अप्रैल, 99 में नई व्यवस्था लागू हुई, टोटल रेवल्यूशन किया गया, विकेन्द्रीकरण करके । पहले तय हुआ कि ग्राम प्रधान द्वारा नामित दो संयुक्त खाते रहेंगे, बाद में इसे चेंज किया गया और तय हुआ कि ग्राम प्रधान और बहुउद्देशीय कर्मी के संयुक्त खाते से चलाया जायेगा । इसके बाद प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ, समिति सिस्टम शुरू हुआ । प्रशिक्षण चल ही रहा था कि लोकसभा के चुनाव आ गये और माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश से हमें प्रशिक्षण रोकना पड़ा, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और कहा इसमें सरकार का कुछ और उद्देश्य है, इन सब कारणों से थोड़ी बाधा रही, लेकिन उसके बाद द्रुत गति से विकास कार्य पूर्ण कराये गये हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है । दूसरा माननीय सदस्य ने जो नामित करने के बारे में जानना चाहा है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । हम संविधान की मंशा के अनुरूप ही चलेंगे । हम चाहते हैं चक्रानुक्रम चले, प्रशिक्षण व्यवस्था हो और चूंकि संविधान की मंशा का पालन नहीं हो पा रहा था, इसी नाते प्रदेश में, लोकहित में यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । चुनाव टालने का कोई प्रश्न नहीं है, हमने तो विज्ञापनों के जरिये पूरे प्रदेश में दे दिया है कि यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और हम अक्टूबर में चुनाव कराने जा रहे हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या संविधान में नामिनेशन की कोई व्यवस्था है ? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो विधान सभा में पारित हुआ था, क्या उसमें ऐसी कोई व्यवस्था है ? क्या संविधान की मंशा के विपरीत, पंचायत राज अधिनियम के निर्णयों के विपरीत सरकार ऐसा करने जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

डा० बाजपेयी जी का प्रश्न यह है कि क्या सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे अलग हटकर कोई प्रशासनिक समिति जैसे मनोनयन करने का कोई विचार कर रही है, कोई कार्यवाही कर रही है, यदि कर रही है, तो उसका स्वरूप क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, हमने पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन किया है । संविधान में यह व्यवस्था तो है कि 5 वर्ष के अन्दर चुनाव होने चाहिए लेकिन यदि किसी राज्य में कोई अपरिहार्य परिस्थिति हो जाये, मसलन कोई विपदा आ जाये, कोई अपरिहार्य कठिनाई आ जाये, तो संविधान ने यहां पर मौन रखा है और कोई

व्यवस्था नहीं दी है । इसलिये संविधान की मंशा के अनुरूप संविधान का सम्मान करते हुए यह वैकल्पिक व्यवस्था की है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, हम आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी से पूछना चाहते हैं । मान्यवर, आपका संविधान समय बढ़ाने पर चुप है, समितियों को नामित करने पर चुप्पी साधे है । क्या उत्तर प्रदेश के पंचायती राज को सही ढ़ग से लागू करने के लिए पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं, क्या आप इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आप सब अवगत हैं, इसमें सबसे बड़ा संकट हमारे राज्य में खड़ा है, उससे आप भी सहमत होंगे, यह देश के किसी राज्य में नहीं है और यह हमारे दोष के चलते नहीं हुआ है । हम आलोचना के भाव से नहीं कह रहे हैं । आपकी को ही सरकार में ब्लाक प्रमुखों के चुनाव 10 महीने तक टाले जाने के कारण ऐसी स्थिति आयी । यदि हमारी सरकार इसका सुधार नहीं करेगी तो हर सरकार के सामने यह कठिनाई रहेगी । यदि हम आज चुनाव करा दें तो उस स्थिति में क्या होगा, पुरानी समिति कार्य करेगी, नये भी ब्लाक पर जाकर बैठेंगे, पुराने भी बैठेंगे । इस प्रकार एक अराजकता की स्थिति खड़ी हो जायेगी । हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारी मंशा तो इसमें सुधार करने की है, एक स्तर पर लाने की है, इसका तो स्वागत होना चाहिए ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके आध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अभी संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि कोई ऐसी विपत्ति की स्थिति पैदा हो जाए, प्राकृतिक बाढ़ आ जाये, प्रदेश के टुकड़े हो जायें तो ऐसी स्थिति में इसके टाले जाने की व्यवस्था है । पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के भीतर व्याप्त आन्तरिक संगठन में जो विघटन है और इस प्रदेश को दीवालिया स्तर तक पहुंचा देने की आपदा के अलावा और कौन सी आपदा इस सरकार के सामने आ गई जिसके कारण इस चुनाव को 6 महीने टालना पड़ा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका चौधरी जी का प्रश्न इतना है कि कौन से असाधारण कारण हैं, जिनके कारण प्रदेश में वर्तमान में चुनाव कराया जाना सम्भव नहीं है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने अपने उत्तर में बताया कि ऐसी कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ जाय, उदाहरण के लिये मैंने दैवी आपदा की बात कही, तो ऐसी परिस्थितियों में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? त्रिस्तरीय पंचायतों की जो हमारे संविधान की मंशा है वह हम पूरी कर नहीं पा रहे थे इसलिये हमने चुनाव के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपने एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में पीठ की बाध्यता है, तारांकित प्रश्नों में 3 अनुपूरक प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में 5 अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत है। इस प्रश्न पर 4 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर मैं और प्रश्नों की इजाजत दूंगा तो यह क्रम जारी रहेगा। अनलिमिटेड नम्बर क्वेश्चन्स पूछे नहीं जा सकते। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सहयोग करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो सवाल महत्वपूर्ण होते हैं उनमें माननीय सदस्यों की जिज्ञासा होती है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय यादव जी को और माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, पंचायत राज अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं है कि चुनाव बढ़ाये जायं। संविधान की मंशा भी नहीं है कि पंचायतों के चुनाव टाले जायं लेकिन सरकार की मंशा है कि चुनाव टाले जायं। मैं जानना चाहता हूं कि किस कानून के तहत पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं ?

डा० महेन्द्रनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि संविधान की जो मंशा है और 73वां संविधान संशोधन जो किया गया है उसमें मूल स्वर यह भी छिपा है कि उसका शतप्रतिशत अनुपालन हो। आपकी सरकार ने इतनी अनियमिततायें बरतीं कि उनको सुधारना आवश्यक है। संविधान जहां पर मौन है वहां विधिक परामर्श लेकर जो राज्य विधान मंडल में अधिकार निहित है उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता–जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता–

आपको अपवाद स्वरूप प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी गयी। माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। अब इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उत्तर आपकी मंशा के अनुरूप आये।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जब मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया तो फिर प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या रहा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, इसी प्रश्न को अधिकांश सदस्यों ने घुमा-फिरा करके पूछा, उसका आपने उत्तर दिया। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यदि इतना सा जवाब दे दें कि संविधान में 5 वर्ष की समाप्ति पर

क्या चुनाव कराने का प्राविधान है ? क्या उसके अन्दर यह बाध्यता है कि तुरन्त 5 वर्ष के बाद चुनाव करायेंगे या उसके अन्दर प्रदेश शासन को इस बात की स्वतंत्रता है कि 6 माह या 3 माह की अवधि ले करके प्रशासनिक सुविधानुसार या ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार एक सुविधाजनक समयावधि चुनाव कराने के लिए ले सकती है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

संविधान में यह प्राविधान है कि 5 वर्ष के अन्दर इन पंचायतों को पुनः गठित होना आवश्यक है । 5 वर्ष के अन्दर यदि यह नहीं हुआ तो उसके बाद वैकल्पिक स्थिति क्या हो, यहां संविधान पूरी तरह से मौन है । इस परिस्थिति में हमारे राज्य में जो कठिनाई खड़ी हुई है । राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल के संचालन का जो विधिक प्राविधान है उसके विचार-विमर्श के उपरांत इस कठिनाई को हल करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए एक बात कह दूं । संविधान में यह है कि प्रत्येक पंचायत को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का अवसर दिया जायेगा और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी पंचायत संस्था को आप, जिस तरीके से प्रदेश की विधान सभा को 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति शासन में नहीं रख सकते बिना संविधान संशोधन के । उसी तरीके से पंचायती संस्था को 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बिना चुनाव के नहीं रख सकते । यह व्यवस्था संविधान के अन्दर है । यदि 6 महीने के अन्दर चुनाव करा देते हैं तो कहीं से भी संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन यदि आप उसके बाद कराते हैं तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी ?

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह तो आपने जवाब दिया । मैं माननीय मंत्री जी के मुख से सुनना चाहता हूं ।

मिनी डिस्टिलिरियों को लाइसेन्स निर्गत कराने की सरकारी नीति

*3–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिनी डिस्टिलिरियों को लगाये जाने के लिये लाइसेन्स निर्गत किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद सन्त रविदासनगर के ज्ञानपुर तथा दीघ विकास खण्डों में सड़कों/खड़ंजों के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जांच

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर तथा दीघ विकास खण्डों में 1998-99 में सड़कों की मिट्टी एवं खड़ंजों के कार्य में लाखों रु० की हेरा-फेरी की गई है ? क्या सरकार वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 (अधवधिक स्थिति के अनुसार) के कार्यों की प्रगति विवरण तथा सड़क का मिट्टी कार्य एवं खड़ंजों के निर्माण कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

पूर्व में इस प्रकार की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आयी ।

मा० विधायक से शिकायतों सम्बन्धी औपचारिक पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर जांच कराने संबंधी निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, शासन की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने दूसरे खण्ड के उत्तर में कहा है कि माननीय विधायक की शिकायतें संबंधी औपचारिक पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर जांच कराने संबंधी निर्णय ले लिया जायेगा । मान्यवर, जांच तो सालों-साल होती रहती है और उत्तर आ नहीं पाते हैं और हम लोग वही प्रश्न बार-बार उठाते रहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक महीने के अन्दर जांच संबंधी निर्णय ले लिया जायेगा तो तत्काल आप जांच करा करके एक माह के अन्दर उत्तर मिल जाये यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

इसमें स्पेसिफिक शिकायत गत दिनों जब माननीय सदस्य ने सदन में प्रश्न उपस्थित किया तो उसकी नोटिस लेकर कुछ जांच कराई गई थी, उस जांच में स्पेसिफिक शिकायत नहीं थी फिर भी उसका संज्ञान लिया गया मैं पुनः माननीय सदस्य से अनुरोध कर रहा हूं कि वह एक हफ्ते में शिकायत लिखकर दे दें मैं उसकी एक महीने में जांच कराकर उसके परिणाम से उनको अवगत करा दूंगा और जो दोषी पाए जायेंगे उनको दंडित करने की कार्यवाही करूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा० मंत्री जी ने प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में कहा है कि पूर्व में इस प्रकार की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई और अभी पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया था उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्यवाही की गई तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस लिखित उत्तर और मौखिक उत्तर में विसंगति क्यों है ?

दूसरे भाग में उत्तर में कहा कि मा० विधायक से शिकायतों सम्बन्धी औपचारिक पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर जांच कराने सम्बन्धी निर्णय ले लिया जाएगा और इस पर मौखिक उत्तर में कहा कि जांच के निष्कर्ष से मा० सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा इसमें भी विसंगति है इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो लिखित उत्तर और पूरक प्रश्न का मौखिक उत्तर है उसमें गैप है इसके बारे में कुछ कहना है।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मैं बाजपेयी जी की बात को बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं इसी नाते मैंने कहा कि एक महीने में जांच कराकर उसके परिणाम से उनको अवगत करा दूंगा।

*3–श्री भारत सिंह रावत–

(1ले शुक्रवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*4–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(3रे बुधवार में ता०प्र०सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर "सपोर्ट प्रोजेक्ट" को लागू करने की नीति जानकारी

*5–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर "सपोर्ट प्रोजेक्ट" परियोजना के लागू करने की नीति क्या है और उसको चलाने के लिये कहां से धन उपलब्ध हो रहा है ? क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों का भी निर्माण करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

उ० प्र० कृषि विविधीकरण परियोजना को प्रदेश में क्रियान्वित करने की नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(1) कृषि व कृषि सहभागी क्षेत्रों में विकास की अधिकतम संभावनाओं का विकास।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों (चयनित जनपदों व विकास खण्डों) में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।

(3) जनसहभागिता के आधार पर मांग आधारित विकास।

(4) रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन व कृषकों की आय में वृद्धि करना।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा सम्पूर्ण परियोजना लागत (रु० 699.50 करोड़) का लगभग 80% अंश दीर्घकालिक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष लगभग 20% अंश प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

हां। परियोजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों के चयनित विकास खण्डों में हाट-पैठों तक कृषकों के उत्पादों को सुगमता से पहुंचाने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि, जो डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना है वह विश्व बैंक द्वारा चालित है और उत्तर में बताया गया है कि सम्पूर्ण परियोजना की लागत 699.50 करोड़ रुपये का लगभग 80 प्रतिशत अंश दीर्घ-कालिक ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष लगभग 20 प्रतिशत अंश

प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जा रहा है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में क्या राज्य सरकार ने अपना अंश, 20 प्रतिशत, की पूरी व्यवस्था कर दिया है अथवा नहीं ?

मान्यवर, प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में बताया है कि चयनित विकास खण्डों में हाट-पैठों तक कृषकों के उत्पादों को सुगमता से पहुंचाने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है । क्या विश्व बैंक की परियोजना में केवल सड़कों का निर्माण ही सम्मिलित है अथवा इसके अलावा और कोई कार्यों में विश्व बैंक परियोजना का धन प्रयोग किया जाना है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है उसका उत्तर है–"जी हां" ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केवल सड़कों के निर्माण की बात नहीं है बल्कि वह एक हिस्सा मात्र है । सारी परियोजना का अर्थ है किसानों को कृषि के अलावा और ऐसे अवसर मिले जिससे उनकी आय बढ़ सके । मान्यवर, 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो लघु, सीमान्त कृषक हैं और उनकी कृषि के ऊपर जीविका निर्भर करती है । इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं कि उन लघु किसानों की आय बढ़ सके और इसके लिए डेरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन के माध्यम से उनकी आय को हम बढ़ा सकें । गांवों में जो हाट-पैठ लगते हैं वहां तक किसान अपना उत्पाद ले जा सके इसके लिए सम्पर्क मार्ग बन सकें इसके लिए हम प्रयास इस परियोजना के माध्यम से करा रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कितने जिलों में यह योजना लागू है और इनके अलावा क्या अन्य जिलों को भी इस योजना में लेने का विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तक विभिन्न प्रोजेक्ट थे, केवल यही नहीं, सारे प्रोजेक्ट सारे जनपदों में हैं और आम तौर पर 70 प्रतिशत जिले इससे कवर्ड हैं । केवल 22 जिले ऐसे हैं जहां सड़कों के निर्माण की योजना ली गयी है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार विचार किया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं क्या राज्य सरकार ने अपने अंश की पूरी व्यवस्था कर दिया है ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन ब्लाक आते हैं और उनके बेवर ब्लाक को ले लिया गया है, क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सुल्तानगंज ब्लाक को भी इस परियोजना में ले लिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

एक ब्लाक का सवाल है जिसमें प्रश्नकर्ता व्याकुल हैं, इसलिए इनकी भावना का आदर किया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा सभी माननीय सदस्य और सदन भिज्ञ है कि यह उत्तर प्रदेश कृषि प्रदेश है और यहां मुख्य आय का स्रोत कृषि है । इसलिए कृषि के संवर्द्धन के लिए जो स्कीम लागू है और अन्य प्रोजेक्ट हैं उनके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि एक-दो ब्लाक का सवाल नहीं है बल्कि इससे कृषि उपज के

संवर्धन हेतु जो प्रोजेक्ट बनाये गये हैं उनसे सारे प्रदेश को आच्छादित करने के लिए क्या मंत्री जी विचार करेंगे और विचारोपरान्त पूरे प्रदेश में इस योजना के सभी प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के सभी जिलों में क्या लागू करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रत्येक जनपद और विकास खण्ड की अलग-अलग स्थिति है । सारी बातों पर विचार करके ही जनपदों और विकास खण्डों का चयन किया जाता है । यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही संचालित नहीं है बल्कि इसमें विश्व बैंक भी शामिल है । 80 प्रतिशत अंश तो उनका ही है । उन्होंने कुछ मानक दिये हैं । मानकों के आधार पर सतत् विचार चलता रहता है और जो मानकों में आता जायेगा, उसको लिया जाता रहेगा ।

अग्नि काण्ड में नष्ट फसलों की क्षतिपूर्ति की मांग

*6–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार अग्नि काण्ड में खलिहानों में फसल के नष्ट होने पर तथा गन्ने के खेत में गन्ने की फसल के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

दैवी आपदा राहत निधि से विभिन्न मदों में राहत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के मद एवं मानक निर्धारित है । निर्धारित मानकों के अनुसार अग्निकाण्ड से खलिहानों में फसल एवं गन्ने की फसल नष्ट होने पर राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार को पूरी जानकारी है कि खलिहान और गन्ना के फसल के नष्ट होने पर कोई सहायता नहीं मिलती है । इस जानकारी के होते हुए भी क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को देखते हुए केन्द्र सरकार से इस प्रकार की सहायता के लिये कोई सिफारिश की है, यदि नहीं तो क्यों ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खलिहान, कृषि उत्पाद एवं गन्ना फसल के नष्ट होने पर राहत सहायता के लिये समयबद्ध तरीके से केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, खलिहान और फसल के लिये मण्डी परिषद् के माध्यम से सहायता दी जाती है । तीन श्रेणियां इसमें रखी गई है । जिसके पास 2.5 एकड़ तक जमीन है, उन्हें 3 हजार रुपये दिया जाता है । जहां तक दैवी आपदा के सम्बन्ध में राहत हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने वाली बात है, अनुरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है । वैसे उनके गाइड लाइन्स तो हैं ही ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को इस बात की जानकारी है कि खेत-खलिहान के जलने तथा गन्ना के फसल के जलने पर कोई सहायता नहीं मिलती है । मेरा प्रश्न यह है कि इस संबंध में अब तक प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई सिफारिश की है कि सहायता दी जाय और आगे क्या समयबद्ध तरीके से केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे तो दिया है कि सिफारिश करने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि फसल और खलिहान के जलने पर मण्डी परिषद् से सहायता दी जाती है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मण्डी परिषद् द्वारा किसानों से जो शुल्क लिया जाता है, उसका कितना अंश दैवी आपदा राहत पर मण्डी परिषद् खर्च करती है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, तीन श्रेणियों में बांटा गया है । जो 2.5 एकड़ तक जमीन रखते हैं उन्हें मण्डी परिषद् 3 हजार रुपए तक सहायता देती है, जिनके पास 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें 4 हजार रुपए दिये जाते हैं और जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है उन्हें 6 हजार रुपए दिये जाते हैं और यह सहायता मण्डी परिषद् द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती है ।

श्री बाबू राम यादव–

मैंने यह पूछा था कि मण्डी परिषद् द्वारा किसानों से कितना शुल्क वसूला जाता है और उनके द्वारा फसल नष्ट होने पर कितना प्रतिशत उसका दिया जाता है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह मण्डी शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । इसे आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बीमा योजना लागू है वह खेत में खड़ी हुई फसल के दैवी आपदा से, जल जाने से नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में है । क्या सरकार खेत से फसल कटकर जो खलिहान में पहुंच जाती है वह दैवी आपदा या जल जाने से नष्ट हो जाती है उसको भी बीमा योजना में शामिल करने पर विचार करेगी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इसमें कई बातें आती हैं बीमा योजना में । अगर फसल ओले से मर जाती है तो उसको दैवी आपदा के अन्तर्गत पैसा दे दिया जाता है ।

(दो तीन सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

काफी प्रश्न हो गये हैं । अब अन्तिम प्रश्न कौकब साहब कर सकते हैं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि केन्द्र सरकार से, यदि फसल जल जाती है, सहायता मांगने की सिफारिश की जा सकती है । मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि सरकार भारत सरकार से यह सिफारिश कब करने जा रही है । हमको तिथि बता दें कि यह सिफारिश कब तक करेंगे ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

अतिशीघ्र कर दी जायेगी ।

प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में आलू भण्डारण के लिए किराये का निर्धारण

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

*7–क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज में आलू भण्डारण का किराया निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों के शोषण को देखते हुये भण्डारण किराया निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 मे वर्ष 1997 में संशोधन हो जाने के उपरान्त कोल्ड स्टोरेज का भण्डारण प्रभार निर्धारण अब शासन के बजाय स्वयं लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

कथित शोषण के विषय में लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार अधिनियम की धारा 29(3) के अन्तर्गत विचार कर भण्डारण प्रभार निश्चित कर सकती है ।

प्रत्यावेदन प्राप्त होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1996-97 में भण्डारण में जो आलू रखा जाता था उसका रेट 40-50 के बीच में था । इस अधिनियम के कारण से भण्डारण के मामलों मे मालिकों को खुली छूट मिल गई वह उसका रेट कितना भी बढ़ा दें । आज किसानों को खुले आम लूटा जा रहा है । आप कह रहे हैं कि प्रत्यावेदन करें । प्रत्यावेदन करने से पहले सरकार का दायित्व है कि इस तरह की लूट को रोके !

श्री धनराज यादव–

1997 में जो संशोधन हो गया उसके अन्तर्गत सरकार कोई अधिभार निर्धारित नहीं कर सकती है । इससे किसानों का फायदा भी हुआ है, क्योंकि उसके बाद शीतगृहों की संख्या बढ़ी है और आज ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे किसानों का आलू भण्डारण न हो रहा हो । उस नियम के अन्तर्गत सरकार कोई भार निर्धारण नहीं कर सकती है । हमारे विभाग ने दो महीने तक इस पर उद्यान विभाग ने काम किया है ।

उसका फायदा भी किसानों को हुआ है। आलू पहले दिसम्बर में खोद रहे थे भाव उस समय सस्ता था।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी उत्तर आ गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आलू भण्डारण के रेट 1996-97 से पहले सरकार तय करती थी ताकि किसानों को भण्डार गृह स्वामी लूट न लें इसलिए किसानों से वार्ता कर मिनिमम रेट तय किया जाता था। इस सिद्धान्त को खत्म करके किसानों को भण्डारगृह स्वामी के हाथ में सौंप दिया गया। अब आलू के मिनिमम रेट तय करने में सरकार का कोई दखल नहीं है। भण्डारण का रेट इतना है कि किसान परेशान हो रहा है ?

श्री धनराज यादव–

1997 में जब संशोधित अधिनियम हो गया वह भी इसलिए किया गया क्योंकि शीतगृह की संख्या कम हो रही है और भण्डारण की समस्या बहुत बढ़ गई, बहुत सा आलू सड़कों पर पड़ा रहा फिर भी हमारी सरकार ने 72 रुपये का रेट का सुझाव दिया और अधिकारियों जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि किसानों और शीतगृह मालिकों के बीच बातचीत कराकर कम से कम रेट रखने चाहिए यह समझाएं। उसका फायदा भी हुआ है। आलू शीतगृहों में रखा जा रहा है कोई समस्या नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय किसानों के आलू की फसल तैयार हो गई और समूचे उत्तर प्रदेश में भण्डारण की स्थिति बहुत गंभीर है। माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में बताया कि हमारे शीतगृहों की कमी नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे सहकारी शीतगृह बन्द पड़े हैं। मान्यवर, बन्दी का परिणाम यह है कि सम्पूर्ण किसानों का शोषण हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कितने शीतगृह बन्द हैं और उनको चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, शीतगृह 1996 में 737 थे इस समय 1000 हैं भण्डारण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे शीतगृह हैं जो बन्द हैं। सहकारी क्षेत्र के कितने शीतगृह बन्द हैं ?

श्री धनराज यादव–

मेरी जानकारी में 1000 शीतगृह हैं यह भण्डारण का कार्य तेजी से कर रहे हैं। बन्द नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कोई बन्द नहीं है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

इनका जवाब सत्यता से कोसों दूर हैं। माननीय मंत्री जी सत्यता से परे बोल रहे हैं। आदरणीय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने सहकारी शीतगृह बन्द हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दीजियेगा। उसका परीक्षण करा लिया जाएगा। आवश्यकता होगी तो चर्चा कराई जायेगी।

श्री धनराज यादव–

80 शीतगृह बन्द हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप बैठें। माननीय मंत्री जी मैंने दोहरा करके आपसे प्रश्न पूछा था कि कितने सहकारी क्षेत्र के शीतगृह बन्द हैं। आपने कहा कि सभी शीतगृह काम कर रहे हैं। फिर दोबारा कह रहे हैं कि 80 बन्द हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप जब भी उत्तर दें तो कृपया जो सामग्री आपको उपलब्ध है उसका अवलोकन करने के बाद ही दें ताकि आप सही रूप से सारे तथ्यों को सामने रख सकें।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, यह जो अधिनियम है इसको बदल करके क्या माननीय मंत्री जी दोबारा शीतगृह मालिकों को आदेश जारी करेंगे कि भण्डारण का मूल्य निर्धारित किया जायेगा या नहीं ?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

*8–डा० सरजीत सिंह डंग–

[5व शुक्रवार में ता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में न्याय पंचायतों के गठन की जानकारी

*9–श्री लाखीराम जोशी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में न्याय पंचायतों का गठन किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो न्याय पंचायतों का गठन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सन् 2000 के उपरान्त विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज की दिशा में काफी सराहनीय कदम उठाये हैं और इस दिशा में पंचायतों का मुख्य आधार है न्याय पंचायत और उनका पुनर्गठन होने की आवश्यकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन पंचायतों के लिए जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है क्या उसी प्रकार से न्याय पंचायतों के चुनाव के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, न्याय पंचायतों की दृष्टि से, 72 में इसका चुनाव हुआ था । इसके बाद 82 तक विभिन्न चरणों में इसका कार्यकाल बढ़ाया गया । 82 के बाद से स्थिति बाधित है । वर्तमान में हमने यह विचार किया है और पूरी एक्सरसाइज इसमें हो चुकी है । अक्टूबर में सामान्य निर्वाचन त्रिस्तरीय पर होंगे । उसके बाद विचार कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से प्रभावित फसलों के निदान के विषय में जानकारी

*10–कुं रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कीटनाशक दवाईयों के अत्यधिक प्रयोग से फसलें प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या से निपटने हेतु क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव

*11–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का कार्य क्षेत्र क्या प्रदेश के कुछ मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि व उद्यान योग्य बनाये जाने हेतु निगम का कार्यक्षेत्र पर्वतीय जनपदों तक बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्र में ऊसर भूमि नहीं है । वहां पर कहीं-कहीं ही क्षारीय एवं अम्लीय भूमि है ।

मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी

*12 प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

टिप्पणी :–तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नवीन मण्डी स्थलों के परिसर में आन्तरिक सड़कें एवं मण्डी समिति की आवश्यकतानुसार मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाता है, जिनमें मिट्टी स्तर तक का कार्य किसी अन्य विभाग द्वारा अथवा किसी अन्य स्रोत से किया गया हो।

आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने की जानकारी

*13--श्री शिव सिंह चक–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि की अन्य फसलों की भांति आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में बन्द तथा बीमार औद्योगिक इकाइयों को चालू कराने की योजना

*14–श्री रामजग–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द एवं बीमार औद्योगिक इकाइयों को चालू कराने के संबंध में सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी हां।

नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बन्द एवं बीमार औद्योगिक इकाईयों हेतु रुग्ण इकाईयों की चिन्हांकन योजना तथा चिन्हांकित औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु "लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना" लागू की गई है। योजनाओं के तहत बन्द एवं बीमार चिन्हांकित लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन पैकेज तैयार कर उसके अनुमोदन के बाद पुनर्वासन की कार्यवाही की जाती है।

चकबन्दीकर्ता तथा सुपरवाइजर कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के पद/कार्य की भिन्नता की जानकारी

*15–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चकबन्दीकर्ता एवं सुपरवाइजर कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) का पद एवं उसके कार्य एक समान हैं ? यदि हां, तो उनके वेतन में असमानता होने के कारण क्या है ? क्या इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 18580/1993 प्रादेशिक चकबन्दीकर्ता संघ उत्तर प्रदेश बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी, 1995 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दोनों पद अलग-अलग हैं तथा उनके कार्य एवं दायित्व भी भिन्न-भिन्न हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं०–18580/1993 प्रादेशिक चकबन्दीकर्ता संघ, उत्तर प्रदेश बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 9-1-95 में याचीगण का प्रत्यावेदन दिनांक 8-1-93 शासन द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 5-10-95 को अस्वीकृत कर दिया गया है !

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया विकास खण्ड खड्डा, ग्राम अहिरौली में रामधनी पुत्र श्री खदेरू द्वारा चुनाव खर्च विवरण प्रस्तुत न करने के पश्चात् भी पुनः प्रधान का चुनाव लड़ने का औचित्य

1–श्री बेचन राम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत गाम अहिरौली निवासी श्री रामधनी पुत्र श्री खदेरू, अ०जा० द्वारा निर्वाचन क्षेत्र संख्या–194 (नारंगियां) सुरक्षित क्षेत्र से बारहवीं विधान सभा का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था ? क्या खर्चों का विवरण जमा न करने के आरोप में वे तीन वर्ष तक कोई चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हुए थे ? यदि हां, तो क्या वे वर्ष 1995 के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या यह अवैधानिक है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) (पांच) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी विभाग में वर्ष 1990 से 1998 के मध्य मृतक आश्रितों के रूप में की गई नियुक्ति/रिक्त पदों पर समूह 'ग' 'घ' के अन्तर्गत नियुक्ति न करने का कारण

2–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 से 1998 के मध्य कितने व्यक्तियों को मृतक आश्रितों के रूप में आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है और उस समयान्तराल में विभाग के अन्तर्गत तत्समय कितने-कितने पद समूह "घ" एवं समूह "ग" के अन्तर्गत लिपिक वर्ग के रिक्त चल रहे थे? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि मृतक आश्रितों को किन कारणों से लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं प्रदान की गई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रश्नगत अवधि में कुल 23 व्यक्तियों को उप आबकारी निरीक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है । समूह 'घ' के अन्तर्गत वर्ष 1990 में 261, 1991 में 84,

1992 में 79, 1993 में 158, 1994 में 167, 1995 में 173, 1996 में, 189, 1997 में 230 एवं 1998 में 161 पद रिक्त थे। उक्त अवधि में समूह "ग" के अन्तर्गत लिपिक वर्ग के सीधी भर्ती हेतु कुल 89 पद रिक्त हुए थे।

लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार निर्धारित अर्हता न रखने वाले आवेदनकर्ता आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं प्रदान की गई।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1989-90 में उप आबकारी निरीक्षक के समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति न करने की जानकारी

3–श्री रंग बहादुर पटेल–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग में वर्ष 1989-90 में उप-आबकारी निरीक्षक सेवा संवर्ग में दो मृतक आश्रितों को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अनुसार नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और किस मृतक कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की गयी ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्ष 1990 में श्री यशवंत उपाध्याय बनाम आबकारी आयुक्त, रिट सं०–337, 28/90 के जवाबी हलफनामे में चार मृतक आश्रितों को पदभार ग्रहण कराना स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी उन अभ्यर्थियों के नाम व पता बतायेंगे एवं किन मृतक कर्मचारियों के विरुद्ध नियुक्ति की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त गलत बयानी के लिये जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 1989-90 में कुल चार अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई जिनका विवरण निम्नवत् है :–

मृतक आश्रितों के नाम	मृतक कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध नियुक्ति की गई
(1) श्री जय कमल कुलश्रेष्ठ।	स्व० जयन्ती प्रसाद।
(2) श्री प्रवीर चन्द्र दीक्षित।	स्व० के० सी० दीक्षित।
(3) श्री राज किशोर सिंह।	स्व० कपिल देव सिंह।
(4) श्री राणा प्रताप सिंह।	स्व० समर बहादुर सिंह।

जी हां।

मृतक आश्रितों के नाम व पता	मृतक कर्मचारियों के नाम व पता
1–जय कमल कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व० जयन्ती प्रसाद, 42/2 पुरानी मोहनपुरी, जिला–मेरठ।	जयन्ती प्रसाद, आबकारी सिपाही।

2–प्रवीर चन्द्र दीक्षित, पुत्र स्व० के०सी० दीक्षित 1/29 दुर्गा कालोनी, नगलादीना, फर्रुखाबाद ।	के० सी० दीक्षित आबकारी सिपाही ।
3–राज किशोर सिंह, पुत्र स्व० कपिल देव सिंह, ग्राम/पो०–तकिया, जनपद–देवरिया ।	कपिल देव सिंह, आबकारी सिपाही ।
4–राणा प्रताप सिंह, पुत्र स्व० समर बहादुर सिंह, ग्राम–रघुनाथपुर, पोस्ट–खनवर, जिला–बलिया ।	समर बहादुर सिंह, आबकारी सिपाही ।

जनपद मथुरा, तहसील सदर में स्थित जमुनापार पैठ की भूमि संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी/गड़बड़ी की जांच

4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद की सदर तहसील के अन्तर्गत स्थित जमुनापार पैठ की भूमि संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी एवं गड़बड़ी की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार राजस्व हानि की क्षति पूर्ति के लिये कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मथुरा जनपद की मांट तहसील के अन्तर्गत स्थित जमुनापार पैठ की भूमि संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी एवं गड़बड़ी की जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा द्वारा की गयी थी, जिसमें जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 1-2-99 द्वारा हेराफेरी एवं गड़बड़ी के लिये दोषी पाये गये तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल (सेवानिवृत्त) श्री हर प्रसाद अग्रवाल के विरुद्ध थाना जमुनापार में धारा–420, 467, 468 व 471 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दिनांक 25-2-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा राजस्व अभिलेखों में जांचोपरान्त वांछित सुधार कर दिया गया है ।

सिविल मिस० रिट याचिका संख्या–5451/1999 श्री रामबाबू व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-4-1999 द्वारा याचीगण को आगामी आदेशों तक प्रश्नगत भूमि में पशु पैठ लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है, ऐसी स्थिति में याचीगण के विरुद्ध राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिये वर्तमान में कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना उचित नहीं होगा । मामले के अनुसरण हेतु जिलाधिकारी, मथुरा को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल ग्राम–धनेसा राजपूत को आबादी के अनुसार ग्राम पंचायत घोषित करने की मांग

5–श्री सर्वेश कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल के अन्तर्गत स्थित वर्तमान में राजस्व ग्राम–धनेसा राजपूत वर्ष 1994-95 में सम्पन्न हुये पंचायत चुनाव से पूर्व अलग ग्राम सभा थी ? क्या वर्ष 1994-95 में ही सम्पन्न हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसकी आबादी मानक से कम दिखाकर इसे ग्राम पंचायत दक्खिन गांव क्यार से सम्बद्ध कर दिया गया है ? क्या उक्त राजस्व ग्राम की वर्तमान में आबादी लगभग 2000 के आस-पास है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजस्व ग्राम की पुनः जनगणना करवाकर अलग ग्राम पंचायत घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । राजस्व ग्राम धनेसा राजपूत की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार मात्र 981 है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री अफजाल अहमद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन् होने के कारण निरस्त]

जनपद देवरिया विकास खण्ड भटनी, ग्राम महुई श्रीकान्त के प्रधान द्वारा अपने संबंधी को पट्टा देने का आरोप फर्जी पट्टा के निरस्तीकरण व कार्यवाही किये जाने की मांग

7–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे गुरूवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 26 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत पट्टा अब तक निरस्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सरकार तत्काल पट्टा निरस्त करने एवं दोषी पूर्व प्रधान के विरुद्ध फर्जी प्रस्ताव बनाने के आरोप में अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत पट्टा निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, अतः मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार दोषी पूर्व प्रधान तथा पट्टा अनुमोदन करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव है । फिलहाल इस प्रकरण में विलम्ब से वाद नियोजित करने के लिए तत्कालीन दोषी भूमि सुधार लिपिक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है ।

जनपद बस्ती में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–194 पर अवैध कब्जे को हटाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8–श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या 65 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 194 पर अवैध मकान बन

चुका है जिसकी पुष्टि मा० सिविल जज (जू०डि०) जिला बस्ती के समक्ष दायर रिट याचिका सं० 313/96 में पारित निर्णय से हो चुकी है ? क्या मंत्री जी उक्त भूमि के खाली कराने संबंधी ग्राम प्रधानों के प्रार्थना-पत्रों दिनांक 26-4-93 व 18-11-95 के आधार पर उपरोक्त भूमि की जांच पड़ताल कराकर खाली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत वाद में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-12-98 से क्षुब्ध होकर वादी मुबारक अली ने न्यायालय, पंचम जिला जज बस्ती मुबारक अली बनाम नसीबुल्लाह एवं अन्य अपील संख्या : 11/99 में मा० न्यायालय ने दिनांक 18-1-99 को यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये हैं । अतः विचाराधीन अपीलीय वाद निर्णीत होने के पश्चात् ही कार्यवाही संभव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील लखीमपुर, जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के सीमा विवाद की समाप्ति हेतु कमेटी का गठन

9–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के अन्तर्गत कोई सीमा विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसे समाप्त करने हेतु दोनों जनपद के जिलाधिकारी स्तर की कोई कमेटी गठित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

राजस्व परिषद् द्वारा मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं कि पूरे प्रकरण की जांचोपरान्त अपने स्तर से सीमा विवाद का निस्तारण करे ।

जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र सण्डीला ग्राम सन्तोषा में मकसूद बाबू के खलिहानों में हुई क्षति की जानकारी

10–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सन्तोषा में मकसूद, बाबू, रामकुमार, चन्द्रिका, अयोध्या आदि के खलिहान में दिनांक 19-5-96 को आग लग जाने के कारण गेहूं की फसल जल गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन कृषकों द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत मण्डी परिषद् सण्डीला को दिनांक 20-5-99 को धनराशि दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको बीमा धनराशि उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी परिषद् अथवा मण्डी समिति सण्डीला के स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित कृषकों द्वारा खलिहान अग्नि दुर्घटना दावा प्रार्थना-पत्र मण्डी समिति सण्डीला में प्राप्त नहीं कराये जाने के कारण ।

जनपद मथुरा तहसील माधोपुर एवं दामोदरपुरा के श्री घनश्याम, चरन सिंह वैधानिक पट्टों का निरस्तीकरण की जानकारी

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री घनश्याम, चरन सिंह, देवी सिंह व श्री जयचन्द्र आदि निवासी दामोदर पुरा एवं माधोपुर तहसील व जिला मथुरा के वैधानिक पट्टों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ए म०–1/21965/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

कृषि की श्रेणी राजस्व अभिलेखों में 6 (4) अकृषिक भूमि रेट अंकित है । जिसका आवंटन कृषि कार्य हेतु नहीं किया जा सकता । अपितु बालू खनन हेतु ही किया जा सकता है । फलतः वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मथुरा के आदेश दिनांक 06-11-98 द्वारा समस्त पट्टों को निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में मुफ्त बीज का वितरण

12 डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामों में मुफ्त बीज वितरण हेतु तहसील बिलग्राम द्वारा 186 ग्रामों की चयनित सूची शासन/प्रशासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त चयनित ग्रामों में मुफ्त बीज वितरण किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

77 ग्रामों के उन कृषकों जिनकी फसल बाढ़ से 50% या अधिक क्षति हुई थी, को मुफ्त बीज वितरण किया गया ।

दिनांक 25-11-98 से 19-1-99 तक ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील कादीपुर ग्राम वनके गांव में नवीन परती भूमि अन्य के नाम स्थानान्तरित करने का औचित्य

13–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ग्राम वनके गांव, तहसील कादीपुर में गाटा संख्या–2331, 2292, 2297, 1396, 2229, 2225 तालाब, खेल का मैदान, खलिहान व नवीन परती की भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस सुरक्षित भूमि को राम आशीष पुत्र राम करन ने फर्जी आदेश

से अपने खाते में करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सुरक्षित भूमि को किसी अधिकारी को स्थानान्तरण का अधिकार है ? यदि नहीं, तो आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कर कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम वनके गांव परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर के खतौनी वर्ष 1404 ता 1409 फ० में गाटा सं०–2331/0.126 खलिहान व गाटा सं०–2292/0.164 ऊसर व गाटा सं०–2297/0.152 तालाब के खाते में अंकित है । गाटा सं०–1396/0.019 बैजू पुत्र मुरली नि० ग्राम बनकेगांव के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है । 2229/0.454 अमरपाल सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह नि० ग्राम शेष पुरा पंर० अगुली तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के खाते में दर्ज है ।

गाटा सं०–2225 दयाराम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी कादीपुर सुल्तानपुर में बाद सं०–12 तारीख फैसला 30-6-98 अन्तर्गत धारा 33/39 रामकरन बनाम ग्राम पंचायत के द्वारा गाटा सं०–2331 मि० 0-4-0 ख खलिहान के खाते से 2292/0–13–0 ऊसर के खाते से ।

व 2297/0–12–0 तालाब के खाते से खारिज करके रामकरन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम वनकेगांव के नाम अंकित करने का आदेश पारित हुआ है ।

सुरक्षित भूमि को किसी भी राजस्व अधिकारी को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है, परन्तु सेहत कागजात का अधिकार अन्तर्गत धारा 33/39 भू०रा०अ० सुरक्षित है ।

चूंकि कार्यवाही विधिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है, यदि क्षुब्ध व्यक्ति को आवश्यकता प्रतीत होती है तो सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत होकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना ग्राम निभौली के निवासी श्री शत्रोहन सिंह के शिकायती-पत्र पर जांच

14–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, मु० खाना, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा तहसील दिवस दिनांक 15-9-98 शिकायत क्रमांक–11 पर दर्ज श्री शत्रोहन सिंह पुत्र सहदेव सिंह, ग्राम निभौली तह० मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर की शिकायत जिसमें नाली चकरोड की नाप कर खोलवाने की प्रार्थना की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो नाली चकरोड की नाप न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार नाली चकरोड की पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच कराई गयी ।

प्रश्नगत नाली चकरोड को खुलवाने हेतु शिकायत प्राप्त होने के कारण नाप करायी गयी । पैमाइश कराई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव ब्लाक बीघापुर को मिट्टी बर्तन बनाने हेतु भूमि आवंटन विषयक श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही

15-श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1999 जो जिलाधिकारी उन्नाव को प्रेषित किया गया है और जो ग्राम व पो० इन्देमऊ ब्लाक बीघापुर जनपद उन्नाव को मिट्टी के बर्तन बनाने व पकाने के लिये भूमि आवंटन विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र के आधार पर श्री महाबीर पुत्र रामशंकर कुम्हार निवासी–इन्देमऊ ब्लाक बीघापुर को अन्य चार कुम्हार जाति के व्यक्तियों के साथ कुल पांच व्यक्तियों को कुम्हारी कला का पट्टा स्वीकृत करके पट्टा वितरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखनऊ तहसील सदर, ग्राम अमेठिया सलेमपुर में श्री रमेश अनुसूचित जाति द्वारा कब्जा रखते हुए उन्हें बेदखल करने एवं हर्जाना देने का औचित्य

16–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा शासनादेश है कि किसी भूमि पर यदि अनुसूचित जाति का कब्जा है, तो उसे नियमित मानकर उसका पट्टा उसे कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या ग्राम अमेठिया सलेमपुर तहसील सदर जिला लखनऊ निवासी श्री रमेश पुत्र पंचम अनुसूचित जाति को भूमि गाटा संख्या–973 (संयुक्त खाता) रकबा 9 बिस्वा पर काबिज पाये जाने पर उसका पट्टा न करके जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 15 डी० के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में केवल ग्राम सभा भूमि (सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर) तथा किसी खातेदार की भूमि (सरकारी पट्टेदारों का छोड़कर) पर 3 जून, 1995 तक कब्जा होने की स्थिति में क्रमशः कृषिक तथा आवासीय भूमि, उक्त कब्जेदार के नाम विनियमित कर दिये जाने की व्यवस्था है ।

गाटा संख्या–973 पर श्री रमेश पुत्र पंचम (अनुसूचित जाति) का कोई कब्जा नहीं है । अभिलेखों में उक्त भूमि राजाराम, रामकुमार, रामनाथ, रामऔतार पुत्रगण जियालाल के नाम दर्ज है । श्री रमेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

जनपद बस्ती तहसील हरैया ग्राम परवरपारा के भूखण्ड संख्या–548 के संबंध में स्थगनादेश तथा श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव की पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा का प्रकरण

18-श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के तृतीय गुरुवार हेतु निर्धारित अ०प्र०सं० 180 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूखण्ड संख्या 548 क्षेत्रफल दो बीघा, 4 बिस्वा, 2 धूर स्थित ग्राम परवरपारा, तहसील हरैया, जनपद बस्ती पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगनादेश दिनांक 8-1-87 संयुक्त संचालक, चकबन्दी, बस्ती के आदेश दिनांक 17-1-90 एवं 31-7-95 के अनुसार लागू नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या तहसील एवं स्थानीय पुलिस के कर्मचारी/ अधिकारीगण भौमिक अधिकारिणी श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को उक्त भूमि को जोतने बोने में बाधा उत्पन्न करते हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध शाखा के अ०शा० पत्रांक/शिकायत 228/95 दिनांक 18-01-96 के अनुसार जिलाधिकारी, बस्ती ने उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । बल्कि श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव के ग्राम परवरपारा जनपद बस्ती में आने पर पुलिस विभाग द्वारा समुचित सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद रायबरेली ग्राम पंचायत रसूलपुर के ग्राम रसूलपुर की देवी भूमि पर अवैध कब्जों के हटाने संबंधी पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

19-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत रसूलपुर पो० मुरारमऊ में सरेनी-भगवन्त नगर राजमार्ग पर ग्राम रसूलपुर की लगी हुई देवभूमि गाटा संख्या 303 पर अवैध कब्जों को हटाये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क–2– 035440 दिनांक 16 अगस्त, 1999 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच उप जिलाधिकारी लालगंज से करायी गयी, उप जिलाधिकारी लालगंज ने अपनी जांच आख्या में उल्लिखित किया है कि ग्राम रसूलपुर परगना–सरेनी के अन्तर्गत गाटा सं०–303 क्षेत्रफल 0.069 हे० पर मौके पर आबादी अंकित है तथा कई लोगों की दुकानों व छप्पर आदि रखे हुये हैं । अभिलेखीय जांच से ज्ञात हुआ है कि विवादित भूमि उप जिलाधिकारी लालगंज के आदेश मुकदमा नं० 10 निर्णीत दिनांक 23-3-91 द्वारा देव स्थान के बजाय आबादी अंकित की गयी है जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के न्यायालय में निगरानी सं०–518/94-95 विचाराधीन थी इस प्रकरण में दिनांक 9-4-96 को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था । निगरानीकर्ता का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी में खारिज हो गया था जिसके लिए उसने बाजदायरा (पुनर्स्थापना) प्रार्थना-पत्र

न्यायालय में प्रस्तुत करके पुनः यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 28-10-99 को प्राप्त कर लिया गया है जिसके कारण इस विवादित स्थल पर अग्रेतर कार्यवाही करना संभव नहीं हो पा रहा है ।

20–श्री उदयराज यादव–

।। ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।।

जनपद संत रविदास नगर ग्राम बदरी में बन्धे के पुनर्निर्माण में जिला पंचायत द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच

21–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के बदरी ग्राम में बन्धे के पुनर्निर्माण हेतु 1996-97 से 1998–99 में स्वीकृत 3.25 लाख रु० जिला पंचायत संस्था द्वारा फर्जी कार्य दिखा कर धन आहरित कर लिया गया है जब कि मौके पर कार्य नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर धन की वसूली की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रकरण में रुपया 1,49,718/- की अनियमितता का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है ।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, संत रविदासनगर से आख्या मांगी गयी है । आख्या प्राप्त होने पर गुण व दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22-23–श्री राजधारी–

। मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

24 श्री उदय राज यादव–

।। ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।।

25–श्री राजधारी–

। मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

जिला वाराणसी तहसील पिण्डरा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा संबंधी पूर्व सदस्य, वि० स०, श्री ऊदल के पत्र पर जांच

26–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा बरही नेवादा परगना पन्द्रह तहसील पिंडरा जिला वाराणसी में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में वहां के निवासियों द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र पूर्व सदस्य, विधान सभा श्री ऊदल द्वारा अपने पत्र के साथ प्रमुख सचिव, राजस्व को दिनांक 4-10-97 को दिया था ? यदि हां, तो उसकी किस अधिकारी द्वारा जांच की गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार पिण्डरा द्वारा की गई ।

प्रश्नगत जांच के अनुसार जो अतिक्रमण किये गये थे उनको हटा दिया गया है और जो कब्जे पुराने थे उन्हें परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 6-1-95 द्वारा नियमित कर दिया गया है ।

आराजी सं०–668/0–/64 व 679/1 0–024 हे० पर पुरानी आबादी होने के कारण उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 6-1-95 के अनुसार आबादी श्रेणी 6 (2) अंकित कर नियमित कर दिया गया है । उक्त आराजी का शेष रकबा नवीन परती के खाते में अंकित है । आ० नं० 337 क/0–012 हे० सरकारी अभिलेख में नवीन परती व आ० नं० 337 ख/0–077 हे० श्रेणी 6 (2) मस्जिद के खाते में अंकित था उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16-11-92 के अनुसार आराजी नं० 337क/0–012 हे० को भी मजिसाज मस्जिद खाते में अंकित कर दिया । इस प्रकार आ० नं० 337/0–089 हे० मस्जिद के खाते में अंकित है ।

आ० नं० 653/0-08 हे० बंजर 661/10 040 हे० रास्ते के खाते में अंकित है । आ० नं० 653/0-0/2 एवं आ० नं० 661/0–000 हे० ज०वि०अ० की धारा 161 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 2-3-95 के अनुसार वारिस अली आदि के खाते में अंकित कर दिया गया है तथा वारिस अली आदि के खाते की आ० नं० 1119/0–024 हे० भूमि ग्राम समाज के खाते में करके नियमित कर दिया गया है ।

आ० नं० 642/0–032, 703/0–040 चकमार्ग तथा 657/0–016 नाली के खाते में अंकित है । 642/0–032, 703/0–040 मौके पर खाली है । आ० नं० 657/0–016 आबादी के बीच में है जिससे बरसात का पानी निकलता है ।

आ० नं० 852/0–223 हे० व 905/0–025 हे० सरकारी अभिलेख में खाद का गड्ढा अंकित है । आ० नं० 905/0–024 हे० इजहार अली के कारखाने से दूर है और मौके पर खाली है, परन्तु आ० नं० 852/1–223 हे० इजहार अली आदि के धुलाई रंगाई फैक्टरी के पास जानिब पश्चिम तरफ है जो मौके पर खाली है ।

आ० नं० 395/0–049 हे० सरकारी अभिलेख में नोनार के खाते में अंकित है तथा आबादी के मध्य में है । आबादी व सहन के रूप में ग्राम प्रधान उपयोग करते हैं जिस पर 122 बी का मुकदमा तहसीलदार न्यायालय में निर्णीत होकर मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिए अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है ।

ग्राम प्रधान बरही ने वादा परगना पन्द्रह तहसील पिण्डरा ने अपने तथा अपने परिवार के नाम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है । पारित प्रस्ताव में ग्राम के पात्र व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि दी गई है ।

जनपद वाराणसी जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा, को भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रार्थना-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों

को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण हेतु जारी राजाज्ञा सं० 258/16/1/73 राजस्व, दिनांक 2 मई, 1984 के पैरा 2 में उल्लिखित "सेवारत विभागों" की तरह भूमि प्रथम वरीयता पर निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपर्युक्त राजाज्ञा में संशोधन करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि तत्कालीन राजस्व मंत्री ने जू०हा० स्कूल, बरही नेवादा, वाराणसी को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 22-2-94 द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या विद्यालय को भूमि उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासनादेश संख्या : 258/16(1)/73 राजस्व–1 दिनांक 9 मई, 1984 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को सेवारत विभागों की तरह ग्राम–सभा भूमि निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमानुसार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील रुदौली द्वारा गाटा संख्या–324 व 279 के संबंध में दुरुस्ती का मामला

28–श्री राम जग–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गाटा संख्या 324 व 279 के संबंध में दुरुस्ती की कार्यवाही तहसील स्तर से किये जाने हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद को चकबन्दी निदेशक के पत्रांक 10775 दिनांक 12-7-99 द्वारा निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण में क्या दुरुस्ती की कार्यवाही तहसील रुदौली द्वारा सम्पादित कर ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उप जिलाधिकारी, रुदौली द्वारा उक्त प्रकरण में दुरुस्ती की कार्यवाही नियमानुसार तहसील स्तर से किये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दुरुस्ती की कार्यवाही चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमोचित है । इसलिए अब चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया में कार्यवाही संभव है ।

मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

जिला वाराणसी विकास खण्ड–बड़ागांव में जूनियर हाई स्कूल अनेई की भूमि पर चक बनाने संबंधी शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही

30–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल अनेई वि०ख० बड़ागांव जिला वाराणसी की भूमि पर चक बनाये जाने के संबंध में श्री ऊदल पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 13-5-98 के

सन्दर्भ में प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा दिनांक 15-5-98 को विशेष सचिव, राजस्व को दिये गये निर्देश के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत प्रकरण में जिला अधिकारी वाराणसी से जाँच कराने के निर्देश दिये गये थे । जिलाधिकारी ने अपने स्तर से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा जांच करायी गयी थी परन्तु जिलाधिकारी की जांच से सहमत न होने के कारण तथा उनकी सहमति पर चकबन्दी निदेशालय द्वारा गठित दल द्वारा प्रकरण में जांच करायी जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में बाढ़ राहत कार्यों हेतु प्रयुक्त नावों पर व्यय धनराशि की जानकारी

31–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 व 1998-99 में जनपद बहराइच में बाढ़ राहत कार्यों में कितनी नावों का प्रयोग किया गया ? इसमें छोटी-बड़ी मझोली कितनी नावें थीं ? तहसील कैसरगंज, महसी तथा नानपारा में इन नावों पर उपरोक्त वर्षों में कितना धन देय था तथा कितने धन का भुगतान शेष है ? इसका दोषी कौन है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1996-97 में कुल 112 एवं वर्ष 1998-99 में 190 नावों का प्रयोग बाढ़ राहत कार्यों हेतु किया गया ।

इसमें छोटी 3 तथा मझोली 308 नावें थीं ।

वर्ष 1996-97 में तहसील कैसरगंज में रु० 30,000/- महसी में रु० 5,625/-तथा नानपारा में रु० 6,500/-नाव किराया देय था । जिसके विरुद्ध तहसील कैसरगंज को रु० 30,000/-महसी को रु० 5,625/-तथा नानपारा को रु० 6,500/-की धनराशि का वितरण किया जा चुका है । वर्ष 1998-99 में तहसील कैसरगंज को रु० 1,75,000/-, महसी को रु० 68,625/-तथा नानपारा को रु० 52,250/- की धनराशि नाव किराया मद में देय था जिसके विरुद्ध तहसील कैसरगंज को रु० 1,40,000/- , महसी को रु० 55,000/- तथा नानपारा को रु० 52,250/-का भुगतान किया जा चुका है । तहसील कैसरगंज का रु० 35,000/- तथा महसी का रु० 13,625/-का भुगतान अवशेष है । दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । अवशेष धनराशि के भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

पशुधन विभाग में औषधियों की आपूर्ति का मामला

32–श्री ददू प्रसाद–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशुधन विभाग में औषधियों की आपूर्ति वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 में मे० जेप्स फार्मास्युटिकल्स, मे० साइन एण्ड को० तथा मे० प्रिया फार्मास्युटिकल्स की दवायें अधो मानक पायी गई थीं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मे० साइमन को ब्लैक लिस्ट किया गया है ? यदि हां, तो ब्लैक लिस्ट करने का मानक क्या है ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

वर्ष 1996-97 में मात्र दो फर्मों मे० साइमन एण्ड कम्पनी तथा मै० प्रिया फार्मास्युटिकल की दवायें अधोमानक पायी गई थी । 1997-98 में ऐसी कोई सूचना निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा रही है ।

औषधि नियंत्रक उ० प्र० द्वारा सैम्पुल एनालिसिस कराने पर फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधियों को अधोमानक पाने पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली पोस्ट–मुरारमऊ ग्राम पंचायत रसूलपुर में सरेनी भगवन्तनगर राजमार्ग पर ग्राम रसूलपुर में देवभूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में पत्र

33–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत रसूलपुर पोस्ट मुरारमऊ में सरेनी-भगवन्तनगर राजमार्ग पर ग्राम रसूलपुर से लगी हुई देवभूमि गाटा संख्या 303 पर अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क–2–035440, दिनांक 16 अगस्त, 1999 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार देवभूमि गाटा संख्या 303 पर हुये अवैध कब्जों को हटवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच उप जिलाधिकारी, लालगंज से कराई गयी, उपजिलाधिकारी लालगंज ने अपनी जांच आख्या में उल्लिखित किया है कि ग्राम रसूलपुर परगना सरेनी के अन्तर्गत गाटा संख्या : 303 क्षेत्रफल 0.069 हे० पर मौके पर आबादी अंकित है तथा कई लोगों की दुकानें व छप्पर आदि रखे हुये हैं । अभिलेखीय जांच से ज्ञात हुआ है कि विवादित भूमि उप जिलाधिकारी लालगंज के मुकदमा नम्बर 10 निर्णीत दिनांक 23-3-91 द्वारा देव स्थान के बजाय आबादी अंकित की गयी है, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के न्यायालय में निगरानी संख्या : 518/94-95 विचाराधीन थी । इस प्रकरण में 9-4-96 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था । निगरानीकर्ता का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी में खारिज हो गया था, जिसके लिये उसने पुर्नस्थापना प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके यथास्थिति बनाये रखने का स्थगनादेश दिनांक 28-10-99 को प्राप्त कर लिया है जिसके कारण अवैध कब्जों को हटवाने का विचार करने पर भी अग्रेतर कार्यवाही करना संभव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद लखनऊ के कृषि निदेशालय में रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर की मांग पर सहायक भूमि संरक्षक निरीक्षकों की तैनाती के बाद उन कर्मचारियों को वेतन न देने तथा वापस हटाये जाने का कारण

34–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि अपर प्रशासक रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर की मांग के अनुरूप सहायक भूमि संरक्षक निरीक्षकों की तैनाती कृषि निदेशालय, लखनऊ के द्वारा अक्टूबर, नवम्बर, 1998 में रामगंगा कमाण्ड, कानपुर में की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को 9 एवं 15 जून, 1999 को कृषि विभाग में बिना वेतन दिये वापस किया गया है ? यदि हां, तो

कर्मचारियों का वेतन न देने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों का कब तक वेतन भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । बजट की अनुपलब्धता के कारण रामगंगा कमाण्ड परियोजना द्वारा उन्हें वापस किया गया । इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद लखनऊ विकास क्षेत्र सरोजनी नगर, ग्राम हरिहरपुर में भूमिहीनों को परती भूमि का आवंटन करने तथा विक्रय करने का मामला

35–श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में ग्राम समाज की परती भूमि किन-किन भूमिहीनों को आवंटित की गई है तथा संबंधित भूमि के खतौनी नम्बर क्या हैं ? क्या यह सही है कि आवंटित की गई भूमि को कतिपय भूमिहीनों द्वारा अधिक मूल्य में बेच दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विक्रय किस नियम के अन्तर्गत किया गया ? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम हरिहरपुर परगना बिजनौर विकास क्षेत्र सरोजनी नगर तहसील व जिला लखनऊ में सर्वश्री खुशाल पुत्र जिया लाल को 362/1–13–0, गयादीन पुत्र बदलू को 632/1/3–0–0 छेदा पुत्र भगौती को 871/1/1–0–0 छोटेलाल पुत्र निधान को 647/1/0–19–3, 648/1–5–10 श्रीमती छेदाना बेवा, नन्हें को 677 सं० :/2–0–0 जगेसर पुत्र रामस्वरूप को 577/2–0–0, दुलारे बाज पुत्र कबूतर बाज को 750/1–2–0,754 सं०/1–0–0, नन्हकऊ पुत्र चिरौंजी को 219/2/2–0–0, नन्दकिशोर पुत्र रामऔतार को 212/0–9–0, 214/2/2–11–0, प्यारे लाल पुत्र रतनू को 400 सं०/2–2–0 श्रीमती बिन्दादेई विधवा पितई को 214/1/0–16–0, 215/0–16–2, 216/0–9–0, 219/1/0–17–5, 221/1/0–1–12, बजरंगी पुत्र नेतराम को 579/2/0–15–0, 593/0–5–10 बुद्धू पुत्र दर्शन को 818/2/2–9–10 बाबादीन पुत्र भोला को 696/1–10–10, 712/0–13–0, बुद्धू पुत्र शंकर को 409 सं० 2–0–0 मीसा पुत्र रामजियावन को 500 सं०/2–2–9, भुइयादीन पुत्र रुस्तम को 867 सं०/2–4–0, मेवालाल पुत्र उमराव को 841/2/1–17–0, रामऔतार, रुपन लाल, शिवराज, राजाराम पुत्रगण जोधी को 646/0–4–0, 647/2/0–12–18, 661/1–5–0, 666/2/0–5–0, 667/0–4–14, रामधनी पुत्र सुकाली को 871/2/1–0–0, रामस्वरूप पुत्र परागी को 706 सं०/2–6–0 रामचन्द्र पुत्र मिहीलाल को 871 सं०/2–0–0, शत्रोहन पुत्र महावीर को 573/1/2–0–16, शत्रोहन पुत्र छेदा को 695/2–1–0, शिवबालक पुत्र रामलाल को 618 सं०/2–0–0, श्री केशन व मिठाई लाल पुत्रगण बाबूलाल को 672/0–5–0, 673/2–14–10, श्री केशन पुत्र रघुनाथ को 841/1–3–0–0 श्रीमती सुमित्रा पत्नी बृजलाल उर्फ मन्नाल को 146/0–10–19, 818/1/1–3–15, सरजू प्रसाद पुत्र दुखी को 871/3/1–18–9, सुन्दरलाल पुत्र महावीर को 864/2–2–0, सीताराम, पुत्र दुर्गा को 521/2–5–15, हनुमान व बिहारी पुत्रगण त्रिलोकी को 221/3/0–19–1, 222/0–9–10, 231/0–517,

341/0.3-0, हनुमान पुत्र हीरालाल को 867 सं/2-5-0, भूमि आवंटित की गयी है । इन तैंतीस आवंटियों की खाता संख्यायें खतौनी वर्ष 1401 से 1406 फसली में क्रमशः 331 से 363 तक हैं ।

जी हां ।

उपरोक्त व्यक्तियों ने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 131 ख के अनुसार परगनाधिकारी सदर लखनऊ के आदेश दिनांक 11-6-97 द्वारा संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के उपरान्त अपनी भूमि का विक्रय किया है ।

प्रश्नगत आवंटियों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतरण वाद न्यायालय में विचाराधीन है । अतः वर्तमान में इन विक्रयों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है ।

जनपद हरदोई, मण्डी निदेशक द्वारा स्वीकृत इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्पों को उपमण्डी समिति बिलग्राम में लगाये जाने की मांग

36–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर उप मंडी समिति, बिलग्राम जनपद हरदोई में मंडी निदेशक द्वारा दिनांक 31-7-97 को दो हैण्डपम्प इण्डिया मार्का–II स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मण्डी परिषद् की लायबिल्टीज अधिक सृजित हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु दी गई स्वीकृति निरस्त हो जाने के कारण ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० के आदेशानुसार पेयजल संकट निदान हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प न लगाने का कारण

37 डा० धर्मेश मिश्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ० प्र० के पत्रांक मु०अभि०/हैण्ड पम्प/97 दिनांक 12-8-97 के अनुसार पेयजल संकट निदान हेतु दो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने हेतु उन्नीस हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या उ० प्र० राज्य मण्डी परिषद् द्वारा उक्त हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराकर अविलम्ब हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

मण्डी परिषद् को लायबिल्टीज अधिक सृजित हो जाने के फलस्वरूप दी गयी । स्वीकृति निरस्त कर दिये जाने के कारण ।

जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत कुरसठ देहात में भूमिधरों/किसानों की मृत्यु पर वारिसों का नाम अभिलेखों में अंकित न किये जाने के कारण

38–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत कुरसठ देहात में वर्ष 1998-99 में जिन भूमिधरों/किसानों की मृत्यु हो गयी थी उनमें से अभी तक कितने प्रकरण तहसील–बिलग्राम में लम्बित हैं, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों के नाम भूमि अभी तक अभिलेखों में अंकित नहीं की गयी है ? विलम्ब के लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक वारिसों के नाम दस्तावेज भूलेखों में अंकित कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत न्याय पंचायत, कुरसठ देहात में वर्ष 1998-99 में कुल 269 भूमिधरों/किसानों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 265 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है । शेष 04 प्रकरण विवादित होने के कारण यह वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

कोई कर्मचारी/अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है ।

उक्त अवशेष वादों का न्यायालय से निस्तारण होने के पश्चात् तत्काल वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिर खाना, विकास खण्ड बाजार सुकुल ग्राम धनेशा राजपूत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग

39–श्री रामहर्ष सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि एस०डी०एम० तहसील–मुसाफिरखाना, जनपद–सुल्तानपुर ने अपने पत्र संख्या–501/ एसटी–एस०डी०एम/99, दिनांक 3 अप्रैल, 1999 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को आख्या भेजी गयी है कि विकास खण्ड बाजार सुकुल के अन्तर्गत ग्राम धनेशा-राजपूत जो पूर्व में ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत बनाये जाने के मानक के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आख्या के आधार पर उक्त राजस्व ग्राम धनेशा-राजपूत को ग्राम पंचायत घोषित करेगी ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत बनने के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम धनेशा–राजपूत की जनसंख्या–1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम है । अतः निर्धारित मानक के विपरीत पृथक ग्राम पंचायत बनाया जाना संभव नहीं है ।

जनपद रायबरेली थाना खीरों ग्राम डोड़ेपुर के स्व० लोकनाथ की (बेवा) पत्नी को आवासीय स्थल का कब्जा दिलाने सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० राज्य मंत्री पंचायती राज का (बेवा) विटाना पत्नी स्व० लोकनाथ, ग्राम–डोड़ेपुर, थाना–खीरों, जनपद–रायबरेली को आवासीय स्थल पर कब्जा दिलाने संबंधी पत्र सं०–बी० आई० पी०/1720/रा० मं०/पंचायती राज/99, दिनांक 21-6-99 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच उप-जिलाधिकारी, लालगंज से कराई गयी, जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रार्थिनी के नाम कोई आवास स्थल का आवंटन नहीं किया गया है । प्रार्थिनी के पास आवास हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के काम चलाऊ व्यवस्था के अधीन कनिष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने की मांग

41–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के 2सरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है उसी व्यवस्था के अन्तर्गत उनसे वरिष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) सिद्धार्थनगर को भी जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति उक्त पद पर विगत 23 वर्षों से कार्यरत है एवं उनकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं आया है ? यदि हां तो अब तक उनकी पदोन्नति न करने का क्या कारण है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत कतिपय जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर की गई प्रभारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । किन्तु मा० उच्च न्यायालय अधिकरण के स्थगन आदेश के कारण कतिपय प्रभारी अधिकारी सम्प्रति कार्यरत हैं ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रारम्भिक) सेवा नियमावली, 1989 में तथा समाप्त प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा नियमावली 1979 में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रारम्भिक) संवर्ग से पदोन्नति का प्रावधान न होने के कारण नियमानुसार इन्हें पदोन्नति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद जौनपुर परगना करियात, की ग्राम पंचायत गौरा के ग्राम भेलूपुर, मेढ़ा में धारा–41 के अन्तर्गत हदबन्दी के आदेशानुसार कार्यवाही की मांग

42–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत गौरा के ग्राम भेलूपुर, परगना करियात, मेढ़ा, तहसील–बदलापुर, जनपद–जौनपुर में दफा 41 के अन्तर्गत आराजी नम्बर 28, 26, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 24 एवं 25 की हदबन्दी के आदेश माह जून/जुलाई, 1999 में हुये थे ? क्या मौके पर सम्बन्धित कानूनगो एवं लेखपाल गये थे ? यदि हां, तो क्या बिना हदबन्दी किए टीम वापस हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस बल के साथ उक्त आराजी नम्बरों की हदबन्दी तत्काल किए जाने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, दिनांक 9-6-99 को उपजिलाधिकारी, बदलापुर के न्यायालय में श्री रामचरन आदि निवासीगण ग्राम भेलूपुर तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर द्वारा धारा 41 भू०रा०अधि० का वाद दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 25-6-99 को आ०नं० 53 को छोड़कर अन्य नम्बरान की हदबंदी के आदेश हुए थे, क्योंकि आ०नं०–53 प्रार्थना-पत्र में अंकित नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

सभी संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त दिनांक 30-12-99 को हदबंदी करा दी गई है ।

जनपद ब तहसील गोरखपुर के ग्राम बशारतपुर में ग्राम समाज की भूमि पर श्रीमती एडलिन मण्डल के स्थाई निर्माण को हटवाने की मांग

43–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बशारतपुर तहसील व जनपद गोरखपुर में गाटा संख्या–297 रकबा 7 डिसमिल ग्राम समाज की भूमि है, पर श्रीमती एडलिन मण्डल पुत्री स्वर्गीय श्री मुन्ना डायसन ने स्थाई निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त निर्माण को हटाते हुए दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्रश्नगत आराजी नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत है जो वर्ष 1359 फ० से राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6 (2) आबादी दर्ज है । इस पर श्रीमती एडलिन मण्डल पुत्री स्व० श्री मुन्ना डायसन ने स्थायी निर्माण करा लिया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

44-45 व 46–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

जनपद अल्मोड़ा, तहसील–भिकियासैण का कार्यालय के भवन को निर्मित करने की मांग

47–श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–अल्मोड़ा की तहसील–भिकियासैण का कार्यालय सरकारी अस्पताल के भवन में कार्यरत है ? क्या वर्तमान में तहसील कार्यालय भवन निर्माणार्थ सरकार

के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

भवन निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था होने पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

48-डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जिला बस्ती परगना अमोढ़ा की ग्राम परवरपारा में फर्जी तरीके से ग्राम समाज की भूमि खाते में बढ़ाने एवं अभिलेखों में दर्ज करने का मामला

49–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परवरपारा परगना अमोढ़ा, जिला-बस्ती के खतौनी सन् 1381 फ० से 1386 फसली के खाता संख्या-178 में फोर्जरी करके ग्राम समाज की लगभग 4 बीघा भूमि बढ़ायी गयी है ? क्या चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० के आदेश से जनवरी, 1986 एवं पूर्व राजस्व मंत्री के आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 मार्च, 1995 को उक्त फर्जी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जांच कराई गई है ? यदि हां, तो इस खतौनी में हेराफेरी करने वाले राज्य कर्मचारी/अधिकारी एवं खातेदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह सही नहीं है कि ग्राम परवरपारा परगना अमोढ़ा जिला बस्ती के खतौनी सन् 1381 फ० से 1386 फ० के खाता सं० 178 में फोर्जरी करके ग्राम समाज की लगभग 4 बीघा भूमि बढ़ाई गयी है । बल्कि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-2-82 द्वारा खतौनी से मतरूक (ओभिदेह) गाटों पर शिव प्रसाद पुत्र मथुरा का नाम दर्ज करने का आदेश किया गया है जिसकी अमलदरामद खतौनी 1381 फ० से 1386 फ० के खाता संख्या 178 पर किया गया है ।

जी हां ।

जांच में उक्त आदेश अनियमित एवं अवैधानिक पाये जाने पर श्री मित्रसेन व श्री देवी प्रसाद, सहायक चकबंदी अधिकारियों को दोषी पाया गया जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई । श्री मित्रसेन, सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है । श्री देवी प्रसाद सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । अनियमित रूप से बढ़ाई गई भूमि को सम्बन्धित खाते से पृथक करके ग्राम सभायें दर्ज कर दी गई है । अनियमितता सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है अतएव खातेदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपर्युक्त स्थिति में शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती की तहसील हरैया के ग्राम परवरपारा, तप्पा बेलवा की ग्राम समाज के भूखण्ड पर अवैध कब्जा हटवाने विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

50-श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती की तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम परवरपारा, तप्पा बेलवा की ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–164,266 मि० 296, 443, 495/662, 501,

539/548/661 एवं 614 पर से अवैध कब्जा/निर्माण हटवाने विषयक श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64 रिकाबगंज, नियावांरोड फैजाबाद का पत्र दिनांक 11-9-96 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-6-96 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्रश्न में वर्णित शिकायतों के सम्बन्ध में जिला–अधिकारी द्वारा जांच की गयी । जिलाधिकारी बस्ती की आख्या के अनुसार गलत व फर्जी पट्टों के आवंटन उप संचालक, चकबंदी बस्ती द्वारा निरस्त किये गये थे । मा० उच्च न्यायालय द्वारा इन आदेशों के विरुद्ध स्थगनादेश के कारण सम्प्रति कार्यवाही सम्भव नहीं है । भूखण्ड संख्या : 164 नवीन परती हैं । भूखण्ड संख्या : 614/539 खातेदारों के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है ।

51–श्री सीताराम निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बस्ती, तहसील हर्रैया ग्राम चकचई तप्पा गौर में भूखण्ड सं० 74ख रकबा 0-1-10 में से अतिक्रमण हटाने हेतु अंकित पत्र

52–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री राम औतार निवासी ग्राम चकचई तप्पा गौर, तहसील हर्रैया जिला बस्ती के भूखण्ड संख्या–74 ख रकबा 0-1-10 में से राम सागर, राधेश्याम व अन्ये का अतिक्रमण हटवाने विषयक प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक 593, दिनांक 24-4-99 द्वारा उप जिलाधिकारी हर्रैया जिला-बस्ती को जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त अनाधिकृत कब्जा सरकार कब तक हटवा देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला-गोरखपुर तहसील सहजनवां के ग्राम मइला के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

53–श्री संत व श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री संत प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–मइला, तहसील–सहजनवां, जिला-गोरखपुर के नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही क्या पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विचारोपरान्त नाम परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया ।

54–श्रीमती माया प्रसाद–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं० 45 द्वारा उत्तरित ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज के ग्राम व पो० कौहार के लेखपाल के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–179 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

दोषी पाये गये श्री सुख सागर सिंह राजस्व निरीक्षक को निन्दा प्रविष्टि तथा श्री अशोक कुमार शुक्ल, लेखपाल को निलम्बन काल का वेतन न दिये जाने एवं भर्त्सना प्रविष्टि का दण्ड दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर ब्लाक गौरीगंज के ग्राम रमईपुर के अरगवा सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग सम्बन्धी शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

56–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–177 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत अपूर्ण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मामले में निलम्बित पंचायत अधिकारी को बिना चार्जशीट दिए बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

यथाशीघ्र ।

जी नहीं । दिनांक 12-3-99 को आरोप-पत्र (चार्जशीट) दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील कादीपुर के ग्राम बन के गांव की परती भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

57–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सुल्तानपुर के ग्राम–बन के गांव, तहसील–कादीपुर में गाटा सं०–2331, 2292, 2297, 1396, 2229, 2225 तालाब, खेल का मैदान व खलिहान की परती भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सुरक्षित भूमि को राम आशीष पुत्र रामकरन ने फर्जी आदेश से अपने खाते में दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में उप जिलाधिकारी, कादीपुर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, मुख्य राजस्व अधिकारी को बादूलाल

वर्मा, राम प्रताप वर्मा निवासी उपरोक्त की लिखित शिकायतें रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4-9-99 को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) ग्राम वन के गांव, तहसील कादीपुर जनपद-सुल्तानपुर की गाटा संख्या : 2331 खलिहान, 2292 ऊसर, 2297 तालाब के खाते में दर्ज है। मु०नं० 12 अन्तर्गत धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम राम करन बनाम गांव सभा नामक वाद में तत्कालीन अपर उप जिलाधिकारी कादीपुर द्वारा दिनांक 30-6-98 को एक पक्षीय रूप से रामकरन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। श्री राम आशीष के नाम से कोई आदेश उपरोक्त भू-खण्डों के सम्बन्ध में नहीं पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर प्रश्नगत आदेश के निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में विचाराधीन है।

गाटा संख्या : 1396 बैजू पुत्र मुरली, 2229 अमरपाल सिंह आदि 2225 दयाराम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

(ख) प्रकरण चूंकि न्यायाधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है, अतः निर्णयोपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रकरण की जांच कराई गई यह प्रकरण मा० न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम निभौली की नाली खुलवाने की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

58–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, मुसाफिर खाना, जिला-सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा तहसील दिवस दिनांक 15-9-98 शि० क्रमांक-11 पर दर्ज श्री सत्रोहन सिंह पुत्र सहदेव सिंह, ग्राम निभौली तह०–मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर की शिकायत जिसमें नाली नापकर खुलवाने की प्रार्थना की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रकरण में पैमाइश राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28-9-98 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ राजस्व परिषद् में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों की कार्यावधि/मूल विभाग में वापस न भेजने का औचित्य

59–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद, लखनऊ में वर्तमान समय में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों के कार्यरत हैं ? प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की अवधि क्या है ? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये हुये कतिपय अधिकारियों को लगभग 15–20 वर्ष हो गये हैं और अभी तक उन्हें उनके मूल विभाग को वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या

सरकार अविलम्ब उन्हें उनके मूल विभाग को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्तमान में दो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं ।

प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है ।

उक्त दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 5-3-1998 से परिषद् में तैनात है तथा दूसरे अधिकारी श्री सत्यवान अवस्थी, क्षेत्रीय अनुसंधान के पद पर प्रतिनियुक्ति दिनांक 21-3-1970 से तैनाती हुई थी तथा सम्प्रति उपनिदेशक (कृषि गणना) के पद पर कार्यरत हैं ।

श्री सत्यवान अवस्थी को दि० 22/27 जून, 1995 को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया था, परन्तु मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-10-95 को पारित स्थगनादेश के अनुपालन में अभी वह परिषद् में कार्यरत हैं ।

स्थगनादेश दिनांक 18-10-1995 अभी भी प्रभावी, जिसके कारण उन्हें अभी उनके मूल विभाग में वापस नहीं किया जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर के ग्राम पारु माझा में अवैध रूप से पेड़ कटवाने की शिकायत/कृत कार्यवाही

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान श्री बालक राम यादव व उनके पुत्र श्री हरीश चन्द्र यादव (ब्लाक प्रमुख) द्वारा ग्राम–पारु माझा, तह०–सिरौली, गौसपुर जनपद–बाराबंकी स्थित ग्राम–समाज की भूमि पर खड़े लाखों रुपये के बबूल के पेड़ों को अवैध रूप से कटवाकर बेच लेने सम्बन्धी श्री ब्रह्मानन्द गौतम व हरिश्चन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम पारु माझा–तह०–सिरौली गौसपुर जनपद–बाराबंकी द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती-पत्र दिनांक 14-12-96 दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायतें असत्य पाये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज में परगना अमेठी बरसाती पुत्र दतई, ग्राम-ऐठा, की पट्टे की भूमि को इब्राहीम पुत्र अलादीन द्वारा फर्जी बैनामा कराने का प्रकरण

61–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बरसाती पुत्र दतई (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम–ऐठा, परगना–अमेठी, तहसील–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर की पट्टे की भूमि भूखण्ड सं०–22 व 270 को इब्राहीम पुत्र अलादीन ग्राम–ऐठा, तह०–गोरीगंज ने फर्जी बैनामा के आधार पर खतौनी में इन्दराज करा लिया है ? क्या यह सही है कि कथित बैनामा की रजिस्टर्ड कापी अमेठी व गौरीगंज रजिस्ट्रार के यहां किसी अभिलेख में रजिस्टर्ड नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खतौनी में फर्जी इन्दराज कराने वाले कर्मचारी व संबंधित लाभार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) जी नहीं, ग्राम ऐंठा निवासी बरसाती पुत्र दतई अनु० जा० की भूखण्ड सं० 270 इब्राहीम पुत्र अलादीन के नाम दर्ज नहीं है, बल्कि आज भी बरसाती पुत्र दतई के नाम अंकित चली आ रही है और भूखण्ड सं०-22 का पंजीकृत बैनामें दिनांक 18-2-75 के आधार पर दिनांक 23-6-77 को मु० नं० 232 द्वारा इब्राहिम पुत्र अलादीन के नाम नामान्तरण किया गया है ।

(ख) प्रश्नगत बैनामा की कापी अमेठी रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज ग्राम-गरथोलिया में राम गनेश यादव निवासी द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर लेखपाल के विरुद्ध कृत कार्यवाही

62–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को सम्बोधित राम गनेश यादव निवासी ग्राम–गरथोलिया तहसील–गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-8-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त प्रार्थना-पत्र द्वारा एक ही परिवार को व अपने निजी रिश्तेदारों को लेखपाल द्वारा दिये गये पट्टों को निरस्त कर संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज, ग्राम बहोरेखा में संग्रह अमीन की सेवा काल में मृत्यु उपरान्त विधवा को नियुक्ति व अन्य देयों के भुगतान की मांग

63–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री बब्बन प्रसाद मिश्रा पुत्र महादेव प्रसाद मिश्रा निवासी बहोरेखा, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर संग्रह अमीन की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 26-3-97 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा श्रीमती सुशीला देवी की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पेंशन, ग्रेच्युटी बीमा–धनराशि जी० पी० एफ० तथा अन्य बकाया का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विधवा को नियुक्ति दिये जाने एवं संबंधित भुगतान कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे ? क्या सरकार इसमें विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं, मृतक की विधवा श्रीमती सुशीला देवी ने एक प्रार्थना-पत्र दि० 27-1-2000 को प्रस्तुत करते हुए अपनी अस्वस्थता के कारण राजकीय सेवा करने में असमर्थता व्यक्त की है । तथा मृतक

आश्रित में सेवायोजित किये जाने के संबंध में पूर्व में दिया गया प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया है। अतः श्रीमती सुशीला देवी की नियुक्ति नहीं की गयी।

पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान कर दिया गया है। बीमा धनराशि के भुगतान हेतु प्रपत्र तैयार कर बीमा निदेशालय लखनऊ भेज दिया गया है। जी०पी०एफ० भुगतान हेतु श्रीमती सुशीला देवी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 425"क" प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपर आयुक्त (वित्त) फैजाबाद द्वारा आगणन एवं जी०पी०एफ० पासबुक के परीक्षण/संस्तुति के पश्चात जी०पी०एफ० का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुशीला देवी द्वारा स्वयं सेवा करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। जी०पी०एफ० भुगतान हेतु प्रपत्र 425 "क" अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

विलम्ब के लिये श्रीमती सुशीला देवी स्वयं जिम्मेदार हैं। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोरखपुर तहसील सहजनवां के ग्राम–बलुआमाफी मंझरिया में चकबन्दी अधिकारी द्वारा फर्जी कब्जा दिलाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–बलुआमाफी मंझरिया, तहसील–सहजनवां, जिला–गोरखपुर के श्री तिलक पुत्र रघुवर गाटा सं०–37/2, 39/1, 80/2, 140 तथा राम दुलारे पुत्र सूर्यवली, रामदेव पुत्र सन्नू के गाटा सं०–16/1 पर राजेन्द्र यादव पुत्र कैलाश द्वारा चकबन्दी अधिकारी के फर्जी आदेश 2576 दिनांक 19-10-97 के तहत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, गोरखपुर द्वारा 4298/1905 व 4299/1906, दिनांक 7-11-98 निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में श्री तिलक, राम दुलारे व रामदेव को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? क्या फर्जी आदेश 2576 दिनांक 19-10-97 की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी के आख्यानुसार मामला विवादित है।

जी नहीं। चकबन्दी अधिकारी के प्रश्नगत आदेश दिनांक 19-10-97 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा स्थगित किया गया है। न्यायालय द्वारा मुकदमा अंतिम रूप से निर्णित होने पर कब्जा दिलाना सम्भव होगा।

वाद संख्या–2576 में पारित चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 19-10-97 के विरुद्ध अपील विचाराधीन है जिसका नियमानुसार निस्तारण हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक गौरा के ग्राम तबकलपुर में निजी मेडिकल कालेज खोलने हेतु प्राप्त भूखण्डों की जांच व भुगतान में अनियमितता

65–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक गौरा के ग्राम तबकलपुर में किसी निजी मेडिकल कालेज को ग्राम पंचायत की भूमि दी जा रही है ? यदि हां, तो भूमि का विवरण बाजार

मूल्य, भूमि प्रबन्धक समिति तबकलपुर का विधिक प्रस्ताव, भूखण्डों का विवरण सक्षम अधिकारी स्वीकृति का विवरण उसका बाजार दर से मूल्य एवं उसके भुगतान का विवरण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

ग्राम सभा तबकलपुर की 22 गाटाओं की 14.010 हेक्टेयर भूमि मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज तबकलपुर तहसील पट्टी प्रतापगढ़ को दिये जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति तबकलपुर द्वारा दिनांक 7-2-98 को किया गया है । उक्त भूमि का मूल्य 33, 62, 400/- रुपये होता है । ग्राम सभा तबकलपुर की गाटा संख्या–664,660क, 661,662,663,667, 766,767,768,769,770,773,772,774,780,790,795,796,797,799,823 तथा 825 ।

मूल्य की सूचना ऊपर अंकित है । भुगतान का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

राजस्व परिषद् में उप निदेशक (कृषि गणना) के पद हेतु चयन को लागू करने से लगी मा० उच्च न्यायालय की रोक के विरुद्ध प्रस्तुत प्रति शपथ पत्र समय से दाखिल न करने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् से संबंधित रिट याचिका संख्या–1114 (एस० बी०) सन् 1995 में मा० उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 द्वारा राजस्व परिषद् में उप निदेशक (कृषि गणना) के पद हेतु किये गये चयन को लागू करने से रोक दिया गया था और प्रति शपथ पत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया था ? यदि हां, तो उक्त याचिका के सम्बन्ध में प्रति शपथ-पत्र राजस्व परिषद् द्वारा कब दाखिल किया गया था ? क्या प्रति शपथ-पत्र समय से दाखिल किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

राजस्व परिषद् द्वारा प्रति शपथ-पत्र दिनांक 16-3-2000 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में दाखिल करा दिया गया है ।

प्रतिशपथ-पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और अब प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है । अतः शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला-हरदोई, तहसील सवायजपुर द्वारा अवैध कब्जा हटवाये जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

67–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ सिंह, स०वि०स० के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र जो उनके कार्यालय के पत्रांक–वी०आई०पी०/2265/आर०एम०/1999, दिनांक 6-8-99 द्वारा अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु भेजा गया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या अवैध कब्जा हटाए जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । संदर्भित पत्रांक–वी०आई०पी०–2265/आर०एस०/1999 दिनांक 6-8-99का नहीं है बल्कि दिनांक 16-8-99 का है, जो दिनांक 20-08-99 को जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

तहसीलदार, सैवायजपुर जिला हरदोई द्वारा दिनांक 30-12-99 को स्थानीय जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर 10-12 वर्ष से 12 परिवार झोपड़ी डालकर रह रहे हैं । चूंकि प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर है, इसलिए न्यायालय के आदेश से ही उन्हें बेदखल किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-सुल्तानपुर तहसील-गौरीगंज ग्राम सभा सोगरा,में पात्रता सूची न बनाने और बैठक के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कानूनगो तथा लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टा करने विषयक शिकायत पर जांच की मांग

68–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ ग्राम सभा सोगरा तहसील–गौरीगंज, सुल्तानपुर के बी० डी०सी०, उप प्रधान तथा सदस्य ग्राम सभा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-6-99 जिसमें पात्रता सूची न बनाने और बैठक के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कानूनगो तथा लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टा करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

नायब तहसीलदार गौरीगंज द्वारा जांच कराई गई । शिकायत असत्य पायी गयी और प्रस्ताव पर सदस्यों के हस्ताक्षर सही पाये गये ।

69–श्रीमती कृष्णा राज–

। दिनांक 5-1-2000 को अता० प्र० सं० 184 द्वारा उत्तरित ।

70–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जिला व तहसील मथुरा के गौर निताई सेवा समिति (गोवर्धन) राधा कुण्ड में भूमिहीनों को जमीन का पट्टा उपलब्ध करानें विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निताई गौर सेवा कमेटी गोवर्धन, तहसील व जिला मथुरा के भूमिहीनों के पट्टे उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सीएम०/वि०को०/एम–1/21957/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

तहसील व जिला मथुरा के गौर निताई सेवा समिति (गोवर्धन) राधा कुण्ड के सम्बन्ध में जांच करायी गयी जिसमें यह पाया गया कि बंगाली समुदाय के व्यक्ति अपने समुदाय के व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित कराना चाहते हैं। यह समस्त पश्चिमी बंगाल के निवासी है तथा गौवर्धन व राधा कुण्ड स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। यहां के मूल निवासी न होने के कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। अतः उन्हें आवास स्थल आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बदायूं, में विकास खण्ड अम्बियापुर, ग्राम पंचायत ढंढूसर में निर्मित पंचायत भवन मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराने की शिकायत एवं दोषी प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72–श्री भोला शकंर मौर्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–25 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राजमंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान ढंढूसर विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं को पंचायत भवन निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण न कराने हेतु दोषी प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

ग्राम पंचायत ढंढूसर, विकास खण्ड अम्बियापुर का पंचायत भवन निर्माणाधीन है। निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रधान को निर्देशित कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विभाग के अधीनस्थ वी० पी० संस्थान बादशाहबाग, लखनऊ में सप्लायरों व ठेकेदारों के लम्बित भुगतान की मांग

73–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग के अधीनस्थ वी० पी० संस्थान बादशाहबाग, लखनऊ में कितने वर्षों से तथा किन कारणों से सप्लायरों व ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या भुगतान न होने के कारण पशुओं के वैक्सीन उत्पादन में निरन्तर गिरावट आती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु हित व जनहित में वैक्सीन उत्पादन को प्रभावी बनाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

विगत वर्ष तक का कोई भुगतान लम्बित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मथुरा में लहरीलीघाट ग्राम सभा के पंचायत घर के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती इन्द्रवती, प्रधान ग्राम सभा लहरीलीघाट के पत्र में दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 के आदेश को निरस्त करने एवं पंचायत घर के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सी० डी० ओ० मथुरा के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम/22032/मथुरा/99, दिनांक 8-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

माननीय विधायक कोष्ठक के पत्र में संदर्भित प्रश्न जिसमें आदेश दिनांक 18-12-98 को निरस्त करने हेतु लिखा गया है के क्रम में बताना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्रांक 1036/पं०/सात/सामान्य, दिनांक 28-12-98 द्वारा ग्राम-पंचायत लहरीलीघाट के खातों पर रोक लगाई गई थी जो जांचोपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्रांक 109/पंचायत/सात, दिनांक 6-5-99 द्वारा हटा ली गयी थी । पुनः दुरुपयोग की आशंका के कारण तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र संख्या–149/पंचायत/सात/सामान्य, दिनांक 22-5-99 द्वारा रोक लगाई गई है । जिसके उपरान्त प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, बल्देव के माध्यम से कराई गई । जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर प्रधान को निर्दोष मानते हुए प्रधान के खाते पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया । इसके उपरान्त अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं सहायक विकास अधिकारी, (पं०) द्वारा दिनांक 6-1-2000 को प्रस्तुत आख्या के अनुसार पंचायत घर निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि–72,000.00 रुपये के सापेक्ष रु०–62,000.00 ही व्यय होना पाया गया है । इस कारण पंचायत भवन में प्लास्टर, फर्श एवं छत पर सीमेंटिंग का कार्य बाकी है । जो ग्राम पंचायत में अवशेष उपलब्ध धनराशि से करा लिया जायेगा । तकनीकी आख्या के अनुसार ईंट की गुणवत्ता ठीक है व कार्य औसत दर्जे का पाया गया ।

आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा के ग्राम प्रधान एवं उप प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं रास्तों का धन प्राप्त कर कब्जा कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान एवं उप प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं रास्तों का धन लेकर कब्जा कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि० को०/एम/22148/मथुरा/99, दिनांक 6-4-99 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मथुरा के चकबंदी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत सम्बन्धी विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कृत कार्यवाही

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–1/21764/मथुरा/99, दिनांक 28-3-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र की बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, मथुरा द्वारा जांच की गयी । जांच में प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पाया गया । शिकायतकर्ता का विवाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी,

मथुरा के न्यायालय में अपील स्तर पर विचाराधीन है । बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को वाद के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा, विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम-सकरवां में चकबन्दी कराये जाने सम्बन्धी विधायक कोष्ठक का दिया गया पत्र/कृत कार्यवाही

77–श्री अजय कुमार पोइंया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम-सकरवां में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–1/21961/ मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

चकबंदी निदेशालय से प्रश्नगत ग्राम को जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबंदी क्रियाओं से पृथक करने की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है ।

पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के लघु पशु गृह में वैक्सीन उत्पादन हेतु पशुओं के पालन की व्यवस्था

78–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के लघु पशु गृह में कितने वैक्सीन उत्पादन हेतु पशुओं का पालन किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि निरंन्तर पशुओं की संख्या में गिरावट आती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अपर निदेशक के पद को कई वर्षों से नहीं भरा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अपर निदेशक के पद को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कुल 1046 पशुओं का पालन किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

अपर निदेशक स्तर का अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त है ।

चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग के परामर्श से की जा रही है ।

पशु जैविक औषधि संस्थान बादशाहबाग लखनऊ में अपर निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

79–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि पशु जैविक औषधि संस्थान बादशाहबाग लखनऊ में अपर निदेशक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग के परामर्श से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बुलन्दशहर खुरजा, की अनाज मण्डी, दुकानों में चलने के कारण, मण्डी भवन के निर्माण की मांग

80-श्री हरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि खुरजा (बुलन्दशहर) की अनाज मण्डी नगर के मध्य व्यक्तिगत दुकानों में चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मण्डी भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

चयनित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय में लेखा/लिपिक संवर्ग के रिक्त पदों पर दैनिक श्रमिकों को नियमित करने की मांग

81–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि निदेशालय के पत्रांक दै० श्र० (11)/1556 दिनांक 8-6-98 द्वारा लेखा/लिपिक संवर्ग में 497 पद रिक्त हैं तथा 149 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या 2/1/97–का०–2–1998, दिनांक 9-7-98 के अनुसार दैनिक श्रमिक को विनियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

समूह (ग) के जिन संवर्ग के पदों पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं उन संवर्गों के पद रिक्त नहीं हैं ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की चकरोडों पर सीमा स्तम्भ लगाने तथा अवैध कब्जा हटवाने की मांग

82–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकरोडों पर सीमांकन स्तम्भ 30 जून, 1999 तक लगाने के जारी किये गये निर्देश के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के कितने चकरोडों के सीमांकन स्तम्भ अब तक लगाये गये हैं ? क्या सरकार जिन-जिन चकरोडों पर अब तक अवैध कब्जा को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 33 चकरोडों पर सीमा स्तम्भ लगाये गये हैं ।

जिन चकरोडों पर अवैध कब्जे प्रकाश में आये हैं, उन चकरोडों से अवैध कब्जा हटवा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

83–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जिला मथुरा, तहसील मांट, ग्राम-मीरपुर, की कच्ची सड़क की जमीन में से कुछ भूखण्ड को अनियमित रूप से किराये/पट्टे पर दिये जाने सम्बन्धी पत्र एवं कृत कार्यवाही

84–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–मीरपुर, तह० मांट जिला मथुरा की कच्ची सड़क की जमीन में से 30x200 फुट के भूखण्ड को अनियमित रूप से किराये/पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–I/23676/ मथुरा/99, दिनांक 24-5-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

85–श्रीमती कृष्णा राज–

[1 ले शुक्रवार में अता० प्र० सं–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद कुशीनगर तहसील तमकुहीराज, ग्राम लक्ष्मीपुर बाबू की आबादी भूमि पर पात्र व्यक्तियों को कब्जा न दिये जाने की शिकायत, ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

86–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत ग्राम-लक्ष्मीपुर बाबू, तहसील–तमकुहीराज में आबादी भूमि संख्या : 423 (रकबा 0.27डि०) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आवास हेतु सुरक्षित हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा उक्त भूमि को पट्टे पर न देकर अनियमित रूप से अपात्र व्यक्तियों को कब्जा करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

87–श्री मो० मुकीम–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद हरदोई, ग्राम पंचायत काजीपुर विकास खण्ड बेंहदर, ग्राम व बधुवामऊ में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में अनियमितता तथा आवंटियों को ही भूमि प्रदान की मांग

88–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत काजीपुर वि०खं० बेंहदर व ग्राम पंचायत बधुवामऊ वि०खं० सन्डीला तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में वर्ष 1998 में दी गई भूमि पर पट्टेदारों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी तथा आवंटित व्यक्तियों को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम पंचायत काजीपुर परगना व तहसील सण्डीला हरदोई में वर्ष 1998 में कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी गयी है ।

ग्राम बधुवामऊ, परगना व तहसील सण्डीला में वर्ष 1998 में 192 व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें से 144 पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया है । ग्राम बधुवामऊ के 48 पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि शिकायत प्राप्त होने पर जांच के दौरान पट्टे अनियमित पाये गये जिनके निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

किसी व्यक्ति का पट्टेदारों की आवंटित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं है, मौके पर पट्टेदार आवंटित भूमि पर काबिज हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, तहसील संडीला, ग्राम सन्तोखा, काजीपुर में अनाधिकृत रूप से चल रही शराब की दुकान हटाने की मांग

89–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में वर्तमान समय में अवैध रूप से शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम सन्तोखा, काजीपुर में प्रा० पाठशाला के पास देशी शराब का ठेका अनधिकृत रूप से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी अवैध शराब दुकानों को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिलाधिकारी हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में शराब की कोई दुकान अवैध रूप से नहीं चलायी जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर में अति वृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की सहायतार्थ पात्र व्यक्तियों को अनुदान न मिलने का कारण एवं पात्रों को अनुदान दिलाने की मांग

90–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष 1998 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से तहसील मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद के अन्तर्गत कितने लोगों के मकान गिर गये थे ? क्या यह सही है कि उनमें से

अधिकांश लोग गृह अनुदान से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गत वर्ष 1998 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद में आवासीय एवं गैर आवासीय कुल 2153 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे जिसमें केवल 1447 मकान आवासीय थे। कोई भी पात्र व्यक्ति गृह अनुदान पाने से वंचित नहीं है।

जिला फैजाबाद, तहसील, बीकापुर व मिल्कीपुर में तकावी खाद, बीज किसानों को देने तथा उसे माफ करने के बाद पुनः ब्याज सहित वसूलने का कारण

91–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1980 में पूरे प्रदेश में बाढ़ एवं अति वर्षा से भारी तबाही के उपरान्त तहसील मिल्कीपुर व बीकापुर जनपद फैजाबाद में गरीब किसानों को कुछ तकावी, खाद तथा बीज के लिये दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सरकार द्वारा इस प्रकार के कर्जों को माफ कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते यह कर्जा माफ नहीं हो पाया ? क्या तहसील बीकापुर व मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में भारी ब्याज के साथ सख्ती से इसकी वसूली की जा रही है ? क्या सरकार जाँच करवाकर पात्र व्यक्तियों को कर्ज माफी का लाभ प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। वर्ष 1980 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण तहसील बीकापुर के प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 8-11-80 को रु० 60,000/- तकावी मद से वितरित की गई है।

जी नहीं।

जी नहीं।

वितरित की गई तकावी राशि माफ न किये जाने के कारण नियमानुसार देय ब्याज एवं मूलधन की वसूली की जा रही है।

वर्ष 1980 में बाढ़ के दौरान कर्जा माफ किये जाने का निर्णय न लिये जाने के कारण कर्ज माफी का लाभ प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मैनपुरी की तहसील–भोगांव, बेवर "ग्राम गड़ेरा" मौजा भल्लाई का नाम "अशोक नगर" परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र, पत्रांक ख-2 नं०-495485 दिनांक 22-4-99 जो ग्राम "गड़ेरा" मौजा भल्लाई पर बेवर तहसील-भोगांव जनपद–मैनपुरी का नाम "अशोक नगर" में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

विचारोपरान्त नाम परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला में 1976 में आवंटित भूमि पर कतिपय लोगों को कब्जा देने तथा कमला शंकर को कब्जा दिलाने की मांग

93-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत रिठवें विकास खण्ड बेंहदर, तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में वर्ष 1976 में शिवदीन पुत्र केदार, पुत्तान, राजेश, राजेन्द्र पुत्रगण देवीदीन, नन्हा पुत्र महमूद अली, हीरालाल पुत्र कल्लू को तथा वर्ष 1988 में कमला शंकर पुत्र सूरजबली को पट्टे पर आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त पट्टेदारों को कब्जा कब तक दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

वर्ष 1976 में प्रश्नगत व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया है, वर्ष 1988 में कमला शंकर पुत्र सूरजबली को पट्टे पर आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है।

न्यायालय जिला उप संचालक चकबन्दी, हरदोई द्वारा दिनांक 8-5-97 को कब्जा न दिए जाने के आदेश पारित किये गये हैं जिसके कारण कमला शंकर पुत्र सूरजबली को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय जिला-उप संचालक (चकबंदी) में विचाराधीन है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

94-श्री छोटे लाल गंगवार-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जिला जौनपुर, तहसील केराकत, परगना बयालसी ग्राम लालपुर में चक मार्ग जो भूचित्र में मौजूद नहीं है पुनः सीमांकन करके मार्ग निर्धारित करने की मांग

95-श्री जगदीश नारायण-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-लालपुर, परगना-बयालसी, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर स्थित चक मार्ग नम्बर-857 व 858 क्या मौके पर मौजूद है ? यदि नहीं, तो क्या पुनः उसका सीमांकन करके पुनः मार्ग का निर्धारण किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

प्रश्नगत चकमार्ग सं०-858 मौके पर बन्दोवस्ती भूचित्र के अनुसार मौजूद है। परन्तु चक मार्ग सं० 857 मौजूद नहीं है। बल्कि मौके पर रास्ते के रूप में थोड़ा पश्चिम हटकर 15 कड़ी की चौड़ाई में मौजूद है जिससे सुगम आवागमन जारी है।

चक मार्ग सं० 857 के पूर्व तरफ स्थित काश्तकारों जयबरन आदि द्वारा अपनी आराजियत के भूचित्र संशोधन का वाद न्यायालय अपर जिलाधिकारी जौनपुर में वाद सं० 166/1999-2000 अन्तर्गत धारा 29 भूराजस्व अधि० दाखिल किया गया है जिसमें मौके पर अगली तिथि तक यथास्थिति कायम रखने का आदेश भी न्यायालय ने दिनांक 24-7-99 को पारित किया है। स्थगनादेश होने एवं वाद लम्बित रहने के कारण अभी सीमांकन सम्भव नहीं है।

96-श्री सीताराम निषाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, आगरा के उपनिदेशक के विरुद्ध अनियमितता भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र/कार्यवाही की जानकारी

97–श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, आगरा के उपनिदेशक श्री ए० के० सिंह के विरुद्ध अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग के गम्भीर आरोपों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-5-99 को मुख्य मंत्री जी को शिकायत पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां । दिनांक 28 मई, 1999 को पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ को जांच के आदेश निर्गत किये गये हैं । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में देशी/विदेशी शराब हेतु प्रदत्त लाइसेन्स के अन्तर्गत अम्बेडकर गांवों में खोली गयी दुकानों को बन्द करने की मांग

98–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–फतेहपुर में कितनी अंग्रेजी शराब एवं देशी शराब की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ? क्या अम्बेडकर ग्रामों में भी शराब की दुकानें संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या अम्बेडकर ग्राम की शराब की दुकाने बन्द की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1999-2000 हेतु अंग्रेजी (विदेशी) शराब की 25 एवं देशी शराब की 161 दुकानों के लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1996-97 तक अम्बेडकर ग्रामों के रूप में चयनित किये गये जिन ग्रामों से मदिरा की दुकानें हटा ली गई थीं, उन ग्रामों में पुनः दुकानें नहीं खोली जायेंगी और वर्ष 1997-98 तथा उसके बाद के वर्षों में अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये ग्रामों में मदिरा की दुकानें स्थापित किये जाने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा । जनपद फतेहपुर में वर्ष 1996-97 तक चयनित 4 अम्बेडकर ग्रामों में स्थित मदिरा की दुकानों को पूर्व में स्थानान्तरित नहीं किया गया था, इसलिये यह दुकानें वर्तमान नीति के अन्तर्गत अभी भी चल रही हैं ।

99–श्री सीताराम निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

100–श्री सीताराम निषाद– .

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

101–श्री सीताराम निषाद–

[दिनांक 5-1-2000 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती तहसील हरैया ग्राम रिधौरा, तप्पा बेलवा में सरकार बनाम परमेश्वरनाथ आदि के निर्णय के अनुपालन में विलम्ब का औचित्य

102–श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–24 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्णय दिनांक 17-12-89 का अनुपालन दिनांक 22-1-99 को लगभग 9 वर्ष विलम्ब से किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या इस कारण रु० दो हजार प्रति वर्ष की क्षति हुई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

निर्णय दिनांक 17-12-89 का अनुपालन जोत चकबन्दी अधिनियम 109–अ के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया । विलम्ब से अनुपालन करने का मुख्य कारण यह है कि आवेदिका द्वारा 5 वर्ष के उपरान्त दिनांक 5-3-99 को नियम 109–अ के अन्तर्गत अपना प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत किया ।

जी नहीं ।

इस प्रकरण में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाया जाना स्पष्ट नहीं होता है, इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बदायूं विकास खण्ड अम्बियापुर ग्राम पंचायत सिरकौल के ग्राम प्रधान द्वारा गबन/दुरुपयोग में दोषी पाये जाने तथा उस राशि को सरकारी खजाने में जमा करने विषयक जानकारी

103–श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–96 के उत्तर के संबंध में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सिरकौल, विकास खण्ड अम्बियापुर, जनपद बदायूं के ग्राम प्रधान को रु० 85,299/- की धनराशि के गबन व दुरुपयोग हेतु दोषी पाया गया था ? क्या शासन ने उक्त धनराशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं, को आदेश दिया था ? यदि हां, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं द्वारा उक्त धनराशि को सरकारी कोष में जमा न कराने के क्या कारण हैं ? दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां (प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण/निर्माणाधीन कार्यों के मूल्यांकन में रु० 85,229.00 का अन्तर पाया गया, जिसमें से प्रधान ने रु० 80,080.00 का निर्माण कार्य कराकर, अवशेष धनराशि रु० 5,149.00 गांव निधि में जमा कर दी है ।)

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं

जनपद बदायूं विकास खण्ड बिसौली ग्राम पंचायत परौली के प्रधान को पंचायत भवन निर्माण के आदेश के बावजूद भवन का न बनाये जाने का कारण/बनाने की मांग

104–श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत परौली, विकास खण्ड बिसौली, जनपद बदायूं के प्रधान को पंचायत भवन को तीन माह में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं । प्रधान ने अवगत कराया है कि तत्कालीन राज्य मंत्री श्री भोला शंकर मौर्य द्वारा ग्राम पंचायत के चयनित स्थल के विपरीत अन्य स्थल पर शिलान्यास हुआ था व इसी मतान्तर के कारण पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका ।

जिलाधिकारी, बदायूं से उत्तरदायित्व निर्धारण कराया जा रहा है ।

105–श्री भारत सिंह रावत–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–181 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक टंककों के विनियमितीकरण की मांग

106–डा० अशोक वाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यालयों में अनेक दैनिक टंकक कर्मचारी गत कई वर्षों से कार्यरत हैं ? इन दैनिक टंककों को नियमित न करने के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि लखनऊ मण्डल में कई सेवानिवृत्त हो गये कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उन रिक्त पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

लखनऊ मण्डल में कार्यरत अवशेष चार दैनिक टंककों का विनियमितीकरण कर नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जी हां ।

नियुक्ति हो चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम नकधर में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़क संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही

107–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर, 1999 के तीसरे सप्ताह में जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम नकधर में वर्ष 1998-99 में मंडी समिति द्वारा निर्माण की गयी सड़क के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

शिकायती-पत्र में निहित शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई मल्लावां क्षेत्र में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की मांग

108–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा प्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये एक वर्ष का सन्देश में निहित खेतों पर निर्भरता कम करके विकल्प खोजने के लिये औद्योगिकीकरण की नयी रणनीति का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसके अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के लिये कोई औद्योगीकरण की नीति बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद की भांति जनपद हरदोई भी आच्छादित है। जनपद हरदोई में वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित 450 लक्ष्यों के विपरीत माह फरवरी, 2000 तक कुल 413 लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हो चुकी है तथा 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 35 लक्ष्य के विपरीत अब तक 29 लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हो चुकी है।

109–श्री अब्दुल मन्नान–

[दिनांक 5-1-2000 को अता०प्र०सं०–178 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के ग्राम–परवरपारा, तहसील–हर्रैया का वर्तमान समय में रकबा खितौनी सन् 1381-86 फ० का आधार, पैमाइश करके सही स्थान पर भू० चित्र में अंकित करने की मांग

110–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम परवरपारा, तहसील–हर्रैया, जनपद–बस्ती का वर्तमान समय में रकबा खतौनी सन् 1381–86 फ० क्या आधार वर्ष के खसरा में दर्शाये गये क्षेत्रफल के अनुसार है ? क्या चकबन्दी विभाग द्वारा ग्राम मानचित्र में दर्शाये गये चकरोड सेक्टर स्थल पर बनाये गये नक्शे के अनुसार हैं ? क्या विपरीत दिशा से पैमाइश करने पर चकरोड एवं सेक्टर अपने स्थान पर सही नहीं मिलते हैं ? यदि हां, तो क्या विपरीत दिशाओं से पैमाइश करके कोई निश्चित स्थान बनाकर चकरोड एवं सेक्टर को सही स्थान पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि किसी भी दिशा से पैमाइश करने पर चकरोड एवं सेक्टर रोड सही मिलते हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ पर दुग्ध उत्पादन समितियों के सदस्यों की बकाया धनराशि शीघ्र भुगतान की मांग

111–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ पर दुग्ध उत्पादन समितियों के सदस्यों का अस्सी लाख रुपये बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुग्ध उत्पादकों का भुगतान शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी नहीं । दुग्ध संघ से प्राप्त सूचनानुसार उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर दिनांक 21-10-1999 तक दो सप्ताह के दुग्ध मूल्य का भुगतान मात्र रु० 29.00 लाख बाकी था ।

दुग्ध मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला नैनीताल तहसील हल्द्वानी के सीजनल संग्रह अमीनों व चपरासियों को नया वेतनमान देने की मांग

112–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के अन्तर्गत तहसील हल्द्वानी के सीजनल संग्रह अमीनों व चपरासियों को नया वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त तहसील के कर्मियों को नया वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । राजस्व परिषद् द्वारा अपनी फुल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सीजनल संग्रह अमीनों को नियमानुसार वर्तमान में जो वेतनमान नियमित अमीनों को दिये जा रहे हैं, वे दिये जाते रहेंगे । उक्त निर्णय से अवगत होने हेतु जिलाधिकारियों को अलग से परिषदादेश भेजा रहा है । जिलाधिकारियों को परिषदादेश प्राप्त होने पर नियमित अमीनों को प्राप्त होने वाला वर्तमान वेतनमान सीजनल संग्रह अमीनों को भी मिल जायेगा ।

जनपद बदायूं की विकास खण्ड अम्बियापुर विकास खण्ड बिसौली में पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये विकास कार्यों में पायी गयी अनियमितता के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

113–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत सिरसौल, विकास खण्ड, अम्बियापुर, ग्राम पंचायत पहाड़पुर, ग्राम पंचायत ढडूमर, ग्राम पंचायत धमौसी, विकास खण्ड अम्बियापुर तथा ग्राम पंचायत परौली, विकास खण्ड बिसौली में पंचायती राज विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र के क्रम में जिलाधिकारी बदायूं के पत्र

संख्या–77/आ०ले०/म० प०/99–200 दिनांक 12 अगस्त, 1991 पर मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं को आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

प्रधान, ग्राम पंचायत, सिरततौल विकास खण्ड अम्बियापुर द्वारा मूल्यांकन में अन्तर की अवशेष धनराशि रु० 5149.00 को गांव निधि में जमा कर दी गयी है। प्रधान ग्राम पंचायत, पहाड़पुर द्वारा कराये गये कार्यों की मूल्यांकन के आधार पर अन्तर की धनराशि अंकन रु० 18,284.00 को गांव निधि में जमा कराने हेतु वसूली आदेश जारी किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायत ढड्मर के प्रधान को मानक के अनुसार पंचायत भवन को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रधान ग्राम पंचायत धमौसी द्वारा कराये निर्माण कार्यों में कमी की धनराशि रु० 53,946.00 को गांव निधि में जमा कराने के वसूली आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रधान ग्राम पंचायत परौली विकास खण्ड बिसौली द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन राज्य मंत्री श्री भोला शंकर मौर्य ने ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव के विपरीत अन्य स्थान पर शिलान्यास कर दिया। इस कारण से प्रधान द्वारा पंचायत भवन का निर्माण नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, ग्राम हसनपुर ज्यूली के निवासी राजा बक्श सिंह की जमीन का अधिग्रहण तथा मुआवजा की मांग

114–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर ज्यूली के निवासी राजा बक्श सिंह पुत्र सोबरन सिंह की जमीन सीलिंग में शासन द्वारा वर्ष 1969 में अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक शासन द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक इन्हें मुआवजा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर ज्यूली के निवासी राजा बक्श सिंह पुत्र सोबरन सिंह की जमीन सीलिंग में वर्ष 1969 में अधिग्रहीत नहीं की गयी बल्कि उनके पिता श्री सोबरन सिंह पुत्र श्री मेहरवान सिंह की भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी सीलिंग के आदेश दिनांक 27-10-79 द्वारा अतिरिक्त घोषित की गयी है। सीलिंग खातेदार की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप खातेदार के उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह व राजा बक्श सिंह को राज्य सरकार के पक्ष में ली गयी भूमि के संबंध में प्रतिकर भुगतान करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु खातेदार के उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाना संभव न हो पाया। श्री सोबरन सिंह पुत्र श्री मेहरवान सिंह के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर भुगतान के प्रपत्र तैयार कर लिये गये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आवंटन प्राप्त करके प्रतिकर भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम बहलोलपुर तथा सराय मारूफ के पुराने कब्रिस्तान को राजस्व अभिलेखानुसार उन ग्रामों में दर्ज करने की मांग

115-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम बहलोलपुर तथा सराय मारूफ में पुराने कब्रिस्तान मौजूद है ? क्या शासन द्वारा जिन स्थानों पर पुराने

कब्रे है उनको राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अन्तर्गत उक्त ग्रामों में कब्रिस्तान दर्ज कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सन्त रविदासनगर, ज्ञानपुर क्षेत्र में पंचायती राज द्वारा कराये गये कार्यों तथा व्यय धनराशि की जानकारी, फर्जी कार्य दिखाकर पैसा हड़प करने की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

116–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में 1996-97, 1997-98, 1998-99 में पंचायती राज विभाग द्वारा किन-किन मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि कटरा बाजार, कुटिया से शिवसेवक पट्टी तक बनाये गये खड़न्जों में निम्न स्तर की ईंटों का प्रयोग किया गया है तथा मिट्टी का कार्य फर्जी दिखाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिला पंचायत सन्त रविदासनगर द्वारा विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण एवं जिला पंचायत भवन का निर्माण ।	1996-97	7,21,200
दशम् वित्त आयोग	1996-97	11,00,470
जवाहर रोजगार योजना	1996-97	75,000
दशम् वित्त आयोग	1997-98	5,50,000
राज्य वित्त आयोग	1997-98	1,31,250
राज्य वित्त आयोग	1998-99	29,16,400
	कुल योग	54,94,320

पूर्व में इस प्रकार की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आयी ।

मा० विधायक से शिकायतों संबंधी औपचारिक पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर जांच कराने संबंधी निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1991-92 में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का मामला

117–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1991-92 में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रीय विद्यालय एक किराये के भवन में चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है ? क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय को भूमि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

सरोजनी वाटिका स्थित मोहल्ला सिविल लाइन सीतापुर में गाटा संख्या–573/1 रकबा 4.00 एकड़ भूमि निःशुल्क केन्द्रीय विद्यालय के भवन हेतु जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान समय में केन्द्रीय विद्यालय राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, सीतापुर के भवन में चलाया जा रहा है। उक्त भवन जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश संख्या : 1816–18 दिनांक 16-12-92 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय को अग्रिम आदेश तक के लिये आवंटित किया गया है।

उपरोक्तानुसार केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में मण्डी परिषद् द्वारा गत वर्षों में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को पुनः बनाने की मांग

118–श्री रमेश राही–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सीतापुर में मण्डी परिषद् द्वारा गत वर्षों में निर्मित पेटेन्ट सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? क्या यह सही है कि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया जा रहा है ? क्या मंत्री जी क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः लेपन (डामर) कार्य कराये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

मण्डी समिति से विधिवत पारित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजरिया, लखनऊ के डा० आर० आर० शर्मा द्वारा मकान भत्ता लेने विषयक शिकायती-पत्र पर जांच

119-श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजरिया, लखनऊ में मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत डा० आर० आर० शर्मा द्वारा प्रबन्धक के आवास को

अतिथि गृह दर्शाकर विगत दो वर्षों से मकान किराया भत्ता लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या इस हेतु डा० शर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री फागू चौहान–

डा० आर०आर० शर्मा, लखनऊ स्थित अपने निजी आवास में रहते हैं। प्रक्षेत्र पर या कोई सरकारी आवास इनको आवंटित नहीं है, अतः यह मकान किराया प्राप्त करते हैं। इनके विरुद्ध लगाए गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

जनपद लखनऊ राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक, गजरिया में विकास की योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन/व्यय की अनियमितता की जांच/कृत कार्यवाही की जानकारी

120-श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजरिया में भारवाहक पशुओं के विकास की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में स्वीकृत भूमि सुधार हेतु रु० 50 हजार को मुख्य तकनीकी अधिकारी डा० शर्मा द्वारा अनुरक्षण मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? उक्त धनराशि अब तक अप्रयुक्त क्यों पड़ी रही ? क्या उक्त अनियमित कार्य हेतु डा० शर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में अन्य व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत रु० 50,000/–की धनराशि वर्ष 1998 तथा 1999 में व्यय की गई है।

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गयी है। जांच आख्या में उक्त शिकायत आंशिक रूप से सत्य पायी गयी है जिस हेतु डा० शर्मा को लिखित चेतावनी दे दी गयी है।

लखनऊ राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र के मुख्य तकनीकी अधिकारी, श्री आर० के० शर्मा की वरिष्ठता के क्रम में प्रबन्धक के पद पर तैनाती का औचित्य

121–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र के मुख्य तकनीकी अधिकारी (क्षेत्र प्रबन्धक) डा० आर०आर० शर्मा पशु चिकित्सा संवर्ग में एक अधिकारी है ? क्या यह सही है कि उनका वर्तमान पद प्रबन्धक चक गजरिया प्रक्षेत्र मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है। मुख्य तकनीकी अधिकारी (क्षेत्र प्रबन्धक) के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या उनकी तैनाती उनके संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता को नजर अन्दाज करते हुये की गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

प्रश्नांकित सभी पद समान वेतनमान के हैं।

जी हां, परन्तु यह तैनाती जनहित में की गई है।

122–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जिला फतेहपुर में घोषित अम्बेडकर ग्रामों में शराब की दुकानों के लाइसेन्स निरस्त करने की मांग

123–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नरैनी, असोधर, धरमपुर, सांतो सुल्तानपुर, खखरेरू, धाता, टेनी, हथगाम, सिठौरा, इटैली, शाहगाजीपुर, जिला फतेहपुर के घोषित अम्बेडकर ग्रामों में शराब की दुकानें चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकानों के लाइसेन्सों को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अम्बेडकर ग्राम नरैनी, असोधर, टेनी, सिठौरा, शाह तथा सांतों, सुल्तानपुर में शराब की दुकानें नहीं चल रही है ।

परन्तु अम्बेडकर ग्राम इटैली, सांतो धरमपुर, धाता, खखरेरू एवं गाजीपुर में शराब की दुकानें चल रही हैं । ग्राम हथगांव अम्बेडकर ग्राम नहीं है ।

जी नहीं । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1996-97 तक अम्बेडकर ग्रामों के रूप में चयनित किये गये जिन ग्रामों से मदिरा की दुकानें हटा ली गयी थी, उन ग्रामों में पुनः दुकानें नहीं खोली जायेंगी और वर्ष 1997-98 तथा उसके बाद के वर्षों में अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये ग्रामों में मदिरा की दुकानें स्थापित किये जाने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा । जनपद फतेहपुर में ग्राम सांतों धरमपुर, धाता, खखरेरू एवं गाजीपुर में वर्ष 1996-97 के एवं ग्राम इटैली वर्ष 1990-91 के चयनित अम्बेडकर ग्राम हैं, किन्तु उनमें स्थित शराब की दुकानें पूर्व में हटाई नहीं गयी थीं, जिस कारण इन ग्रामों में शराब की दुकानें वर्तमान नीति के अनुसार अभी भी संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर में अस्थायी/सीजनल संग्रह अमीनों के पदों पर नियुक्तियों की सूची/विनियमितीकरण करने की मांग

124–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या मेमों मु० रा० लो० परीक्षाफल दि० 27-4-86 द्वारा संग्रह अमीनों के लिए हुई परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के आधार पर बनी चयनित सूची के क्रम संख्या–58, 60, 73, 81, 87, 103 आदि को संग्रह अमीनों के पदों पर विनियमित कर दिया गया है परन्तु उक्त सूची के क्रम संख्या–21, 24, 51, 56, 57, 59, 62, 63 पर उल्लिखित कर्मचारियों को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण किस तिथि तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अस्थायी/सीजनल संग्रह अमीनों के पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 24-5-86 को कुल 186 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी ।

दिनांक 24-5-86 को तैयार की गई सूची के क्रमांक 38 श्री कालिका प्रसाद की नियुक्ति संग्रह अमीन के पद पर नहीं की गई है । क्रमांक–60 श्री वासुदेव यादव पिछड़ी जाति, क्रमांक–73 श्री खिलाड़ी राम, अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने के फलस्वरूप नियमित संग्रह अमीन के पद पर संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये थे । क्रमांक–81 श्री राममणि उपाध्याय व क्रमांक–87 श्री दरगाही

सिंह को मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के अंतरिम आदेश के अनुपालन में नियमित पद पर नियुक्त किया गया है । क्रमांक–103 पर श्री त्रियुगी नरायन पाण्डेय को तहसील गौरीगंज में संग्रह अमीन के नियमित पद रिक्त होने पर नियुक्ति की गई है । क्रमांक–60 श्री वासुदेव व क्रमांक 103 श्री त्रियुगी नरायन पाण्डेय को गबन के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया है । सूची के क्रमांक–21 श्री प्रताप नरायन पाण्डेय, क्रमांक–51 श्री दीपेन्द्र प्रताप तिवारी, क्रमांक–57. श्री धर्मेन्द्र नाथ तिवारी, क्रमांक–62 श्री निर्भय नरायन, क्रमांक 63 श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सामयिक संग्रह अमीन के पद पर वसूली मानक के अनुसार संतोषजनक नहीं रही इसलिये उन्हें सामयिक संग्रह अमीन के पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया गया । क्रमांक–59 श्री तेज बहादुर सिंह की मृत्यु हो गयी इसलिये उन्हें नियुक्ति देने का प्रश्न ही नही है । क्रमांक–24 के श्री मो० उस्मान अन्सारी दिनांक 2-2-2000 को हुई चयन की कार्यवाही में श्रेष्ठता के आधार पर चयनित नहीं हो सके जिससे इनकी नियमित पद पर नियुक्ति नहीं हुई, ये सामयिक संग्रह अमीन के पद पर कार्य कर रहे हैं । क्रमांक–56 पर अंकित श्री देवता प्रसाद शुक्ल को चयन कार्यवाही में श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति द्वारा दिनांक 2-2-2000 को चयनित कर लिया गया, इनकी नियुक्ति नियमित पद पर कर दी गयी है । यहां यह उल्लेखनीय है कि उ० प्र० कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1992 एवं परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशानुसार ज्येष्ठता के साथ-साथ सीजनल कलेक्शन अमीनों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 4 फसली वर्ष में सर्वाधिक वसूली करने वालों को ही श्रेष्ठता के आधार पर नियमित पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है । इस प्रकार नियमित नियुक्ति के लिए वरिष्ठता ही पर्याप्त नहीं है अपितु निर्धारित मानक के अनुसार वसूली कर श्रेष्ठता सिद्ध करना भी आवश्यक है । उ० प्र० कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1992 एवं राजस्व परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशानुसार दिनांक 2-2-2000 को चयन समिति का गठन करके श्रेष्ठता के आधार पर वरीयता क्रम में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को नियमित रिक्ति में शासन की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए 3 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति तथा 2 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का चयन कर नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नियमित पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

कृषि विभाग, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

125–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग, लखनऊ के कतिपय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम० वि० को०/एम–1/26239/मथुरा/99. दिनांक 12-8-99. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

दैनिक वेतनभोगी विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी टंकक समूह ''ग'' के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता क्रम में रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियमानुसार निदेशालय के पत्र सं०–मु०प्र०/4750/है, दिनांक 21-12-99 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), लखनऊ मण्डल द्वारा मण्डल में कार्यरत अवशेष चार दैनिक वेतनभोगी टंककों का विनियमितीकरण कर नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

उन्नाव, भूमि संरक्षण इकाई, गोमती परियोजना में पक्के कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन कराने की मांग

126–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई गोमती उन्नाव परियोजना भाटनखेड़ा प्रथम व द्वितीय वाहवा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, शिवदीन खेड़ा, वासदेव खेड़ा में पक्के कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्यों की तकनीकी स्तर पर सत्यापन किसी अन्य संस्था से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

परियोजना भाटनखेड़ा–प्रथम व द्वितीय, वाहवा–प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, शिवदीनखेड़ा, वासुदेव खेड़ा में पक्के कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्यों का तकनीकी स्तर पर शत-प्रतिशत सत्यापन विभागीय स्तर पर करायी जा चुकी है । जिसकी विभागीय जांच आख्या मा० प्रश्नकर्ता मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं, तदुपरान्त यदि अन्य किसी एजेन्सी में जांच कराये जाने की आवश्यकता समझी जाय तो जांच करायी जा सकती है ।

उन्नाव में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती में पक्के निर्माण कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता की जांच दूसरी संस्था से कराये जाने की मांग

127–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती जनपद–उन्नाव में श्री लक्ष्मीशंकर कटियार द्वारा अवर अभियन्ता श्री एम० पी० सिंह से कोड जी०वी० 14 के/एच तथा जी०वी० 4 एम/एच में कराये गये पक्के निर्माण कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता की जांच क्या किसी अन्य संस्था से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती जनपद उन्नाव में श्री लक्ष्मीशंकर कटियार द्वारा अवर अभियन्ता श्री एम०पी० सिंह से कोड जी०वी० 14 के/एच तथा जी०वी० 4एम/एच में कराये गये पक्के निर्माण कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता की शत-प्रतिशत जांच विभागीय स्तर पर कराई जा चुकी है । विभागीय जांच आख्या मा० प्रश्नकर्ता मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं । तदुपरान्त यदि अन्य किसी एजेन्सी से जांच कराये जाने की आवश्यकता समझी जाय तो जांच करायी जा सकती है ।

जनपद–फैजाबाद टाउन एरिया, बीकापुर के सीमान्तर्गत गांवों की चकबन्दी पूर्ण करके धारा 52 के प्रकाशन को पूर्ण करने की तथा सभी गांवों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग

128–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया बीकापुर, जनपद–फैजाबाद की सीमा क्षेत्र में राजस्व ग्राम–1 ओहरपुर, 2–नासिरपुरमूसी, 3–रामपुर परेई, 4–सीका, 5–नरोत्तमपुर, 6–बिलारी माफी, 7–बीकापुर, 8–तेंदुआ माफी, 9–नन्दरौली, 10–रसूलपुर मीरा, 11–सेमरा की समस्त कृषि एवं आबादी, सार्वजनिक प्रयोग की सभी श्रेणी के खाते जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम एवं यू०पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट के अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) में हैं ? क्या यह सही है कि द्वितीय चक्र की चकबन्दी में

राजस्व ग्राम औहरपुर, नासिरपुर मूसी, रामपुर परेई, सीका, नरोत्तमपुर, बिलारी माफी का चकबन्दी का सम्पूर्ण कार्य पूरा होकर धारा 52 का प्रकाशन हो गया था तथा शेष राजस्व ग्रामों बीकापुर, तेंदुवा माफी, रसूलपुर मीरा, नन्दरौली व सेमरा में चकबन्दी प्रक्रिया का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका था फिर भी अवैध ढंग से चकबन्दी प्रक्रिया का नोटीफिकेशन रद्द करा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उपरोक्त राजस्व ग्रामों की चकबन्दी कराने का नोटीफिकेशन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम ओहरपुर, रामपुर परेई, सीका, नरोत्तमपुर, बिलारी माफी में चकबन्दी कार्य पूर्ण करके धारा–52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा ग्राम नासिरपुरमूसी में अभी चकबन्दी क्रिया प्रचलित है । मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ ने रिट याचिका सं०–12835/1990 आदेश दिनांक 6-7-94 से न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया के नोटीफिकेशन को निरस्त कर दिया । ऐसी स्थिति में शेष का सम्प्रति ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के राजस्व ग्रामों में बरासत, बैनामा, वसीयतनामा, हिबानामा का दाखिल खारिज काश्तकारों व खातेदारों के हित में करने की मांग

129–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–फैजाबाद के तहसील–बीकापुर के राजस्व ग्राम–1–ओहरपुर, 2–नासिरपुरमूसी, 3–रामपुर परेई, 4–सीका, 5–नरोत्तमपुर, 6–बिलारी माफी, 7–बीकापुर, 8–तेंदुआ माफी, 9–रसूलपुर मीरा, 10–नन्दरौली, 11–सेमरा की सम्पूर्ण कृषि भूमि व सभी श्रेणी की भूमि पर जमींदारी विनाश व भूमि सुधार अधिनियम एवं यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट लागू है फिर भी कृषि एवं आबादी तथा सभी श्रेणी के खातों पर जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम व यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत बरासत, बैनामा, वसीयतनामा, हिबानामा की दाखिल खारिज नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों व खातेदारों के हित में उक्त ग्रामों के मृतक के उत्तराधिकारी के नाम शीघ्र दाखिल खारिज होने के लिए मृतकों के वारिसों के नाम नामांतरण, बैनामों, वसीयत व हिबानामा के आधार पर तत्काल दाखिल खारिज होने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

दाखिल खारिज का कार्य 29-11-99 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

काश्तकारों व खातेदारों के हित में दाखिल खारिज का कार्य दिनांक 29-11-99 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–फैजाबाद, तहसील–बीकापुर परगना पश्चिम राठ के राजस्व ग्रामों के चकबन्दी रिकार्ड्स गायब किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

130–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद की तहसील–बीकापुर, परगना–पश्चिम राठ के राजस्व ग्राम 1–केसरूआ बुजुर्ग, 2–बेरांव, 3–ककराही, 4–टिकरी के चकबन्दी बन्दोबस्त के सभी

रिकार्ड्स चकबन्दी प्रक्रिया के धारा 52 के प्रकाशन के स्तर पर भू-माफियों द्वारा 10 वर्ष पूर्व सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय से गायब कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-99 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 8/9-1-1995 को रात्रि में सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऊँचगांव के कार्यालय से नकाब लगाकर ग्राम बरांव, केसरूआ बुजुर्ग एवं ककराही के समस्त अभिलेख एवं ग्राम टिकरी का जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 चुरा लिये गये थे ।

जी हां ।

ग्राम केसरूआ बुजुर्ग, ककराही एवं बरांव की आधार वर्ष की खतौनी चोरी चले जाने के कारण उनकी पुनर्गठन की आवश्यकता है । पुनर्गठन बिना राजस्व परिषद् की अनुमति के नही किया जा सकता । इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से अनुरोध किया गया है । ग्राम टिकरी के जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 भाग–I का पुनर्गठन जिलाधिकारी की अनुमति से कर लिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय में लिपिक/लेखा संवर्ग, आशुलिपिक पदों को भरने तथा दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने की मांग

131 श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के पत्रांक–दै०श्र०–(11)/1556, दिनांक 8-6-98 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी सूचना में लिपिक/लेखा संवर्ग में 497 पद रिक्त तथा 149 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत दर्शाये गये है ? यदि हां, तो क्या कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 9-7-98 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या के बराबर पदों को घटाकर अवशेष पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी ? यदि हां, तो क्या सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मी विनियमित हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषि विभाग में लेखाकार, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी । इन पदों पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत नहीं थे ।

जी नहीं ।

समूह (ग) के जिन संवर्ग के पदों पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन संवर्गों के पद रिक्त नहीं हैं ।

जिला बाराबंकी में श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक, उप कृषि निदेशक (प्रसार) की नियुक्ति में हुई अनियमितता एवं सेवा समाप्त करने की मांग

132–श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक जो कि उप कृषि निदेशक (प्रसार) बाराबंकी के कार्यालय में नियुक्त है इनकी नियुक्ति के समय नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा

था ? यदि हां, तो किस प्रकार इनकी नियुक्ति की गयी ? क्या इनकी नियुक्ति अनियमित है ? यदि हां, तो क्या इनकी सेवायें समाप्त की जायेंगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में कपरधिक्कानी घाट पर निर्धारित मूल्य से अतिरिक्त भाड़ा लिये जाने का प्रकरण तथा निर्धारित भाड़ा लिये जाने की मांग

133–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के वि० खं० खड्डा में कपरधिक्कानी का घाट (रेलवे पुल के पास) पर निर्धारित मूल्य से दस गुना भाड़ा मनमाने ढंग से यात्रियों से वसूल किया जा रहा है तथा वहां भाड़ा–दर, सूची–बोर्ड भी नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में वहां निर्धारित भाड़ा दर टंगवा कर वास्तविक किराया वसूलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं।

भाड़ा दर सूची लगी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में मेंहनगर तरवा ब्लाकों के गांवों के सम्पर्क मार्गों तथा ड्रेनों पर पुलों के निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग

134–श्री राम जग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थित मेंहनगर तरवा ब्लाकों में भूमि सुधार निगम द्वारा किन-किन गांवों के सम्पर्क मार्गों के लेपन तथा किन-किन ड्रेनों पर पुल बनवाने हेतु चयन किया गया है ? उन पर कब से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के परियोजना जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर ब्लाक के अन्तर्गत 11 गांवों क्रमशः देवरिया, गौरा, कुसमूलिया, खैवासापुर, जमकी, कटान्त, बीरभानपुर, धिन्हानपुर, खजूरा भीकमपुर, झूठियाडामा, सैदपुर के सम्पर्क मार्गों के लेपन हेतु ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष-चार के अन्तर्गत चयन किया गया है । परन्तु तरवा ब्लाक के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के लेपन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । इन दोनों ब्लाक के अन्तर्गत चयनित किसी भी ड्रेन पर पुल बनवाने हेतु चयन नहीं किया गया है ।

चयनित सम्पर्क मार्गों पर लेपन का कार्य अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है ।

135–श्री सीताराम निषाद–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश के जिलाधिकारियों के आशुलिपिकों का वेतनमान वेतन आयोग के आदेशानुसार देने की मांग

136-श्री सीताराम निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलाधिकारियों के आशुलिपिकों को वेतनमान रु० 1640-2900 दिये जाने हेतु आदेश वेतन आयोग द्वारा सन् 1993 में निर्गत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1998-99 के विभिन्न ग्रामों में भू-स्खलन रोकने के सरकार के उपाय व कृत कार्य

137-श्री विशन सिंह चुफाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1998-99 में ग्राम धामीगांव, बारहा, बांसबगड़, राया, बजेता में कुल कितनी भूमि भू-स्खलन से प्रभावित हुई ? इस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? कितनी भूमि पर भूमि संरक्षण का कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1998-99 में ग्राम धामीगांव, बारहा, बांसबगड़, राया, बजेता में लगभग 350 हे० भूमि के भू-स्खलन से प्रभावित होने का अनुमान है ।

भू-स्खलन के निदान हेतु भूमि संरक्षण कार्यों को कराने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी डीडी हाट द्वारा रु० 30.06 लाख की धनराशि की मांग मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ से की गई लेकिन धनराशि की प्राप्ति के अभाव में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रभावित क्षेत्र में अभी कोई कार्य नहीं कराया जा सका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल)/कृषि इन्जीनियर के पदों को लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद की परिधि में रखने के संबंध में कार्यवाही की जानकारी

138-श्री अफजाल अहमद-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल/कृषि इन्जी०) के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

कृषि विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल) कृषि इन्जी० के कुल 81 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं । अवर अभियन्ता (सिविल)/कृषि इन्जी०) के पदों को लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद की परिधि में रखने के संबंध में कार्यवाही शासन में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मण्डल के लखनऊ एवं रायबरेली जनपदों में कृषि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी टंकक कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

139–श्री शिव पूजन राम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मण्डल के लखनऊ एवं रायबरेली जनपदों में दैनिक वेतन भोगी टंकक के पद पर कार्यरत श्री कृष्ण नारायण पाण्डेय, श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी तथा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियमित किये जाने हेतु अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उ० प्र० ने अपने पत्र दिनांक 28-1-99 द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), लखनऊ को निर्देशित किया था ? क्या यह सही है कि संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), लखनऊ ने अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), उ० प्र० को लिखे अपने पत्र संख्या–कृलम–2256/स्था०लि०–3/99, दिनांक 28-8-99 में कनिष्ठ लिपिक के 12 पदों के रिक्त होने का उल्लेख किया है ? क्या कारण है कि लखनऊ मण्डल में कार्यरत उक्त दैनिक टंककों को अब तक नियमित नहीं किया गया ? क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

लखनऊ मण्डल के प्रश्नगत चार दैनिक टंककों को विनियमित कर दिया गया है ।

नियमित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक कृषि अभियन्ता, चिनहट, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन, बोनस के भुगतान की मांग

140–श्री शिव पूजन राम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक कृषि अभियन्ता, चिनहट, लखनऊ के अधीन कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिनांक 1-1-91 से 31-7-91 तक के वेतन एवं वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उन्हें वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त देयकों का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

देयक पूर्व सम्परीक्षा हो जाने के उपरान्त सन्दर्भित योजना में मजदूरी मद में बजट प्राविधान न होने के कारण नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

जी हां ।

भुगतान के संबंध में समुचित धन की व्यवस्था कराये जाने हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, कृषि मण्डी उत्पादन की कैन्टीन में ठेके की प्रथा समाप्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

141–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मण्डी उत्पादन, मथुरा में कैन्टीन में ठेके की प्रथा समाप्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1/26243/मथुरा/99. दिनांक 12-8-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जांच कराई गई। जांचोपरान्त कैन्टीन ठेका निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद बिजनौर के क्षेत्र धामपुर में मण्डी परिषद्, मुरादाबाद द्वारा कतिपय मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

142–श्री मूल चन्द–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धामपुर जनपद–बिजनौर में मण्डी परिषद्, मुरादाबाद द्वारा धामपुर भानपुर शिवपुरी मार्ग से शेखपुरा मुक्ता मार्ग, रायपुर मलूक तपरौल मार्ग, तहटौर पुरपुर मार्ग से गिन्दौरी मेहरअलीपुर आदि मार्गों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

प्रकरण जांचाधीन होने के कारण।

जांच आख्या के निष्कर्षानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश, जिलाधिकारी का संतुष्ट होना तथा पौड़ी गढ़वाल में मूल निवास प्रमाण-पत्र की सरकार की नीति की जानकारी

143–श्री भारत सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए क्या नियम हैं ? क्या यह सही है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में दो तीन पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों को मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या–89/सी–96-77(11)/83 सा०प्र० अनु० दिनांक 20-2-96 में निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी अपने विवेक से संतुष्ट होने पर संबंधित व्यक्ति को मूल/स्थायी रूप से अथवा दीर्घावधि से उस जनपद में

निवास कर रहा है अथवा कर चुका है, को केवल मूल/स्थायी निवास विषयक प्रमाण-पत्र जारी करने पर विचार कर सकते हैं।

जिला पौड़ी गढ़वाल में अन्य जिलों से आये व्यक्ति/परिवार जो एक से अधिक वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं उनको मूल निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति का इस जिले में अनिश्चित अवधि तक रहने का अभिप्राय सिद्ध हो जाता है तथा अपने पूर्व निवास के जनपद में अब वापस जाकर स्थायी निवास का कोई अभिप्राय न हो तो उस व्यक्ति को जनपद गढ़वाल का मूल निवास पत्र निर्गत किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति विगत कई वर्षों से जनपद में निवास कर भी रहा है परन्तु उसकी स्थाई सम्पत्ति पूर्व निर्वासित जनपद में स्थित है तथा इसके अतिरिक्त उस सम्पत्ति के माध्यम से वह जो जीविकोपार्जन कर रहा है तथा स्थाई सम्पत्ति के माध्यम से पूर्व निवास जनपद से हुई राजकीय ऋण/बैंक ऋण लिया हो अथवा ले रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति पूर्व निवास जनपद का ही मूल निवासी है परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रमाणित होने पर उसे इस जनपद का मूल निवास प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

पाकिस्तान से आये तथा विस्थापित शरणार्थी जो वर्ष 1947 से यहां आकर बस गये हैं और उनका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है तथा भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और अब उनका इसी जनपद में स्थाई रूप से निवास करने का इरादा सिद्ध व प्रमाणित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी इस जिले का मूल निवास प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाता है।

144-श्री मूल चन्द-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर में नवसृजित तहसील के निर्माण में कराये गये कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को करने की मांग

145-श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर में नवसृजित तहसील के निर्माण में वर्ष 1997 में कराये गये कार्यों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही-

परीक्षणोपरान्त यथासमय उचित कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में बेसों नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों के क्षतिग्रस्त मकानों को पूर्ण/आंशिक सहायता का विवरण

146-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1999 तथा सितम्बर, 1999 में लालगंज तहसील जनपद आजमगढ़ के कुल कितने गांव बेसों नदी की बाढ़ से प्रभावित थे तथा उक्त तहसील के क्षेत्र के

अन्दर कुल कितने मकान पूर्ण तथा कितने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये कितने परिवारों को कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गयी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1999 में बेसों नदी की बाढ़ से कुल 30 गांव प्रभावित हुए थे तथा बाढ़ से उक्त तहसील के 5 मकान पूर्णरूप से एवं 98 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे । जांचोपरान्त पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के 5 एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 54 पात्र परिवारों में पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा मकान को रु० 5,000/– प्रति परिवार की दर से कुल रु० 25,000/– एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के 54 पात्र परिवारों में रु० 600/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 32,400/–गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में बेसों नदी की बाढ़ के कारण लगान माफी की मांग

147–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज तहसील में अगस्त तथा सितम्बर, 1999 में बेसों नदी की बाढ़ से पचासों गांवों की खरीफ की फसल 80 प्रतिशत नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों का इस वर्ष का लगान माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1999 में बेसों नदी की बाढ़ से कुल 30 ग्राम की खरीफ की फसल प्रभावित हुई थी । जो 40 प्रतिशत से कम है ।

नहीं ।

बेसों एक छोटी छिछली नदी है । नदी के किनारे-किनारे ही फसलें प्रभावित हुई थीं । जो 40% से कम क्षति हुई है । शासनादेश के अनुसार फसल का 50% से अधिक नुकसान होने पर ही लगान माफ किया जाना अनुमन्य है ।

148–श्री राम ललित चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बरेली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को प्राप्त धन के दुरुपयोग की जांच/शिथिलता बरतने की शिकायत

149–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन के दुरुपयोग की जांच चल रही है ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली द्वारा जांच में शिथिलता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 33 शिकायती-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 13 की जांच पूरी की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील लालगंज ग्राम कामापट्टी के प्रधान द्वारा भू-आवंटन में अनियमितता की जांच परिणामों की जानकारी

150–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम कामापट्टी तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के प्रधान द्वारा भू–आवंटन में की गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 16-3-99 एवं उसका स्मरण-पत्र दिनांक 15-4-99 को दिया गया उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों की जांच कब और किसके द्वारा करायी गयी और उसका परिणाम क्या है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायती-पत्रों की जांच उप-जिलाधिकारी लालगंज द्वारा करायी गयी, जिसमें उन्होंने 56 पट्टों की कार्यवाही को अनियमित पाया तथा धारा 198 (4) के अन्तर्गत उक्त पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है ।

जनपद अम्बेदकर नगर के ब्लाक भीटी की ग्राम सभा चन्दापुर के निर्वाचित ग्राम प्रधान को राजस्व अभिलेखों का चार्ज देने विषयक जानकारी

151–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर के ब्लाक भीटी के ग्राम सभा चन्दापुर के निर्वाचित ग्राम प्रधान को राजस्व अभिलेखों का चार्ज दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

राजस्व अभिलेखों का चार्ज ग्राम प्रधान के पास नहीं रहता है बल्कि उसका चार्ज क्षेत्रीय लेखपाल के पास रहता है । ऐसी दशा में ग्राम प्रधान को राजस्व अभिलेखों का चार्ज दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

जिला हमीरपुर में कृषि उत्पादन मण्डी मुस्करा द्वारा विज्ञापित प्रकाशनों के बिलों के भुगतान का मामला

152–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति मुस्करा जिला हमीरपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–97-98/विज्ञा/मेमो दिनांक 30-11-97 द्वारा जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर के माध्यम से चरित्र–विकास हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका को विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या विज्ञापन प्रकाशन बिल का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153–डा० राम बादू हरित–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम गठैरा में भूमि आवंटन एवं कब्जा देने का प्रकरण

154–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम गढौरा में खाता खतौनी संख्या–677 रकबा 0.126 हेक्टेयर श्री सतान पुत्र हुलासी ग्राम गौंशा मजरे गढौरा तहसील सण्डीला जनपद हरदोई निवासी को आवंटित है ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त को कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार कुम्भ मेला में दैवी आपदा से मृतक श्री महेन्द्र सिंह की विधवा को मृतकाश्रित रूप में मुआवजा दिये जाने की मांग

155–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैवी आपदा से मृतक आश्रित के परिवार जनों को मुआवजा प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या कुम्भ मेला हरिद्वार में दि० 28-3-98 को मृतक श्री महेन्द्र सिंह की पत्नी को उक्त मुआवजा प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, दैवी आपदा के मृतक आश्रित के वारिस को अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है ।

जांच आख्या के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह को दिनांक 28-3-98 को राजकीय चिकित्सालय हरिद्वार में हार्ट अटैक होने के कारण मृत्यु हुई थी जो दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः मृतक की पत्नी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है ।

जनपद प्रतापगढ़ के गंगापुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

156–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के गंगापुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी–421/सी०एम०–1–99-25 जनवरी, 1999 द्वारा पुनर्विनियोग से बनाये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

गंगापुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के लिए वर्ष 1999-2000 की जिला योजना की पुनर्विनियोग के संबंध में होने वाली बैठक में विचार करने हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर तहसील मछलीशहर, परगना गडवारा, ग्राम सभा सोनहिल में चकबन्दी के उपरान्त नया चकरोड निकालने का औचित्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

157–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर परगना गंडवारा के ग्राम सभा सोनहिल में चकबन्दी हो जाने के पश्चात उक्त गांव के पंचायत सेक्रेटरी तथा लेखपाल मिलकर चकबन्दी के बाद उक्त गांव के चक संख्या–1248 में निर्धारित चकरोड को समाप्त कर पूर्व निर्धारित आबादी भूमि 1247 में से नया चकरोड स्थापित कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में बेसो नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता प्रदान करने की मांग

158–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में बेसो नदी में आयी बाढ़ से अगस्त, 1999 तथा सितम्बर, 1999 में हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं ? क्या उनको अहेतुक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को और कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में अगस्त व सितम्बर, 1999 में बेसो नदी में आयी बाढ़ से कुल 643 परिवार प्रभावित हुए हैं।

जी हां।

तहसील लालगंज के 456 बाढ़ प्रभावितों में रु० 500/- की दर से रु० 2,28,000/- की धनराशि तथा 187 प्रभावित परिवारों में रु० 200/- की दर से रु० 37,400/- की धनराशि कुल 643 बाढ़ प्रभावित परिवारों में कुल रु० 2,65,400/- की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में वितरित की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी मगरौरा आसपुर–देवसरा, पट्टी में मिनी स्टेडियम हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं उस पर कार्यवाही की जानकारी

159–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी मगरौरा आसपुर–देवसरा, पट्टी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-10-98, 18-1-99, 22-1-99, 10-2-99, 13-3-99 तथा 30-3-99 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर शासन एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित भू-खण्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो भूमि एवं प्रस्ताव का विवरण क्या है ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों में से मात्र दो पत्र दिनांक 19-10-98 तथा 18-1-99 प्राप्त हुए हैं ।

प्राप्त पत्रों के क्रम में शासन/महानिदेशालय द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

जी नहीं, अभी तक विभाग के पक्ष में अपेक्षित भू-खण्ड उपलब्ध नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, ग्राम सभा लाला छपरा (लक्ष्मीगंज) की पंचायत भवन के उद्घाटन के समय में मुख्य अतिथि के अतिरिक्त डी० एम० का नाम शिला पर लिखने का कारण

160–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम–सभा–लाला छपरा (लक्ष्मीगंज) जनपद कुशीनगर में 11 जून, 1998 को प्रश्नकर्ता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर पंचायत भवन का उद्घाटन कराया गया था जब कि शिलालेख पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव का नाम इस संदर्भ में अंकित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

जी हां ।

श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, कुशीनगर पंचायत-भवन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे ।

जनपद उन्नाव में राजकीय पौधशालों की स्थापना वर्ष से लेकर 1999 तक मदवार व्यय लाभ-हानि का विवरण

161–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जनपद–उन्नाव में पौधशाला की स्थापना से वर्ष 1999 तक मदवार व्यय विवरण तथा उसमें पौधों का उत्पादन एवं लागत पर लाभ-हानि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी हां । जनपद–उन्नाव में संचालित उद्यान विभाग के राजकीय पौधशाला, निराला उद्यान, रसूलाबाद तथा असरेन्दा की स्थापना वर्ष से वर्ष 1999 तक पौधों के उत्पादन पर मदवार व्यय तथा लागत पर लाभ -हानि का विवरण क्रमशः अलग-अलग † संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1995 के त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में लगायी गयी ड्यूटी हेतु आंगनबाड़ी की कार्यकत्रियों को पारिश्रमिक देने की मांग

162–श्री दीपलाल भारती–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 के त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में लगायी गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पारिश्रमिक दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं । वर्ष 1995 के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में लगाई गई कार्यकत्रियों को पारिश्रमिक दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परगना व तहसील गोण्डा, ग्राम गुलहरिया में चकरोड पर अवैध कब्जा हटवाने विषयक शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

163–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुलहरिया परगना तहसील व जिला गोण्डा में चकरोड से कुछ व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1–26045/मथुरा/99, दिनांक 1-8-99 जिलाधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा कराई गई । विवादित चकमार्ग गाटा संख्या 123 की पैमाइश करवाकर चकमार्ग खाली करवा दिया गया है अब मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

164–श्री अजय कुमार पोइया–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में सांसद निधि से निर्मित सड़क ग्राम देवारा एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क ग्राम जपसरा के निर्माण में अनियमितता की शिकायत

165–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसद निधि से बनवाई गई सड़क ग्राम देवारा एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही सड़क ग्राम जपसरा, ब्लाक सुमेरपुर के निर्माण अवधि के दौरान जिला पंचायत उन्नाव से दोनों सड़कों पर क्रमशः एक-एक लाख रुपया अवैध तरीके से खर्च किये जाने के संबंध में ब्लाक प्रमुख सुमेरपुर से उन्नाव ने दिनांक 28-8-99 को जिला पंचायत उन्नाव के विरुद्ध

---

† छापी नहीं गई ।

शिकायत दिनांक 28-8-99 को जिलाधिकारी उन्नाव को लिखित रूप से की थी ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल की चम्पा-मंसूरी फल पट्टी के अन्तर्गत आवंटित उद्यानों के नवीनीकरण से सम्बन्धित उद्यान मालिकों के पट्टों को शीघ्र निस्तारित करने की मांग

166–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल की चम्बा–मसूरी फल पट्टी के अन्तर्गत आवंटित उद्यानों का नवीनीकरण संबंधित उद्यान पतियों के बार-बार किये गये अनुरोध के बाद भी नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि आवंटित उद्यानों के पट्टों की लीज की समय सीमा समाप्त हो जाने पर विभागीय अधिकारी पट्टों का नवीनीकरण न करके गरीब किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं ? क्या सरकार लीज पट्टों का नवीनीकरण शीघ्र करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं । नवीनीकरण की कार्यवाही प्रचलित है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में राजाज्ञा की अवहेलना करते हुए किसानों पर लगान लगाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा उस पर की गयी कार्यवाही

167–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-98 जो तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर के प्रशासन द्वारा शासनादेशों की अवहेलना करते हुये किसानों की तीन एकड़ भूमि पर लगान लगाये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर जिला अधिकारी शाहजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत के संबंध में जांच तहसीलदार तिलहर द्वारा करायी गयी । जांच में तीन एकड़ तक की भूमि पर लगान लगाये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 4-1-2000 को अता० प्र० सं०–182 द्वारा उत्तरित]

बस्ती मण्डल में समूह ''ग'' की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश एवं न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र व कृत कार्यवाही की जानकारी

169–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती मण्डल में समूह ''ग'' की भर्ती के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश एवं न्यायालय के निर्णय के पालन के लिये नवम्बर, 1999 में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के ग्राम कोइलादौड़ में हुई मांझा बन्दोबस्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी अभिलेख उपलब्ध न कराने का कारण

170–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के ग्राम कोइलादौड़ में पच्चीस वर्ष पूर्व मांझा बन्दोबस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद से आज तक राजस्व अभिलेख, खतौनी, खसरा जिल्द उपलब्ध नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक अभिलेख अधिकारी फैजाबाद एवं सर्वे नायब तहसीलदार गोरखपुर को निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । अभी मांझा बन्दोबस्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज एवं जनपद गोरखपुर में बाढ़ से गिरे मकानों हेतु अनुदान दिये जाने की मांग

171–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 की बाढ़ में गिरे मकानों के पुनर्निर्माण हेतु पचीस हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के व गृह अनुदान देने का निदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे ? यदि हां, तो जनपद महराजगंज एवं जनपद गोरखपुर में कितने लोगों को मकान निर्माण हेतु धन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

निर्धारित पात्रता का कोई व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण मकान निर्माण हेतु कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है।

वर्ष 1999 में रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन में वर्ष 1997 एवं 1998 की तुलना में उत्पादन वृद्धि की जानकारी

172–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अन्दरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में रबी और खरीफ फसलों का कुल उत्पादन क्या है ? उक्त उत्पादन वर्ष 1997 तथा 1998 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1999 में रबी और खरीफ फसलों का कुल उत्पादन क्रमशः 259.27, 166.44 लाख मी० टन अनुमानित है।

वर्ष 1997 की तुलना में रबी उत्पादन 4.45% की कमी रही किन्तु वर्ष 1998 की तुलना में 0.97% की वृद्धि रही।

इन वर्षों की तुलना में वर्ष 1999 में क्रमशः 3.82% एवं 16.87% की वृद्धि अनुमानित है।

जिला पंचायत बदायूं की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा बैठक में शामिल न होने का औचित्य

173–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-10-99 को जिला पंचायत बदायूं की बैठक में किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया ? क्या यह सही है कि उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा कई जिला स्तर के अधिकारी सम्मिलित नहीं हुये ? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिला पंचायत, बदायूं की बैठक दिनांक 23-10-1999 को निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला पंचायत राज अधिकारी, महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता, प्रथम व द्वितीय खण्ड, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि प्रान्तीय खण्ड तथा निर्माण खण्ड, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीणअभियन्त्रण सेवा, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, द्वितीय-परामर्शदाता, जिला पंचायत तथा प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, बदायूं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 23-10-1999 को विद्युत आपूर्ति की समस्या एवं शांति व्यवस्था के संबंध में एक आपातकालीन बैठक आहूत होने के कारण जिला स्तर के अधिकारी उक्त बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके थे, इस कारण अनुपस्थित रहने की सहमति अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा मौखिक रूप से दी गयी थी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में भू-स्खलन से प्रभावित गांवों को अन्यत्र बसाये जाने की मांग

174–श्री भारत सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कितने गांव भू–स्खलन से प्रभावित हुये हैं ? क्या सरकार उन गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 12 गांव भू-स्खलन से प्रभावित हुए हैं।

प्रभावित गांवों के निवासियों की सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने की कार्यवाही गतिमान हैं।

जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी पैमाइश न कराने का कारण

175–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम गोपालपुर एवं मोगलहा में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी हो जाने के दो वर्ष बाद भी आज तक संबंधित ग्राम की पैमाइश नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांवों की पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–गोपालपुर की आंशिक तथा ग्राम–मोगलहा की सम्पूर्ण चकों की पैमाइश शेष है।

ग्राम के काश्तकारों के मध्य विवाद होने के कारण उनसे अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण।

माह-मई, जून, 2000 में पैमाइश करायी जायेगी।

ब्लाक प्रमुखों के नियत यात्रा भत्ते में वृद्धि किये जाने का प्रकरण

176–श्री भारत सिंह रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1990 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुखों के नियत यात्रा भत्ते में वृद्धि किये जाने का प्रकरण कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

ब्लाक प्रमुखों को नियत यात्रा भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया तथा विचारोपरान्त वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के शुभकरण पाण्डेय, चकबन्दीकर्ता के पेंशन के भुगतान की मांग

177–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शुभकरण पाण्डेय पुत्र विन्देश्वरी पाण्डे, चकबन्दीकर्ता जनपद बुलन्दशहर के 31 जुलाई, 99 को सेवामुक्त के पूर्व पेंशन से संबंधित सभी अभिलेख मई, 99 में ही जिला कोषागार जनपद–सुल्तानपुर को प्राप्त करा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवामुक्त कर्मचारी को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी को पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री शुभकरण पाण्डेय, चकबंदीकर्ता जनपद–बुलन्दशहर से दिनांक 31-7-98 को सेवानिवृत्त हुए थे निदेशालय से अन्तिम पेंशन स्वीकृति हो जाने के उपरान्त अदेयता प्रमाण-पत्र बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा दिनांक 15-5-99 को वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर को भेज दिया गया था ।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा श्री पाण्डेय को पेंशन का भुगतान दिनांक 24-8-99 को किया गया है और वर्तमान में श्री पाण्डेय, बैंक आफ बड़ौदा, शाखा गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशन का भुगतान दिनांक 24-8-99 को किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी मण्डलों में मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने की मांग

178–श्री अक्षयवर लाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के बावजूद अर्थ एवं संख्या विभाग में वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1998–99 में नवसृजित बस्ती मंडल सहित सभी मंडलों में उप निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग का पद सृजित किया गया है ? यदि हां, तो श्री जे०एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के बावजूद प्रदेश के सभी मंडलों में मंडलीय उपनिदेशक (पंचायत) का पद सृजित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नवसृजित मंडलों सहित प्रदेश के सभी मंडलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

प्रदेश में आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में फिलहाल मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) एक से अधिक मण्डलों का कार्य निभा रहे हैं ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 30 मार्च, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश में विधायकों एवं सांसदों के साथ लगे गनर/शैडो को देय मंहगाई भत्ता में एकरूपता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, निवेदन करना है कि प्रदेश में माननीय विधायकगण, माननीय सांसद के साथ लगे गनर एवं शैडो को रु० 950 से रु० 1500 रुपया प्रतिमाह वेतनमान के आधार पर डी०ए० का भुगतान दिया जा रहा है, जबकि पुलिस विभाग में जनपदों में नागरिक पुलिस एवं आर्म्स पुलिस को वर्तमान वेतनमान के आधार पर डी०ए० ज्यादा दिया जाता है जिससे गनर एवं शैडों में कुन्ठा व्याप्त है ।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि गनर, शैडो एवं पुलिस में डी०ए० विभिन्नता को समाप्त किया जाय ।]

सेवानिवृत्त अमीन तहसील सादाबाद जिला हाथरस के बकाया देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

भवानी शंकर सेवानिवृत्त अमीन तहसील सादाबाद जिला हाथरस निवासी चौरासी रोड राधा नगर, मथुरा को 7 मई, 1987 को आवश्यकीय सेवानिवृत्त कर दिया जिसके विरुद्ध उक्त भवानी शंकर ने ट्रिब्यूनल कोर्ट लखनऊ में अपील की गयी जिसका निर्णय भवानी शंकर के पक्ष में 31-1-1992 को हो गया । उसी समय से भवानी शंकर के बकाया देयों का भुगतान नहीं किया गया है, 1 अप्रैल, 1981 से 18 नवम्बर, सन् 1982 तक एरियर बकाया वेतन तथा 7 मई, 1987 से 31 जनवरी, सन् 1990 तक के समय की छुट्टियों का वेतन, इसी पूरे समय का बोनस सिक्यूरिटी पास बुक व 300/- डिग्री आदि का भुगतान कराने के आदेश किये जाने के लिए जिलाधिकारी मथुरा एवं जिलाधिकारी हाथरस को लिखा गया तथा मिल गया परन्तु एक दूसरे पर अधिकारियों द्वारा टाला जा रहा है तथा जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जा रहा है जो कि प्रायः संगत नहीं है तथा कार्यालय के आदेश का खुला उल्लंघन है भवानी शंकर के समक्ष भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गयी है ।

अतः आपके माध्यम से तत्काल समस्त देयों के भुगतान की मांग शासन से करता हूं तथा जिम्मेदारी का निर्वाह न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद हेतु अधिगृहीत की गयी किसानों की जमीन के एवज में परिजनों को विश्वविद्यालय की सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम पर सन् 1980 व 1987 में ग्राम-शिवनाथपुर, पिठला, जोरियम, बवां, नागीपुर कौराव, बिरौलीआम, डिप्टी, पाकड़पुर, कटघरा, तिन्दाली, कठबालम, उमरहर, चौधरी पुरी, अकमा आदि गांवों के लगभग 350 कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिस समय इन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उस समय शासन/प्रशासन द्वारा किसानों से यह समझौता हुआ

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

था कि आपकी अधिग्रहीत भूमि के बदले में आपके परिवार वालों को इस विश्वविद्यालय में नौकरी में लिया जायेगा । भूमि अध्याप्ति से प्रभावित/विस्थापित गरीब निरीह किसानों को शासनादेशों, प्रशासनिक आदेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय की सेवा में न लिये जाने तथा घोर अनियमितता बरतने एवं पूर्ण उपेक्षा की जा रही है । इस विश्वविद्यालय में अधिकतर बाहरी लोगों को ही नौकरी दी जा रही है जिससे इन गांवों के प्रभावित किसान परिवार कुण्ठा के शिकार हो रहे है और पूरे क्षेत्र में कृषक परिवारों के अन्दर रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया है जिससे किसी भी समय कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है ।

अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर ली जाये एवं अविलम्ब पीड़ित किसान परिवारों को सेवा में लिये जाने की व्यवस्था की जाय । ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के अन्तर्गत भदोही से दुर्गागंज तक मार्गों को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

। मान्यवर, जनपद संत रविदास नगर भदोही के अन्तर्गत से दुर्गागंज तक मार्ग चौड़ीकरण न होने से यातायात में काफी परेशानी हो रही है । वाराणसी से प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद के लिए उक्त मार्ग से सैकड़ों प्राइवेट बसें संचालित होती हैं अभी हाल में सरकार द्वारा भदोही को बावतपुर एयर पोर्ट से जोड़ने के लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने पर कार्य प्रारम्भ है वही मार्ग भदोही से दुर्गागंज होकर प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद तक जाता है । उक्त मार्ग के चौड़ीकरण होने से गाड़ियों को आवागमन निर्बाधरूप से होता रहेगा ।

अतः कृपया जनहित में भदोही से दुर्गागंज तक मार्ग चौड़ा करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

कारगिल युद्ध एवं जम्मू कश्मीर में शहीद हुये प्रदेश के जवानों के परिजनों को घोषित एवं अन्य सुविधायें अविलम्ब दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उ० प्र० के फौज व अन्य बलों में तैनात जवानों कारगिल युद्ध तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शहीद होने वाले जवानों के परिवार जनों को सरकार द्वारा सुविधा न दिये जाने की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि विदित है कि उ० प्र० के बहुत से जवान कारगिल युद्ध में शहीद हो चुके है शहीदों के परिवार जनों को सुविधा से अभी तक वंचित रखा गया है । शहीद स्थलों का निर्माण (स्मारक) व उनके स्थलों ग्रामों तक सड़कों का निर्माण एवं बिजली आदि बकायेदारियों की माफी भी नहीं की गई है । इसी प्रकार अभी भी जम्मू-कश्मीर में प्रदेश के बहुत सारे जवान तैनात है वह आतंकवादी गतिविधियों से बराबर शहीद हो रहे हैं, उन्हें भी कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है । ग्राम घुटारामासूमपुर थाना बेवेवर जनपद मैनपुरी के कारगिल युद्ध में श्री मनीश कुमार यादव व आतंकवादी गतिविधियों में श्री श्यामवीर सिंह यादव पुत्र श्री रणवीर सिंह एवं श्री मोहन सिंह यादव पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह अभी हाल में ही शहीद हो चुके हैं, जिन्हें आज तक उनके परिवारजनों को सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है । श्री मनीश कुमार को कुछ रुपये अवश्य प्रदान कर दिये गये थे परन्तु अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में काफी क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस तात्कालिक लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्रकार के शहीदों के परिवारजनों को अविलम्ब अधिक से अधिक सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर में बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह बताना चाहता हूं कि ब्लाक-तहबरपुर में आज तक इस प्रगतिशील युग में कोई बालिका इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना नहीं हो पायी है। उक्त क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है बालिकायें विद्यालय के अभाव में अपनी कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उच्च शिक्षा हेतु लड़की का अकेली दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना उचित न होने के कारण शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाती है जिससे लड़की के न पढ़ पाने से लड़की के साथ तमाम प्रकार की परेशानियां पेश आती है। जैसा कि एक लड़की के पढ़ने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है परन्तु उक्त विद्यालय न होने से यह कहावत हो चरितार्थ नहीं होती दिखती है। यह ब्लाक पिछड़ा इलाका होने के कारण ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं जो अपनी लड़कियों को दूर भेजकर पढ़ाई नहीं करा सकते हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि ब्लाक तहबरपुर मुख्यालय पर एक बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर स्थापना कराया जाय।]

लखनऊ स्थित चिड़ियाघर के कर्मचारियों को जी० पी० एफ० एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सरवर अली खां–

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनता को पशु पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने, जनता का मनोरंजन करने के लिये लखनऊ चिड़ियाघर सरकार की सहायता से संचालित है। किन्तु चिड़िया घर के कार्यालय स्टाफ की उदासीनता के कारण कर्मचारियों का लगभग 50 लाख रुपया पारिवारिक पेंशन के नाम पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय कानपुर में फंसा हुआ है तथा कर्मचारियों के जी० पी० एफ० खाते सही नहीं है और न ही कर्मचारियों के जी० पी० एफ० की पास बुकें सही हैं। कई मृतक आश्रितों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं कराया गया है। इससे चिड़ियाघर के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

अतः उक्त चिड़ियाघर की बिगड़ती हुई व्यवस्था के लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय वन मंत्री से जांच की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 30-3-2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई :–

कोई सूचना नहीं सुनी जायेगी, मैं विवरण पढ़े देता हूं।

पहली सूचना श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव की, वित्तीय वर्ष 1998-99 में विधायक निधि की अवशेष धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में न किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की दिनांक 29 मार्च, 2000 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर जान बूझकर न दिये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) का अनुपालन न किये जाने के संबंध में है। अगली सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की जनपद सीतापुर के सिधौली कस्बे में धार्मिक जलसे की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा न दिये जाने के संबंध में है। अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की नियम 301 के अन्तर्गत देर से सूचना प्राप्त होने के संबंध में है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरी सूचना का नम्बर प्रथम था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी कृपया बैठें।

माननीय श्रीवास्तव जी, वैसे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा यह विनिश्चय इसमें किया गया है कि इसमें किसी को सुना नहीं जायेगा। आपकी सूचना पर विशेष परिस्थितियों में इस बात की अनुमति दी जा रही है। एक मिनट में जो कुछ कहना चाहें कह दें।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में विधायक निधि की अवशेष धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मेरी सूचना पर मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की।

मान्यवर, विगत वर्ष 1998-99 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रु० की विधायक निधि की स्थापना की और 50 लाख की विधायक निधि में 1998-99 के वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये की एक किश्त अवमुक्त हुई थी और प्रदेश की सरकार ने इस सम्मानित सदन में यह घोषणा की थी और इस सदन को आश्वस्त किया था कि 25 लाख रुपये की दूसरी किश्त आगामी वित्तीय वर्ष में दी जायेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अवगत है कि 27 मार्च, 2000 को विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री ने सन् 2000-2001 का बजट प्रस्तुत किया और उस दिन उन्होंने अपने बजट भाषण में इस सम्मानित सदन में इस बात का उल्लेख किया था जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 2000-2001 के बजट अनुमानों पर जो बजट भाषण दिया वह पुस्तिका के पृष्ठ 43 पर है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वर्ष 98-99 में विधायक निधि का वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में सृजन होने के कारण वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां उत्पन्न हुयी थी विशेषकर नवसृजित जनपदों में वैयक्तिक लेखा खाता पी० एल० ए० खोलने इत्यादि में विलम्ब हुआ था और कई जनपदों में पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं हो सका था।

माननीय सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि यह धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । तो मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इस बात को माननीय वित्त मंत्री जी ने सम्मानित सदन में कहा था लेकिन जो वित्तीय प्राविधान उन्होंने 2000-2001 के वित्तीय वर्ष के लिये किया उसमें उन्होंने केवल 267 करोड़ रु० का ही प्राविधान किया है । श्रीमन्, आज 426 इस विधान सभा के सदस्य हैं और 108 विधान परिषद् के सदस्य हैं इस प्रकार 50 लाख रुपये प्रत्येक इस सम्मानित सदन के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य के हिसाब से 267 करोड़ रुपये हुये जिसका प्राविधान बजट में किया गया है जबकि विगत वर्ष 1998-99 के विधायक निधि के द्वितीय किश्त का अवशेष 25 लाख रु० का भी प्राविधान सरकार द्वारा की गयी पूर्व घोषणा के मुताबिक किया जाना चाहिये था । माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन अपने बजट भाषण में भी दिया है किन्तु केवल ऐसे नवसृजित जनपदों में जहां पीएलए के खाते नहीं खुले थे वहां के लिये विगत वर्ष 1998-99 के अवशेष 25 लाख रुपये अवमुक्त करने की बात की गयी है और प्रदेश के उन जनपदों में जहां पूर्व से ही खाते खुले हुए थे वहां आश्वासन देने के बाद भी प्राविधान नहीं किया गया इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिये आप सरकार को समुचित निर्देश देने की कृपा करें । औचित्य के इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, समय से पहले दौड़ लगाने की कुछ आदत हो गयी है । यह बजट भाषण सदन में प्रस्तुत हुआ, पढ़कर सुनाया गया 4 दिन की सामान्य चर्चा होगी, अनुदानों पर चर्चा होगी । इस सारे विषय मेंअगर कोई विसंगति है कमी है तो यह सारा विषय उठाने के लिये बजट भाषण होता है यह 4 दिन की चर्चा होती है । इसे नियम 300 में आज उठाने का कोई औचित्य नहीं है क्या सारी चीजों का समाधान आज ही होने जा रहा है । ठीक अवसर पर ठीक बात कही जायेगी तो अच्छी लगेगी । नियम 300 में इसका औचित्य नहीं है जब अवसर आये तो इसको उठाये इसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुबास चन्द्र श्रीवास्तव को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह 300 में नहीं आता है । अतः अस्वीकृत करता हूं ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 311 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इन सूचनाओं पर पहले निर्णय किया जा चुका है । शेष सूचनाओं को सुना नहीं जायेगा, केवल सदन के संज्ञान में लाने हेतु पढ़कर उल्लेख कर दिया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, इस पर निर्णय हो चुका है, बाकी सूचनायें अस्वीकृत की जा चुकी हैं।

*श्री लालजी वर्मा–

जो सूचनायें सदन में आती हैं, उस पर अध्यक्ष पीठ को अधिकार है कि उसको सुने या न सुनें। मान्यवर, इस समय अध्यक्ष पीठ पर आप बैठे हैं और माननीय सदस्यों ने जनहित की कुछ सूचनायें दी हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन लोगों को, औचित्य के प्रश्न पर, क्यों प्रश्न बनता है, इस पर सुनने का आपको पूरा अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो विनिश्चय किया गया था, उससे सहमत होते हुये पुनः यह विनिश्चय करता हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत इन सूचनाओं पर नहीं सुना जायेगा।

श्री शिव चरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाये जाने का प्रयास

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें, दूसरा मामला है, कल जब सदन चल रहा था और शुरुआत में नियम 311 की नोटिसें आई, उस समय श्री शिव चरण प्रजापति का व्यक्तिगत मामला, पुलिस द्वारा अपमानित करने के संबंध में उठाया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, भिज्ञ भी हैं। यह तय हो चुका है कि सदन के सम्मानित सदस्यों से संबंधित कोई व्यक्तिगत मामला हो तो विशेष उल्लेख के रूप में सुन लिया जायेगा और उचित अवसर पर उसको सुन लिया जायेगा।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य, आज की कार्यसूची देख लें। आज के एजेन्डे के लास्ट आइटम में इसको विशेष उल्लेख में सुना जायेगा।

नियम 311 की सूचना को नियम 51 के परिवर्तित करने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 की शेष सूचनाओं को नियम 51 में अध्यक्ष जी द्वारा परिवर्तित किया गया है और यह तय किया गया है कि पंचायती चुनाव से संबंधित जो माननीय नेता विरोधी दल और कुछ अन्य माननीय सदस्यों की जो नोटिसें प्राप्त हुई हैं, उसको 311 में नहीं सुना जा रहा है, लेकिन उसे विशेष उल्लेख के रूप में इस समय नियम 300 की सूचनाओं के बाद सुन लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा–

कल शिव चरण प्रजापति का प्रश्न लिया गया था, उस समय इसे वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया था, मैंने आपत्ति की कि वक्तव्य तो बिल्कुल लास्ट में आता है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसलिये विशेष उल्लेख में इसको तय किया गया था । आज की कार्यसूची में यह मद संख्या–19 पर छाप दिया गया है, इसलिये उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसलिये इस समय इसको विशेष उल्लेख में ले लें ।

संविधान में 73 वें संशोधन के अनुसरण में पंचायत चुनाव न कराने तथा विधिक प्राविधान न होते हुये भी पंचायतों के स्थान पर प्रबन्ध समिति मनोनीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

पंचायत चुनाव से संबंधित माननीय नेता विरोधी दल और कुछ अन्य माननीय सदस्यों की सूचना है, उसको सुनने के पश्चात्, माननीय सदस्य का मामला विशेष उल्लेख में सुन लिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अन्य सदस्यों के नाम बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय अम्बरीष कुमार और श्री अवधेश प्रसाद जी, इनकी एक ही विषय पर सूचना प्राप्त हुई है । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आपका मामला नहीं सुना जायेगा ।

श्री मुराद लारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब अध्यक्ष महोदय जी बैठे थे ..

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम ले लिया है मैं आपकों अनुमति नहीं दे पाऊंजा । जो मैंने नाम लिया है, विषय लिया है उस पर चर्चा होने के उपरान्त आप कह लीजियेगा । आपकी क्या वार्ता हुई, क्या उसमें तय हुआ, उस पर विचार-विमर्श बाद में कर लिया जायेगा । कृपया कुंवर रेवती रमण सिंह जी को अपनी बात कहने दें ।

श्री मुराद लारी–

मान्यवर, आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था ..... ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध है कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पंचायत के चुनाव इसी अप्रैल माह में होने थे और इस सरकार ने एक अभूतपूर्व काम किया है । मान्यवर, हमारे देश में जहां तक मुझे ज्ञान है, कहीं भी पंचायत के चुनाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बढ़ाये नहीं गये और जहां की सरकारों ने प्रयास किया वहां हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने इस बात की स्पष्ट व्यवस्था की कि वहां पर चुनाव सही समय पर कराये जायें, उन्हें बढ़ाये जाने का आदेश नहीं दिया।

मान्यवर, अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव होने थे, वहां की सरकार ने यह प्रयास किया कि वहां चुनाव बढ़ा दिया जाये 6 महीने के लिये। लेकिन वहां के पंचायती चुनाव आयोग ने इस बात को माना नहीं था और सही समय पर चुनाव कराये गये। मान्यवर, कल संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वतापूर्ण भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि उसमें बड़ी खामियां थी, उन खामियों के चलते हम सही समय पर चुनाव नहीं करवा सकते। मान्यवर, यह सरकार पिछले चार साल से यहां पदारूढ़ है, चार साल का समय इसके लिये पर्याप्त था लेकिन ये चुनाव नहीं करा सके और ये कमियों को दूर नहीं कर सके। मान्यवर, इसकी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा है कि चुने हुये प्रतिनिधियों की जगह पर आर० एस० एस० के लोगों को नामित कर दिया जाए और प्रधानों की जगह पर जो प्रशासनिक समिति है, उस प्रशासनिक समिति में सरकार आर०.एस० एस० के लोगों को नामित कर दें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी थी कि हर पांच साल पर चुनाव कराये जायें, यह बाध्यता थी। यह सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है और न कोई भी प्रधान या कोई भी नागरिक इस बात का उल्लेख हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में करेगा तो सरकार की यह बात कहीं चल नहीं पायेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन पवित्र संस्थाओं को सहकारिता विभाग की तरह जिस तरह उन्होंने सहकारिता का चुनाव करवाया, तमाम तरह की इन्होंने धांधली किया वहां पर और वहां येनकेन प्रकारेण इन्होंने अपने लोगों को नामित करके चुनाव जीत लिया। वही काम यह पंचायतों के चुनाव में भी कराना चाहते हैं। आज पूरे देश में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसी परम्परा आप मत बनाइये कि आपकी परम्परा का दूसरे लोग अनुसरण करें। मैं चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी पंचायतों के चुनाव तत्काल करायें। अगर नहीं करा सकते हैं तो जो प्रधान हैं उनको चलने दें और प्रशासनिक समितियां जो आप बनाना चाहते हैं न बनायें। आप आर०एस०एस० के लोगों को नामित करने का काम नहीं करेंगे इसकी सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करें।

डा० अशोक वाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कुंवर साहब ने पंचायतों के संबंध में की जाने वाली धांधली के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया, मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर संविधान संशोधन के समय यह व्यवस्था की गयी थी, पूर्व में जो पंचायतों के चुनाव में स्वेच्छाचारिता चलती थी और 10-10 साल तक चुनाव नहीं होते थे उसको दूर करने के लिये संविधान में 73 वें 74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाए।

इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते अधिनियम में परिवर्तन करने का निर्णय सरकार कर रही है। पंचायती राज अधिनियम की धारा–12 में यह व्यवस्था की गयी है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व ही पंचायतों के चुनाव करा दिये जायेंगे। लेकिन 18 तारीख को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश निर्गत करके पंचायतों के चुनावों को लम्बे समय तक टालने का फैसला किया है। सरकार को संविधान की मंशा के परे जानकर इस तरह का अध्यादेश लाने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायतें जनतंत्र का मूल हैं, पंचायतें जनतंत्र की प्राथमिक पाठशालायें हैं। अगर सरकार इस तरह का आचरण करेगी तो हमारे जनतंत्र की जड़ें खोखली हो जायगी। इस सरकार की जनतंत्र में आस्था नहीं है और चुनाव को टालकर पंचायतों में अपनी विचार धारा और अपनी पार्टी के लोगों को सरकार नामित करना चाहती है। इस तरह का कार्य इस प्रदेश की करोड़ों जनता के साथ विश्वासघात होगा, इसलिये मैं सदन का ध्यान

आकर्षित करते हुये बल देना चाहता हूं कि सरकार तत्काल चुनावों की घोषणा करे और चुनाव को समय पर कराने का काम करे ।

दूसरे प्रदेश की सरकारों ने भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनावों को टालने का प्रयास किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया और सरकारों को तत्काल चुनाव कराने पड़े । लेकिन हरियाणा की सरकार ऐसी है जो इनके सहयोग से चल रही है । उसने उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुरूप 5 साल में चुनाव कराये जायं और सरकार को चुनाव कराने का निर्णय लेना पड़ा । उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव को मनमाने ढंग से टालने का काम किया है और वह आर०एस०एस० और भाजपा के लोगों को बैठाना चाहती है जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सरकार को निदेश दें कि संविधान की मंशा के अनुसार यह सरकार चुनाव कराने का काम करे । प्रदेश में जब से पंचायती राज की नयी व्यवस्था लागू हुयी है इनके तमाम तुगलकी आदेशों के जरिये पंचायतों के कामकाज में दखल किया जा रहा है । एक दिन एक आदेश जाता है और दूसरे दिन परिवर्तित आदेश जाता है जिससे पंचायतों को अपना काम करने मेंअसुविधा होती है और सरकार पंचायतों को जानबूझकर कमजोर करने का काम कर रही है । इस सरकार की निश्चित मंशा है कि पंचायतों को कैसे कमजोर करके रखा जाय इसलिये मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल पंचायतों के चुनाव कराने का काम सरकार करे ।

मान्यवर, जब 23 तारीख को बजट सत्र आहूत था, विधान सभा बैठने वाली थी तो 18 तारीख को अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी ? इनकी यदि जनतंत्र में, संसदीय प्रणाली में आस्था होती तो इस निर्णय को विधान सभा के पटल पर ला करके चर्चा कराने का काम किया जाता । यदि ऐसी कोई अपरिहार्य स्थिति थी तो हम स ब लोग उस पर बल देते लेकिन इनकी मंशा है कि पंचायतों के चुनाव को टाला जाये । मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का विषय दूसरा नहीं हो सकता । जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है, तत्काल इस पर रोक लगाने का काम किया जाये । इस संबंध में स्पष्ट रूप निर्देशित किया जाये कि तत्काल चुनाव करायें और जो राजनैतिक भावना से नामित करने की मंशा है उसे तत्काल रोका जाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, पंचायत राज चुनाव के सम्बन्ध में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी । उसके उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुये जो 73 वां संविधान संशोधन था उसमें यह कहा गया है कि रेगुलर इलेक्शन न होना, लम्बी-लम्बी अवधि तक सुपर सेशन, पंचायतों का होना और जो समाज के कमजोर वर्ग है उनका उचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण, सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होने के कारण, जो आर्थिक संसाधन हैं उनकी कमी होने के कारण यह आवश्यकता अनुभव हुई । जो संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिये गये हैं संविधान की धारा–40 में और जिनमें यह कहा गया है कि पंचायतों को हम इस प्रकार संगठित करें और इस प्रकार शक्तियां दें कि एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये, इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने के लिये 73 वां संशोधन संविधान में किया गया जिसका उद्देश्य था कि हम इसको निश्चित बनायें, निरन्तरता रखें और इन पंचायतों को शक्तिशाली बनाने का काम करें ।

संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रति 5 वर्ष में पंचायतों के चुनाव होंगे । जहां तक आरक्षण की व्यवस्था की बात है 243 (घ) में स्पष्ट कहा गया है कि चक्रानुक्रम के हिसाब से आरक्षण होगा । जो सरकार की तरफ से उत्तर आ रहा है और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी विवाद कर रहे हैं

कि हमारे पास समय नहीं था रिजर्वेशन और एनामिलीज को ठीक करने के लिये। संविधान में कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि 5 वर्ष से आगे कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, दो चीजें कहना चाहता हूं कि मनोनयन या नामीनेशन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का विकल्प नहीं हो सकती। दूसरे यह कहना चाहता हूं कि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही की जाती हैं और यदि कोई संवैधानिक व्यवस्था की गयी है तो यह अधिकार सरकार का नहीं है, कि मात्र अपनी सुविधा के लिये कि उस संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करें। पंचायत चुनाव को स्थगित करने का जो काम सरकार कर रही है यह असंवैधानिक कार्य अपनी सुविधा के लिये किया गया कार्य है। जनता को असुविधा में डालने का काम किया गया है। इससे ग्रामीण विकास की गति बाधित हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश देने का काम करें वह संविधान विरुद्ध कार्य करने से बाज आये और चुनाव आयोग से समन्वय करके चुनाव की तिथि तत्काल घोषित करने का काम करें।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यूं तो जबसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रही है। विधि और विधान को खण्ड-खण्ड करने का काम कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पंचायतों के चुनाव जो अप्रैल में होने थे जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही थी लेकिन अचानक इस सरकार ने पंचायत चुनाव को एक सोची समझी रणनीति के तहत और ऐसी रणनीति के तहत जिसमें आर० एस० एस० के जो लोग शाखाओं पर जाते हैं उनको हर गांव सभाओं में बैठाने का कुचक्र किया गया यह लोकतंत्र की हत्या है।

महात्मा गांधी जी ने जिस पंचायत व्यवस्था की बात की थी उसको बिगाड़ने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जिसमें भूचाल आ जाए या अन्य कोई परिस्थति आ जाए तो कौन सी परिस्थिति इस समय प्रदेश में पैदा हो गई है कि सरकार ने इन निर्वाचित संस्थाओं को खत्म करके अपने लोगों को बैठाने का काम किया मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार पर दबाव डालें कि वह समय पर चुनाव कराए। संविधान में कहीं कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, एक्ट में कोई प्रोवीजन नहीं है कि इसको टाला जा सके लेकिन इनकी संविधान में आस्था नहीं है। अगर यह चुनाव नहीं करा सकते हैं तो जो प्रधान हैं जिस तरह से कार्यवाहक प्रधान मंत्री हो सकते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो जब तक चुनाव न हों तब तक वही व्यवस्था प्रधानों को वही भूमिका दी जा सकती है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आर० एस० एस० के लोगों को जो इनकी शाखाओं में जाते हैं उनको लाने का काम किया जाएगा प्रदेश की जनता इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी हम सड़कों पर आएंगे और प्रदेश को किसी भी कीमत पर आर० एस० एस० के चुंगल में फंसने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इस पर न्योछावर हो जाएगा। यह नहीं हो सकेगा।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी आप बैठ जाएं आपकी नोटिस नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री उदय राज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को बढ़ाने का काम किया है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है न ही देश के संविधान पर इनका विश्वास रह गया है । यह पहला उदाहरण नहीं है इसके पहले सहकारिता के चुनाव में पांच साल के लिये लोग निर्वाचित हुये थे उसको घटाकर तीन साल तक करने का इस सरकार ने काम किया था । चाहे जिला सहकारी बैंकों के चुनाव हों चाहे सहकारी समितियों के चुनाव हों सब जगह नामित डायरेक्टर लोगों को बैठाने का काम किया । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने पंचायतों के संबंध में एक बात कही कि परिसीमन में इतनी धांधली हुई तो क्या चार साल से यह सरकार काम कर रही है उसने इसको ठीक क्यों नहीं किया लेकिन इसके बजाय चुनाव टालने का काम किया जा रहा है । चुनाव टालकर अपने आर० एस० एस० के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पंचायतों में बिठाने का फैसला लिया गया है । मेरा निवेदन है कि चुनाव समय पर कराया जाए व पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं वह अधिकार उनको प्रदान किये जाएं ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, नियम 311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मेरे साथ अन्य माननीय सदस्यों जैसे श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय बाजपेई जी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अम्बरीष कुमार एवं श्री उदयराज यादव जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उन पर मैं बल देते हुए कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव टालने के लिये जो प्रश्नकाल में पंचायत राज मंत्री ने जो कारण बताये उनके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो जवाब दिया गया है वह पूरी तरह से इस सरकार द्वारा दे सारे कारण पैदा किये गये जिससे समय पर जिला पंचायतों और पंचायतों के चुनाव न हो सकें । मान्यवर, यदि अभी चुनाव हो जाते तो क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों को इन्तजार न करना पड़ता । अब उन्हें इन्तजार करना पड़ेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात अनियमितताओं के संबंध में कही गयी कि अनियमितताओं को दूर करने के लिये यह चुनाव टाले गये । तो मैं अनियमितताओं के बारे में कहना चाहता हूं कि जब चुनाव 1995 में हुये थे और उसके बाद चुनाव टालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था चूंकि भाजपा पार्टी उस समय भी सरकार में भागीदार थी । समय पर चुनाव हो जाते लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हीं उस समय भी चुनाव टालने का काम किया था ।

मान्यवर, 6-8 महीने का गैप जो होता है क्षेत्रीय पंचायतों के चुनाव और जिला पंचायतों के चुनाव में तो इन्हीं के कारणों से चुनाव टले । जो कहा जा रहा है कि कुछ खामियां थीं तो पिछली सरकार ने उन खामियों को दूर करने के लिये कुछ किया होता तो ऐसी स्थिति न होती । यह सकरार साढ़े तीन साल से क्या सो रही है ? अभी तक इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि पंचायतों के चुनाव करवाने हैं और यदि चुनाव करवाने हैं तो इन्हें सोचना चाहिये था कि कैसे करायेंगे ? मान्यवर, इन्हें दो-चार महीने पहले सोचना चाहिये था कि हमें ग्राम सभाओं के चुनाव कराने हैं और जो खामियां हैं उन्हें समय रहते दूर कर लिया जाय । मान्यवर, चक्रानुसार और अन्य तमाम तरीकों से चुनाव कराने होते हैं जिनमें काफी दिक्कतें हैं ।

[समय 1.00 बजे]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, चक्रानुसार चुनाव कराने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है । पहले से ही हमारी सरकार ने, माननीय श्री मुलायम सिंह जी के टाइम से ही यह तय कर दिया था कि चक्रानुसार चुनाव होंगे । मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तीन दिन के अन्दर सारे प्रदेश में चक्रानुसार, जिस तरह से संविधान में व्यवस्था निहित है, उसके अन्दर सारी व्यवस्था करके इस पीठ को हम दे देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे तो चुनाव करा ले, इसमें कोई बाधा नहीं है ।

बाधा केवल एक है और जैसा माननीय सदस्यगण ने शंका प्रकट की, मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस शंका का समाधान करके सदन में घोषणा करने का कष्ट करें । हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने समाधान नहीं किया है । स्पष्टरूप से इस सदन में घोषणा की जाय कि पंचायतों के चुनाव हम दो महीने में करवा देंगे । अभी तो अप्रैल का महीना शेष है, अगर आप चाहें तो एक सप्ताह के अन्दर व्यवस्था हो सकती है और चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं, नहीं तो इस पीठ को अधिकार दे दें और हम व्यवस्था कर देते हैं । अगर चुनावों में कोई धांधली होती है तो आप हमारे मत्थे पर डाल दें परन्तु धांधली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है । चाहती है कि किसी तरह से आर०एस०एस० के लोगों को पवित्र प्रधानों की जगह को अपवित्र कर दें जो मनमाने तरीके से गांव सभाओं का संचालन करें और पैसे का दुरूपयोग करें । ये चाहते हैं कि हम आर०एस०एस० मय सारी ग्राम सभाओं को कर दें और आगे जो भी चुनाव हों उसमें आर०एस०एस० के लोग ही जीत कर आयें, यही मंशा है । मैं मांग करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री जी से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि हम पंचायतों के चुनाव अभी तुरन्त करवायेंगे और हम नौमिनेशन नहीं करेंगे और चुने हुए प्रधान ही कार्यरत रहेंगे । इसके साथ ही मैं अपनी बात को बल देते हुए और जैसा मैंने मांग की है अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह कोई मामूली मामला नहीं है, गम्भीर मामला है ।

-श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपा कर बैठ जायं ।

*पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी तथा पीठ के माध्यम से माननीय सदस्यगण ने अपनी बात यहां पर रखी है । इस पर आपकी पीठ के निर्देशानुसार मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह सुनकर बड़ा कष्ट हो रहा है और एक अकारण शंका हो रही है कि आर०एस०एस० के लोगों को बैठा दिया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि आर०एस०एस० के लोगों को तो सामाजिक, सांस्कृतिक सेवा से तो फुर्सत है नहीं, ऐसे कामों के लिये वह आपके बीच कहां से आयेंगे आज सारे देश में एक प्रचलन हो रहा है । आर०एस०एस० के लोग तो सीमाओं पर लड़ाई के दौरान स्वयं राहत पहुंचाते हैं और जब कहीं देश के अन्दर बाढ़ आदि जैसी विपत्तियां आ जाती हैं तो वहां जाकर आर०एस०एस० के लोग काम करते हैं । आर०एस०एस० का भूत आज लोगों पर पता नहीं क्यों सवार है । मैं तो इस पवित्र सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ये किसी सम्मानित प्रचारक से सम्पर्क करके एक महीने शाखा में जायं इनके विचार जरूर बदल जायेंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया व्यवधान न करें । शान्त बैठें ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, हमारी सरकार की कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे और मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण विषय है उसको सुनेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा । कृपया शान्त रहें ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का आदर करते हुए कहना चाहूंगा कि इस काम पर पर्याप्त एक्सरसाइज करवाई है । हर ऐंगिल से देखा गया है । कहीं भी यह परिस्थिति नहीं मिली कि चक्रानुक्रम जो संविधान की मंशा है उसको कैसे लागू किया जाय । सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ । अभी जब 94 में तत्कालीन सरकार ने एक्सेप्ट किया और 95 में लागू किया तो मान्यवर, त्रुटि कहां से हुई । इस पर जो अध्ययन किया यह कोई हमारे दल से सम्बन्धित नहीं है । यह आपका भी पूरे प्रदेश का विषय है । पूरे प्रदेश में जिस वर्ग को जैसा आरक्षण देना है उसके हिसाब से दिया है । अनुसूचित जाति 21.05% अनुसूचित जनजाति 02% और पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत । आरक्षण का जो विधिवत प्रतिशत है वह हम देंगे ।

पिछली सरकार के समय में जो त्रुटि हुई हो सकता है वह जानबूझ कर हुई हो, या जल्दबाजी में हुई हो । पूरे क्रम में प्रदेश के एलाटमेंट में राज्य को इकाई मान लिया । राज्य को इकाई मानकर जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिये राज्य को इकाई माना ठीक है लेकिन ब्लाक प्रमुख के पद के लिये जिस तरह से किया गया । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम तीन दिन में व्यवस्था कर लेंगे । यह दुर्भाग्य ही है कि आपने इसको तीन दिन में ही किया था और उस पर विचार नहीं किया था । 467 ब्लाक में 50 प्रतिशत से ज्यादा, 27 में 70 और 100 ब्लाकों में शत प्रतिशत आरक्षण कर दिया था ।

संविधान के नियमों के अनुसार वहां उन्हें मत देने, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला । जिला पंचायत के सदस्यों में इन्होंने इकाई माना जिले को और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में इकाई माना ब्लाक को । ग्राम प्रधान के मेम्बर में इन्होंने इकाई माना ग्राम को और प्रधानों को ब्लाक प्रमुखों को और जिला पंचायतों के अध्यक्ष को स्वतः जिला पंचायत अध्यक्ष का पद । इस तरह से अपनी इच्छा से जहां जैसा चाहा प्रतिशत कर दिया । मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि निर्णय में त्रुटि थी, दोष था, खोट था । इस तरह से कहीं बहुत अधिक और कहीं जो सीमा है उसके अनुसार भी आरक्षण नहीं मिला । अब आप ही बतायें कि संविधान के अनुसार चक्रानुक्रम में जिस वर्ग में आरक्षण था अगले चुनाव में पुनः आरक्षित नहीं किया जा सकता है । अब मान्यवर, 467 ब्लाकों में 70 परसेंट उससे ज्यादा ब्लाकों में 80-90 परसेंट या उससे ज्यादा शत- प्रतिशत आरक्षण हैं वहां चक्र कैसे चलाया जाए यह कठिनाई है । इसके बाद आपके सामने 10 महीने का गैप है यह बात आपके सामने भी आ सकती है इस पक्ष और उस पक्ष के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के सामने आ सकती है, आप कल्पना करें आर्थिक कठिनाई को बचाने के लिए एक साथ चुनाव कराएं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनें जो नये चुने जायेंगे उन्हें ब्लाक जाने का शौक रहेगा पुराने सदस्य कहेंगे जनवरी 2001 तक कमेटी कार्य कर रही है । प्रधान अपनी बात कहेंगे तमाम वित्तीय कार्यों के लिए धन पहुंचेगा, तो उस समय कैसी अराजकता की स्थिति होगी, इसको दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है । रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि चुनाव तत्काल करावें या न करावें दायित्व प्रधान का बनाये रखें, मैं बताना चाहता हूं इसको बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया गया है कि सरकार की कहीं कोई मंशा किसी को नामित करने की कहीं डालने की नहीं है, दो राज्यों में चुनाव हो रहे थे कर्नाटक और हरियाणा में वहां ऐसा किया, हरियाणा में बिना किसी ठोस आधार के बढ़ा दिया, कर्नाटक में भी बढ़ा दिया ।

माननीय सदस्य इस कठिनाई को महसूस करेंगे । मान लीजिये इस समय चुनाव कराते हैं क्षेत्र पंचायत का गठन 2001 में करते हैं जिला पंचायत ग्राम पंचायत का गठन अब करते हैं तो इसको आप महसूस करें । हर सरकार के पास विसंगति रहेगी । एक चुनाव पहले एक चुनाव बाद में किया जाएगा इसमें किसी की कोई बदनीयती नहीं है । सरकार ने परिस्थितियों को सुधारने के लिये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया है । कैबिनेट में निर्णय किया गया है कि अक्टूबर में इस प्रदेश के अन्दर चुनाव कराये जायेंगे । एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाये जायेंगे इससे पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत के चुने सदस्यों से एक प्रशासनिक समिति बनी है उसमें 6 सदस्य हैं इसमें सरकार ने सब वर्गों का ध्यान रखा है यह समिति

काम करेगी, इस समिति में एक पिछड़ा वर्ग एक अनुसूचित जाति एक विकलांग तीन सामान्य लोगों को रखा है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम सब मिलकर विसंगतियों को दूर करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रशासनिक समिति बनायेंगे या जो बनी है कार्य कर रही है उसमें नये सदस्यों को नामित करेंगे या जो सदस्य उसमें हैं वही इसके सदस्य रहेंगे ? दूसरी बात यह चुनाव के बारे में स्पष्ट बतायेंगे कि चुनाव कब तक करा देंगे, कोई तिथि निर्धारित की है यह कह रहे हैं 10 महीने का गैप हो गया है इसमें ब्लाक प्रमुख के चुनाव नहीं हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं होने हैं तो क्या जो प्रधान हैं इनका कार्यकाल बढ़ाएंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जहां तक मध्यवर्ती पंचायत क्षेत्र का संबंध है, वैकल्पिक व्यवस्था की जरुरत नहीं है। उनका कार्यकाल चल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर हमने स्पष्ट किया है, 6 समितियां बनी हुई हैं ग्राम पंचायतों में, वह जो बनी हुई हैं वही प्रशासनिक समिति उसके विकल्प के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था में कन्वर्ट कर दे रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जो समितियां बनी हुई हैं और उन समितियों में जो व्यक्ति हैं क्या वही व्यक्ति रहेंगे या दूसरे व्यक्ति नामित करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मेरी बात किसी अन्य अर्थ में न ली जाय। बार-बार वहीं शंका हो रही है। माननीय नेता विपक्ष की जब सरकार थी, एक बार ऐसा ही आगे चुनाव को बढ़ाया गया था। जो समितियां बनी हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा–

यह स्पष्ट कर दें कि वही व्यक्ति रहेंगे या दूसरे व्यक्ति को नामिनेट किया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो कहें नहीं तो हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जैसे पीठ की आज्ञा हो।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इस सरकार का स्पष्ट इरादा है। यह समितियां तो वहीं रहेंगी लेकिन इसमें आर० एस० एस० के लोगों को नामित किया जायेगा। अगर यह कहते हैं कि वहीं व्यक्ति रहेंगे तो इसकी घोषणा करायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठे। माननीय मिश्रा जी आप बैठें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल आपने स्पष्टीकरण पूछा और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आप माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपके मन माफिक उत्तर दें। आप असहमत हो सकते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है। इनकी मन्शा आर० एस० एस० के लोगों को नामित करने की है। अन्यथा यह स्पष्ट करें कि जो समितियां हैं और उसमें जो व्यक्ति हैं वही व्यक्ति रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो प्रशासनिक समितियां बनायेंगे उस प्रशासनिक समितियों में जो पूर्व की पंचायतों के मेम्बरान थे उनको आप एज ए मेम्बर रिपीट कर देंगे या उसके अन्दर दूसरे मेम्बरों को नामिनेट करने का काम करेंगे ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जो समितियां बनी हैं वे समितियों के जो सदस्यगण हैं वे तो हैं, प्रशासनिक समिति में, हमको इसमें किसी जिले में कहीं ऐसी-ऐसी सूचना आयेगी कि जहां प्रशासनिक समिति उस समय गठित नहीं की गयी, आयेगी, ऐसे स्थानों का संज्ञान लिया जा सकता है । आलरेडी प्रशासनिक समिति है ही । संविधान में जो संदर्भ है आगे बढ़ाने का, उसका प्राविधान आप देखें । शब्द आदि में परिवर्तन विधिक परामर्श करके किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, स्पष्ट करवा दीजिये बहुत ही गंभीर विषय है कि सरकार क्या करने वाली है जनता के सामने स्पष्ट राय जानी चाहिये ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, विरोधाभास किसी प्रकार का नहीं है । आपकी आशंका यह है, भ्रमजाल में आप खोये हुए हैं । जब आप स्पष्ट रूप से सोचेंगे नहीं, स्पष्ट निर्णय नहीं होने का । जब आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कोई अधिकार किसी का कार्यकाल बढ़ाने का है नहीं । किसी का कार्यकाल बढ़ाने का नहीं है और न करने ही जा रहे हैं तो हम कर नहीं सकते तो उसका आश्वासन कैसे हम दे दें । ऐसा कोई विचार ही नहीं है कि किसी के स्थान पर किसी को नामिनेट कर दिया जाय । केवल एक व्यवस्था की बात है हम व्यवस्था क्या रखें । विकल्प भी नहीं है । अक्टूबर महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे । इस बीच में एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात है ।

मान्यवर, निश्चित रूप से हम लोग इस पक्ष में नहीं है इसका विधिक परीक्षण करना पड़ेगा, आर्डीनेन्स लाये हैं और वह आर्डीनेन्स हमने टेबिल भी कर दिया और इसका विधेयक भी आयेगा । सारी बातें आपके सामने रखी जायेंगी । आज जो स्थिति रखी है वह स्पष्ट है । अंतरिम अरेन्जमेन्ट करने जा रहे हैं, अक्टूबर में चुनाव है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह विधेयक असेम्बली में आयेगा, असेम्बली में जो व्यवस्था होगी वह आपके सामने होगी । जो अधिकार यह सम्मानित सदन हमको देगा उस अधिकार के अनुरूप ही हम कार्यवाही करेंगे उसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, सरकार की स्पष्ट मंशा है आरएसएस के लोगों को रखने की । इस तरह से प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता है और न उसके लिए आपको स्वच्छन्द किया जा सकता है, यह नितान्त गलत है । निश्चित रूप से जो हम लोगों को शक है वह आपके द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उजागर हो गया कि बिल लायेंगे और अवैधानिक तरीके से बहुमत के आधार पर आरएसएस को नामित

करने का काम यह सरकार करने जा रही है । यह नितान्त घृणित कार्य है और संविधान विरोधी है । हम चाहते हैं कि इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह घोषणा करें कि वही प्रधान वही समितियां हों अन्यथा एक माह में चुनाव करा देंगे ।

(समाजवादी पार्टी के लगभग सभी सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

इस बात के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आती । अतः मैं माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों को सुनने के बाद नियम–311 के अन्तर्गत इसको अस्वीकृत करता हूं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर रिपोर्ट्स की चेयर एवं टेबिल पर चढ़ कर नारे लगाने लगे "संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी")

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 35 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 के संबंध में नियम–311 एवं 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को विशेष उल्लेख के रूप में सुने जाने की अनुमति

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना विशेष उल्लेख के रूप में श्री समरपाल सिंह की है ।

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया । उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक भवनों का विनियमन विधेयक, 2000 को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जनमानस आन्दोलित है । पूरे प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन किये जा रहे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जगह-जगह इसके संदर्भ में सेमिनार आयोजित किये जा रहे हैं । इसका एक कारण है कि पूरे प्रदेश के अन्दर इस विधेयक को लेकर एक शंका व्याप्त है । हमें संविधान की धारा–25-26 के तहत यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम अपने ढंग से अपने धार्मिक क्रिया-कलापों का संचालन करें, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस विषय को कल माननीय नेताओं ने सदन में उठाया था और उस समय माननीय अध्यक्ष पीठ द्वारा यह कहा गया था कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी को बुलाकर, नियम–110 में इस पर किस तरह से कब समय दिया जाय, इसको तय करेंगे । अगर आप उसी विषय को किसी दूसरी सूचना में आज लेंगे तो बाद में यह कह देंगे कि इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिये हमारी मांग है कि आप इस विषय पर नियम–110 में चर्चा कराने का काम करें । मैं यही चाहता हूं कि अगर आप इसे लें तो नियम–110 में ले लें और इसी समय इसे चलने दें या बाद में जब भी समय तय करें तो नियम–110 के तहत तय करें, यही मेरा अनुरोध है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने किस नियम के अन्तर्गत इसको सुनने के लिये तय किया है, या क्या बात हुई है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैं आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं । इस पर चर्चा की बात चल रही है । मैं इस समय चर्चा नहीं करा रहा हूं । नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दी गई थी, जो स्वीकृत नहीं हुई है, केवल विशेष उल्लेख के रूप में विचार प्रकट करने के लिये मैंने कहा है, यह चर्चा का विषय इस समय नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुनें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप विद्वान हैं और कानून के ज्ञाता हैं । अगर आप आश्वस्त करें कि नियम–110 में चर्चा कराना चाहते हैं या अध्यक्ष जी 103 में कराना चाहते हैं तो सदन को स्पष्ट आश्वस्त कर दें और अगर 2-4 मिनट सुनकर समाप्त कर रहे हैं तो यह आश्वस्त कर दें कि यह इश्यू समाप्त नहीं होगा, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

किस नियम के तहत चर्चा होगी और माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेताओं के बीच क्या बात हुई है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । विशेष उल्लेख के रूप में सुन रहा हूं, इससे चर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री समर पाल सिंह–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि पूरे प्रदेश के अन्दर जनता इस विधेयक को लेकर आन्दोलित है क्योंकि संविधान की धारा 25-26 के अन्तर्गत जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उस पर इसके माध्यम से रोक लगा दी गई है ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, धर्मस्थल विधेयक को आप 110 (5) में ले लीजिये या 103 में ले लीजिये । आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और आपके संज्ञान में भी है । आपने व्यवस्था दे दी कि इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरी आपसे गुजारिश है, अध्यक्ष जी के सामने 110 के संबंध में प्रस्ताव आया था, उसी पर आप इसको सुन लें तो ज्यादा ठीक होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर माननीय सदस्य सहमत हैं तो श्री समरपाल सिंह से आग्रह कर लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय समर पाल जी, अगर सदन के सभी माननीय सदस्यों की राय है और इस विषय पर चर्चा होना लगभग तय है तो ऐसी स्थिति में यदि उचित समझें तो आप चर्चा को उसी दिन के लिए रख लें।

श्री कौकब हमीदे–

मान्यवर, सब लोग इस पर बोल चुके हैं, इसलिए हमें भी बोलने दें।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता–महोदय, संविधान की धारा 25–26 में मौलिक अधिकार जो धार्मिक क्रिया-कलापों के लिए मिला है कि कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से पूजा-पाठ कर सकता है, पूजा स्थल का निर्माण कर सकता है और उसमें धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, इन सब के ऊपर इस विधेयक के माध्यम से रोक लगा दी गयी है और इसमें धार्मिक स्थल की जो, परिभाषा दी गयी है उसमें जैसे गिरजाघर है, मन्दिर या मस्जिद है उससे हटकर भी जो निर्माण करेगा उसमें जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है, पूजा-पाठ करना चाहता है, कथा कराना चाहता है किसी और तरह का आयोजन करना चाहता है तो उस स्थान को भी धार्मिक स्थल मान लिया गया है और इसके लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी।

अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई पूजा का स्थान बनाता है और नियमित रूप से पूजा पाठ करता है और साल में अगर एक दिन वह अन्य व्यक्तियों को पूजा करने का अवसर देता है तो उसके लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार जो धार्मिक संस्थाएं है, इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उसे भी धार्मिक स्थल मान लिया गया है उसमें कोई फैकल्टी खोलना चाहे, उसके अन्दर कोई कमरा बनाना चाहे तो वह भी इसकी परिभाषा में आ गया कि आप धार्मिक स्थल का निर्माण कर रहे हैं। इसकी अनुमति जिलाधिकारी से लेनी पड़ेगी।

यह धर्म स्थल विधेयक, धार्मिक क्रिया-कलापों पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। आप रिकार्ड उठाकर देख लें कि वास्तव में कौन संस्थाएं प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति पूजा-पाठ करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई कीर्तन कराता है और उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और नमाज का टाइम हो जाये और वह वहां खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगे तो वह भी पूजा स्थल हो गया इसके लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। पुलिस वाला कहेगा कि सार्वजनिक स्थान पर पूजा पाठ कर रहे हो। यह देश तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है, धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। तमाम धर्मों के लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक स्थल तथा पूजाघर का निर्माण करते हैं। नियमित रूप से प्रतिमाह हवन, यज्ञ कराते हैं और तमाम महापुरूषों के प्रवचन कराते हैं जिसमें लाखों लोग प्रवचन को सुनने आते हैं। अगर यह विधेयक लागू होता है तो इसको धार्मिक स्थल मान लिया जायगा और प्रवचन आदि के लिये पंडाल भी नहीं लगाया जा सकता है।

पूरे प्रदेश के अन्दर इस विधेयक के निरस्तीकरण को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। सभी राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग और तमाम संगठनों के लोग इस विधेयक के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाय। इस विधेयक की गंभीरता को देखते हुये चूंकि यह

आम जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस पर दस्तखत नहीं किया और महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया । मैं मांग करता हूं कि आज सारे सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय । यह लोकमहत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है क्योंकि विधेयक पास होने वाला है, इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको नियम–311 में नहीं सुन रहा हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भवनों एवं स्थानों का विनियमन विधेयक, 2000 जिसको इस सदन ने पास करके एक खौफ और हिराज का माहौल सरकार ने पैदा किया है उससे परेशानी पैदा हो गयी है । हर जगह पिछले एक महीने से आन्दोलन हो रहे हैं, मीटिंग और धरने हो रहे हैं । जो खासतौर से अकलियत के लोग हैं वह इससे और भी परेशान हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

आप इसको विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुन रहे हैं और सत्तापक्ष के लोग इसको सुनना नहीं पसन्द कर रहे हैं, आप सदन में हाजिरी देख लें । इस पर व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 900 साल हो गये हैं जबसे मुसलमान, अकलियत के लोग यहां पर मौजूद हैं । इनकी परेशानी यह है कि आज संविधान का, आईन का, कांस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है । नमाज किस तरह से पढ़ी जायगी, कहां पढ़ी जायगी, पूजा कहां पर की जायगी, किस मन्दिर में जाया जायगा और मन्दिर कैसे बनाया जाय, अपनी जमीन पर बनाया जायगा या जमीन खरीद कर बनाया जायगा इसकी संविधान में इजाजत है । सरकार ने इसको रोक दिया है और डी०एम० हमारा हुकमरां बना दिया है । जो मंदिर की कमेटी का फैसला है या मदरसे के या मस्जिद के इमाम साहबान हैं वह अपनी अर्जी लिये डी०एम० के पास खड़े रहेंगे कि मरम्मत करानी है या मीनार को ऊंचा कराना है, इसकी इजाजत दी जाय । अगर यह व्यवस्था की जायगी तो फिर काम कैसे चलेगा ।

जब यह विधेयक पास हो रहा था उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया कि नेपाल के बार्डर पर मदरसे हैं वहां पर आई०एस०आई० के लोग अपनी कार्यवाही कर रहे हैं । यानी 17-18 फीसदी मुसलमान जो यहां पर रह रहे हैं उनको आपने आईएसआई का गद्दार बता दिया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारगिल की जंग में 700 लोग शहीद हुये हैं । 116 आदमी मुसलमान भी थे जो इसी प्रदेश के थे । आज आप हमें आई०एस०आई० का एजेण्ट बता रहे हैं ।

मैं दावा करता हूं कि आप ईमानदारी से सही आदमी पकड़कर किसी भी मदरसे से दिखा दो कि यह व्यक्ति आई०एस०आई० का एजेण्ट है । यह क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने यहां हैं चाहे विधान सभा में एम०एल०ए० की शक्ल में हों, चाहे फौज के जवान हों, चाहे आई०ए०एस० अधिकारी हों, सब देश के दुश्मन हैं । 1948 की लड़ाई में क्या उस्मान यहां के नहीं थे । वीर अब्दुल हमीद जिसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नाम पर आपने चौक बना रखा है, अशफाक उल्ला क्या यह सब देश के दुश्मन थे। मैं इस सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि यह एक भी आदमी दिखा पायें। यह सिर्फ इस तरह की बातें करके जो आपसी प्यार व मोहब्बत है उसे तोड़ना चाहते हैं। आपने बिना सोचे-समझे एक विधेयक बना दिया। यह प्रासांगिक नहीं है। हम 900 साल पहले यहां आये थे तब से रह रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि नियम–110 में चर्चा करायें साबित हो जायेगा कि विपक्ष क्या चाहता है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका विशेष आभारी हूं कि आपने विशेष उल्लेख में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक, धार्मिक भवनों के विनियमन विधेयक, 2000 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आपको भी कौकब हमीद और समर पाल सिंह से जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस विनियमन विधेयक के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रोष व्याप्त है। पूरा समाज इस बात से आशंकित है और सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि किस नीयत से सरकार को इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी है। जबकि किसी भी प्रकार के नये भवनों के निर्माण के लिए यू०पी० कन्ट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट में नगर पालिकाओं और नगर–निगमों के अपने विधि एवं कानून हैं। दिसम्बर, 1992 की घटना के बाद तो नये धर्मस्थलों के निर्माण पर तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा और भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे।

ऐसी परिस्थित में इस काले कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बात बहुत साफ है। विधेयक प्रस्तुत करते समय इसकी प्रस्तावना का जिक्र किया गया था कि प्रदेश के सरहद के किनारे जो नेपाल का बार्डर है उसके आस-पास मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शक की निगाह से देखने की कोशिश की गयी है जो सत्य से परे है। मुस्लिम अल्पसंख्यक भाईयों को आई०एस०आई० का एजेन्ट मानकर, उनके चरित्र का विशलेषण करने का काम यह सरकार कर रही है। ऐसा करके वह किस तरह से लोगों को साथ लेकर चलने की परिकल्पना कर रही है। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी सदस्यों में रोष है और उन्होंने विभिन्न नियमों के तहत चर्चा करने की कोशिश की है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारत के संविधान की धारा–25 व 26 की तरफ जिसके अन्तर्गत पूरे समाज को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इस तरह के विधि बनाने पर रोक लगाने की बात कही गयी है। संविधान के अनुच्छेद 25 में व्यवस्था है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को (क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का (ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ऐसे विधेयक को लाकर जिसमें किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत करने के लिए पूजा अर्चना तथा नमाज पढ़ने के लिए भी जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी, संविधान विरोधी कार्य किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन को अधिकार होगा। उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संविधान ने अल्पसख्यकों को यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन जाने अनजाने में इस विधेयक के जरिये उसके क्रिया-कलापों पर उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाने की कोशिश जिलाधिकारी के

माध्यम से की गई है । इस पद को तथा पूरी प्रशासनिक मशीनरी को, हमने आजादी के बाद से लगातार प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गैर राजनीतिक आधार पर रखा है उसे सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया गया है । इस सरकार के मुख्य मंत्री सदन के बाहर यह कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं आर०एस०एस० की शाखाओं में सरकारी मशीनरी भाग ले सकती है । उनको इजाजत देने का काम सरकार कर सकती हैं । ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत हम जिलाधिकारी से निपक्ष रहने की किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं एवं वह किस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा ।

यह जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों विनियमन विधेयक, 2000 लाया गया है यह संविधान विरोधी है । संविधान में पूर्व से ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके अन्तर्गत गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है इसके लिए अलग से विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसको राष्ट्रपति के पास भेजा है । स्वयं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए । मेरी आपसे मांग है कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कराई जाए । इसका विरोध करने के लिए आज भी तमाम लोग विधान सभा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय आज जिस विषय पर यहां चर्चा चल रही है । उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों, विनियमन विधेयक इसके निरसन के सम्बन्ध में 23 मार्च, 2000 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है ।

[समय–2.00 बजे]

और इसी संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने भी एक सूचना प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है । अन्य हमारे साथी मा० सदस्यों ने नियम–311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं जिससे कि यह बात निर्मूल साबित होती है और स्पष्ट होता है कि आज पूरा प्रतिपक्ष और अन्य मा० सदस्य इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि भारतीय संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने अपने तरीके से धर्म को मानने और पूजा अर्चना करने की धार्मिक अनुष्ठानों की करने को छूट दी गयी है लेकिन इस विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है ।

मान्यवर, भारतीय संविधान यह अधिकार देता है कि सभी धर्म के लोग अपने तरीके से पूजा पाठ, उपासना करेंगे । लेकिन यह विधेयक उस पर अंकुश लगाकर यहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं चाहे यह मुसलमान हों, चाहे वे बौद्ध, चाहे सिक्ख समुदाय के लोग हों उनपर अंकुश लगाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर आप गम्भीरता से कहना चाहते हैं लेकिन बेहतर होगा जब औपचारिक रूप से इस पर चर्चा हो तो उस समय आप अपनी बात कह लेंगे आपने उल्लेख कर दिया है इसलिए अब आप इसे समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम लोग 23 तारीख से इस पर जोर दे रहे हैं कि नियम–110 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा लें क्योंकि यह पूरे प्रदेश में संवेदनशील मामला बन चुका है और सरकार द्वारा एक नयी समस्या खड़ी की जा रही है और जो सामाजिक समरसता है उसे नष्ट किया जा रहा है । मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें वाद-विवाद हो । इसलिए नियम–110 में चर्चा के लिए आप समय नियत कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है । सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने इसमें चर्चा के लिए आज नियम–311 में दिया था । लेकिन नियम–311 में तो नहीं बल्कि एक विशेष उल्लेख के रूप में इसमें अनुमति दी गयी कि इस सम्बन्ध में उल्लेख कर दें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इसमें चर्चा होगी तो विस्तार से आप अपनी बात कह लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं सहमत हूं इसलिए आप नियम–110 में इसमें चर्चा के लिए समय नियत कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री लालजी वर्मा जी ने उल्लेख किया था कि विभिन्न दलों के नेताओं की इसमें बातचीत हो चुकी है, क्या बातचीत हुई है यह मुझे नहीं पता है लेकिन जिस भी नियम में चर्चा होगी तो उस समय आप लोग अपने विचार विस्तार से प्रकट कर लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह मामला यूं ही विलम्बित होता जा रहा है । हम सभी चाहते हैं कि इस विषय पर रोज-रोज प्रश्न उठाकर सदन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जाये । इसलिए अनुरोध है कि इसमें समय निश्चित कर दें जिससे सदन का समय नष्ट न हो और विधिवत इसमें चर्चा हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

विभिन्न दलों के माननीय नेतागण माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में वार्ता कर लेंगे और किस नियम में और किस दिन के लिये चर्चा स्वीकार होगी, उस दिन आप अपनी बात कह दीजियेगा, क्योंकि कार्य-मंत्रणा समिति में तो आप सभी लोग होते हो ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, [×××]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा । आप हास्य कवि भी हैं यह मैं पहली बार जान पाया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

श्रीमन्, बुनियादी बात तो बुनियाद ही करेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नियम–110 के अन्तर्गत यह मामला आया है, इसलिये आप इस नियम के तहत समय सुनिश्चित कर दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही कहा कि आप सभी नेतागण माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में वार्ता करके कि किस नियम के तहत यह स्वीकार हो और किस तिथि को इस पर चर्चा करायी जाय, आप लोग वहां पर तय कर लें । उस दिन आपकी विद्वतापूर्ण वाणी तथा ज्ञान से हम भी लाभान्वित होंगे और आपकी इस पर

नोट :- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अधिक गहराई से जानकारी हो जायेगी । विशेष उल्लेख के रूप में आपकी बात आ गई । अब मैं आगे बढ़ता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

सरकार की तरफ से तो कोई बात आ जाय ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जिस दिन इस पर चर्चा होगी, उस दिन माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जैसे 1-2 वाक्य में आपने अपनी बात कही, हो सकता है माननीय मंत्री जी भी एक-दो वाक्य में अपनी बात कहें । जो आप कह रहें हैं शायद वह वही कहें । विशेष उल्लेख के रूप में आपकी बात आ गई । माननीय मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कहें नहीं तो रहने दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस पर 23 मार्च को मैंने प्रस्ताव दिया, फिर बाद में नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आज कौकब साहेब ने प्रस्तुत किया । इसलिये मैं चाहता हूं कि नियम–110 के अन्तर्गत आप इस पर चर्चा निश्चित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री मौर्य जी आपकी बात हो गई । माननीय मंत्री जी अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें । श्री अंसारी जी मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । बार-बार किसी बात को दुहराना दुराग्रह है और अच्छी बात भी नहीं है । मैं आगे बढ़ता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम आपका संरक्षण चाहते हैं और यह निवेदन करना चाहते हैं कि 110 के अन्तर्गत चर्चा के लिये...

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इस विषय पर आने से पहले कुछ कहना चाहता हूं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी माननीय मंत्री जी क्या कह रहें हैं सुन तो लजिये ।उन्हें अपनी बात तो कहने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मुझे कुछ कह तो लेने दें । मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं मौर्या जी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने इस बात के लिये विशेष रूप से उल्लेख किया है कि आज उनकी किसी बात का उत्तर न दिया जाय लेकिन अन्य माननीय सदस्य समर पाल जी, कौकब साहब और संजय गर्ग ने जो कहा हैउसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना आवश्यक समझता हूं और अपने को वहीं तक सीमित

रखूंगा । आपकी बात तो 4/5 चक्र में भाषण सुनकर उसके बाद उस बारे में कुछ कहूंगा । आज एक बात की जानकारी मिली । कौकब साहब कह रहे थे कि हम बाहर से आये हैं । हमने तो नहीं समझा कि यह बाहर ले आये हैं । हम तो समझ रहे थे आपने इसी धरती पर जन्म लिया है आपके पितामह ने भी इसी जमीं पर जन्म लिया है ।

(व्यवधान)

बीच में न बोलें । यह उचित बात नहीं है । एक बड़ी भयावह स्थिति है ।

मैं कुछ कहने से पहले बताना चाहता हूं कि एक राष्ट्रवादी संस्था रही है इनके वालिद साहब हुसैन अहमद साहब को काला पानी हुआ था । सजा हुई थी जेल में रहे और वहां उनका उत्पीड़न हुआ । इस संस्था ने सदैव देश भक्तों को पैदा किया है । अभी एक सम्मेलन हुआ उसमें एक विशेष अतिथि बाहर से बुलाये गये थे वे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । उनका भाषण हुआ । मैं समझ रहा था कि अल्पसंख्यक के नये-नये मसीहा पैदा हो गये हैं उनको बुलाया गया होगा । मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था । तैयारी कर रहा था । बड़ी हमदर्दी के साथ इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया । लाइब्रेरी में मैंने देखा 1984 में वही मुख्य मंत्री जब मध्य प्रदेश के थे तो स्वयं इस धर्म स्थल विधेयक को लाये थे और पारित कराया था । लेकिन बड़े आदमी हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी औकात है । कब विरोध कर दें । कब कुछ कह दें कुछ पता नहीं ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह एक सतत् प्रक्रिया है किस तरह से किसी वर्ग विशेष के साथ इस तरह की बातें करके माहौल इस तरह का बनाया जाय यह कोशिश की जाती है । इस विधेयक का, किसी वर्ग विशेष से, अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यकों से कोई मतभेद नहीं है । यह समान रूप से प्रदेश में रहने वाले सभी धर्मों, सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा । इसमें कोई धर्म का, मजहब का भेद नहीं किया गया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी वर्तमान में धर्म स्थल हैं जिस रोज से यह विधेयक लागू होगा उस लागू होने की तिथि से एक दिन पूर्व तक उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा । लागू होने पर प्रतिबन्ध कहीं नहीं है । केवल नियंत्रण करने की बात है । प्रोहिबिट करने की बात कहीं नहीं है । अनुच्छेद–25-26 का उल्लेख करते हैं । लेकिन उसको जरा पूरा पढ़िये । दो लाइन पढ़ लेना ही काफी नहीं है । उसमें भी नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है । मैं जानकारी के लिये बता दूं क्यों आवश्यकता पड़ी एक आई०एस०आई० की बात कह कर । मुझे शर्म आती है मैं उन लोगों में से हूं जिनके मन में न कभी भेदभाव हुआ । मेरा उठना, बैठना, परवरिश सभी वर्गों में रही है । 1965 में मान्यवर, जब पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध हो रहा था मैं खुद एक सैनिक अधिकारी के रूप में शामिल था, मेरे बराबर में मुझे आज तक याद है रशीद मेरे बराबर में पाकिस्तान से होने वाले युद्ध में युद्ध कर रहा था, तो किसी को अल्पसंख्यक कहकर देश को तोड़ने का काम न करें । क्या आप किसी मुस्लिम पर देशद्रोही का आरोप लगा सकते हैं ? अरे देशद्रोही तो कोई भी हो सकता है उसे मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, आई०एस०आई० की बात आती है तो आई०एस०आई० का मतलब मुसलमान नहीं है आई०एस०आई. एक ऐसे पड़ोसी देश का संगठन है जो हमारे देश को बरबाद करने के लिए बनाया गया है । इसको किसी मजहब विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए । मान्यवर, हमारे साथियों ने कहा कि प्रदर्शन चल रहे हैं ? तो कौन करा रहा है प्रदर्शन ? बहुत बड़े लोग हैं वह करा रहे हैं जो हर बिन्दु को लेकर राजनीति में घुसकर वोट की राजनीति से ऊपर नहीं सोचते हैं, देश और समाज के बारे में नहीं सोचते हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा इसी प्रदेश में–

श्री अधिष्ठाता–

कुछ चर्चा के लिए भी छोड़ दें ।

श्री हुकुम सिंह–

आपके निर्देश मेरे लिये पर्याप्त आदेश हैं मैं समझ गया, कई चक्रों में चर्चा हो चुकी है आगे भी चर्चा चलेगी केवल यह कहकर समाप्त करने जा रहा हूं कि कभी-कभी यह कहा जाता है कि माननीय राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर नहीं किया ऊपर भेज दिया तो वह संवैधानिक बाध्यता है ऊपर भेजने की इसी कारण से भेजा गया है । महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाएगा । इसलिए महामहिम राज्यपाल को घसीटने का प्रयास न करें । समान रूप से अधिनियम लागू होगा इसमें भेद-भाव नहीं होगा सीमित अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है उस परिधि में जिलाधिकारी कार्यवाही करेंगे । उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे । इसलिए सम्मानित सदस्य इसका मन्तव्य इसका उद्देश्य समझेंगे और समाज में सही संदेश ले जाएंगे । कोई कहीं वोटों पर कब्जा न कर ले यह सोचकर ऐसा न करें कोई बहकावे में आने वाला नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मान्यवर, जब यह विधेयक लाया गया था तब सत्तापक्ष के लोगों द्वारा कहा गया था कि मदरसे लग रहे हैं उसमें आई०एस०आई० की गतिविधियां जारी हैं इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता है अब यह कह रहे हैं कि आई०एस०आई० में किसी धर्म की बात नहीं है आप अल्पसंख्यकों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं । इन्होंने कहा कि सीमित अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं मैं कहना चाहता हूं कि असीमित अधिकार दिया गया है आयुक्त के पास इसकी अपील होगी सिविल कोर्ट में इसकी अपील नहीं हो सकती है जो आयुक्त ने निर्णय दे दिया वही फाइनल होगा ।

(मद संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं तो यह फरमा रहा था .....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, अभी तो यह पेन्डिंग है तब यह हो रहा है जब बन जायेगा तो क्या होगा । मान्यवर, मैं नाम बता दूं । मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत में जहां-जहां मदरसे बन रहे थे वह रुक गये हैं । वह इसी डर से रुके हैं । एस०डी०एम० या थानेदार पहुंच जाता है और यह कहता है कि क्यों बना दिया । तो इस तरह से मदरसों और मस्जिदों को बनने से रोका जा रहा है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में कांगले और कैराने के आस-पास हो रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ऐसा बाखुदा नहीं हो रहा है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा बाखुदा हो रहा है । आपके क्षेत्र श्यामली में हो रहा है । यह तो सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है । वहां लोग पढ़ने जाते हैं तो आप आई०एस०आई० के एजेन्ट बता देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें । मैंने इस सूचना को विशेष उल्लेख के रूप में सुना और सुनने के पश्चात् मैं इसे निरस्त करता हूं । अब मैं मद संख्या–3 ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है । यह मदरसों और मस्जिदों को बनने से रोक रही है । यह सरकार अल्पसंख्यकों का भला नहीं चाहती है इसलिये इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(विरोध स्वरूप श्री समरपाल सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान)विधेयक, 2000

विशेष सचिव–विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2000 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 27 मार्च, 2000 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 मार्च, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री शिवचरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा सुने जाने का अनुरोध (क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब सदन चल रहा था उस समय श्री शिवचरन प्रजापति के संदर्भ में एक सूचना दी गयी थी उस पर निर्णय दिया था कि प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे । उसमें पहले परसों वक्तव्य देने की बात थी । फिर बाद में कहा गया कि कल वक्तव्य मंगा लेते हैं । हमारे इसके पूर्व में अधिष्ठाता महोदय, श्री मुन्ना चौहान जी ने व्यवस्था दी की प्रश्नकाल के बाद विशेष उल्लेख में सुन लेंगे । लेकिन इस समय अब आप उसे न सुनकर आगे बढ़ रहे हैं । मान्यवर, वह श्री शिवचरन प्रजापति के उत्पीड़न का मामला है आप इसे कृपया सुन लें । आप इसमें मद संख्या–19 की तरफ उल्लेख करेंगे । लेकिन जब यह मद आयेगी उस समय स्थिति क्या रहती है यह तो आप स्वयं जानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य सूची की प्रत्येक मद में उपस्थित रहना यह आदर्श है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पीठ का निर्देश हो चुका है आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें । यह महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

जब यह मद आयेगी मैं इसे ले लूंगा । इस समय इसे आप अनावश्यक रूप से न उठायें ।

(घोर व्यवधान)

जनपद मेरठ महानगर में नगर निगम/जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार गर्ग व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद मेरठ महानगर में नगर निगम/जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक श्री राकेश कुमार गर्ग तथा श्री सलेक चन्द्र, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद मेरठ के गढ़सोनीपत मार्ग की मेरठगढ़ मार्ग पर शाहजहांपुर, किठौरा व नालपुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गर्ग व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के गढ़सोनीपत मार्ग की मेरठगढ़ मार्ग पर शाहजहांपुर, किठौरा व नालपुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश गर्ग तथा श्री नरेन्द्र उपाध्याय, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शिवचरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा सुने जाने का अनुरोध.... (क्रमागत)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, पीठ को झूठा और बेईमान कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मुझे खेद है कि मैंने सुना नहीं । किसी माननीय सदस्य ने सुनकर इसकी चर्चा की है । मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि वह उनके संसदीय ज्ञान और शिष्टाचार का परिचायक है, जितना जिसका ज्ञान है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

मद संख्या–19 पर वक्तव्य के रूप में सुना जायेगा ।

---

* छापी नहीं गयी ।

@ वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल की कार्यवाही को आप देख लें और आज की कार्यवाही देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें । मद संख्या–19 आने दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें 311 की सूचना माननीय श्री रामपाल जी ने दी थी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि विशेष उल्लेख के अवसर पर सुन लूंगा आज जाने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मद संख्या–19 पर आ चुका है यदि माननीय सदस्यगण इस तरह से दुराग्रह करेंगे तो कैसे चलेगा ? मद संख्या–19 तक आप नहीं बैठ सकते हैं तो यह बड़े कष्ट की बात है अगर आप बैठने का कष्ट नहीं कर सकते तो इस विषय को उठाने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मद संख्या–19 पर मान्यवर, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी माननीय सदस्य के दुराग्रह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

तो मान्यवर, इस तरह से भी नहीं चलेगा ।

मान्यवर, घोर ज्यादती हुई है श्री शिव चरण प्रजापति के साथ .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–6 विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित मद है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार की नोटिस है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दे दीजिये उसका परीक्षण करवा लेंगे । आप कार्यालय में देंगे उसके परीक्षण का नियम है ।

अब मैं मद संख्या–7 लेता हूं । कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले हम लोगों को सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 29 मार्च, 2000 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 30 मार्च, 2000 से 12 मई, 2000 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

मार्च, 2000

30 गुरुवार

1–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर सदन द्वारा विचार किये जाने विषयक संकल्प का प्रस्तुतीकरण ।

2–उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा) ।

3–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा) ।

4–राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

5–बहराइच जनपद को विभाजित कर नया जिला श्रावस्ती बनाये जाने से वहां के अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मा० सदस्यगण, विधान सभा सर्वश्री डा० वकार अहमद शाह, रामतेज यादव, दिलीप वर्मा, ज्वाला प्रसाद यादव, श्याम किशोर यादव, अरुण वीर सिंह, नन्द राम, शब्बीर अहमद, योगेन्द्र सिंह सेंगर तथा सौलत अली एडवोकेट द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

31 शुक्रवार

1–नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि', रख दिया जाय ।"

2-नियम-103 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपभोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

3—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

अप्रैल, 2000

1 शनिवार

2 रविवार

बैठक नहीं होगी।

3 सोमवार

1-उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर सदन द्वारा संकल्प पर, विचार एवं उसका पारण।

2-नियम-103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना भेद-भाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक विधायक का मामला है और आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधानउत्पन्न हो गया घोर व्यवधान के मध्य श्री अधिष्ठाता द्वारा कार्य-मंत्रणा की सिफारिश पढ़ी गयी।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अप्रैल, 2000

4 मंगलवार

1–नियम–103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

2–प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित और गत सत्र की लम्बित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा।

3–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-1999) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216(6) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री मेजर जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 6 फरवरी, 1999 पर सदन में आधे घण्टे की चर्चा।

4–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

5 बुधवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2–"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा।"

6 गुरुवार

1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2–"प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा।"

7 शुक्रवार

असरकारी दिवस आधा दिन + आधा दिन

असरकारी दिवस 31 मार्च, 2000 के स्थान पर।

अप्रैल, 2000	
8 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
9 रविवार	
10 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
11 मंगलवार	
12 बुधवार	(रामनवमी अवकाश)
13 गुरुवार	
14 शुक्रवार	(डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस) बैठक नहीं होगी
15 शनिवार	
16 रविवार	
17 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
18 मंगलवार	
19 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 गुरुवार	
21 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
22 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
23 रविवार	
24 सोमवार	
25 मंगलवार	
26 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
27 गुरुवार	
28 शुक्रवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अप्रैल, 2000

29 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
30 रविवार	

मई, 2000

1 सोमवार	
2 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
3 बुधवार	
4 गुरुवार	
5 शुक्रवार	असरकारी दिवस आधा दिन, आधा दिन असरकारी दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2000 के स्थान पर ।
6 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
7 रविवार	
8 सोमवार	
9 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
10 बुधवार	
11 गुरुवार	
12 शुक्रवार	1- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2-4.00 बजे अपराह्न --- उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। इससे पहले बता दूं कि बेल से कोई बात नहीं सुनूंगा।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित संकल्प पर संशोधन दिये जाने के बारे में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

सदन को एक और सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र और राष्ट्रपति महोदय के सन्देश की प्रतिलिपियां सचिव, विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर दिनांक 27 मार्च, 2000 को रखी जा चुकी है। माननीय नेता सदन इस संबंध में आज संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इस संकल्प में यदि कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो वे दिनांक 1 अप्रैल, 2000 को अपराह्न 5.00 बजे तक उसे दे सकेंगे। ऐसा संशोधन, संकल्प के अन्त में शब्द जोड़ने के रूप में हो सकता है।

संशोधन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :–

"संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु ..... ।"

श्री शिवचरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री शिव चरण प्रजापति के साथ जिस तरह से पुलिस ने 2 मार्च को घटना की है, निश्चित रूप से उसरो एक विधायक का अपमान हुआ है और उससे पुलिस की निरकुंशता का परिचय होता है। माननीय सदस्य ने केवल इस बात की सूचना पुलिस को दी थी कि वहां पर दो गुटों में बालू खनन को लेकर मारपीट की संभावना है, इस बात की सूचना उन्होंने टेलीफोन पर ए०डी०एम० को दी, एस०पी० को दी।

श्री अधिष्ठाता–

यह सारी बात विस्तार से आ चुकी है। कार्यवाही मेरे सामने रखी है। यह विधायक के ऊपर घटित घटना है, वह बिल्कुल निर्दोष हैं और सीधे-साधे व्यक्ति हैं और जिस तरह से जानबूझकर इनको अपमानित किया गया है, इससे निश्चित रूप से आपको संज्ञान लेना चाहिए। इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था दी थी, मैं उसे पढ़ रहा हूं। सरकार जानकारी तो कर लें। आप कहें तो शासन से कल वक्तव्य मंगा लेता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कल इस संबंध में जानकारी कर लें और इसमें आपकी तरफ से स्पष्टीकरण आ जाय।

उन्होंने आज की कार्यसूची में मद संख्या–19 पर इसको ले भी लिया है, अब बीच में व्यवधान करने का क्या अर्थ है ? वह मद संख्या आने तो दीजिये, आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं । जब इसको लूंगा, तब आपको कहने का अवसर दूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वक्तव्य जो आयेगा वह पुलिस का वर्जन होगा । इस प्रदेश की जो पुलिस है, वह किस तरह से कहानी गढ़ती है, उसको वक्तव्य के माध्यम से आप भी समझ सकते हैं । हमारे साथी का अपमान हुआ है और जानबूझकर पुलिस ने शिवचरण प्रजापति को अपमानित करने की सारी कार्यवाही की है । यह माननीय विधायक का प्रकरण है, यह दूसरी बार विधायक हुये हैं और इन्होंने कभी भी इतने दिनों में इस तरह की कोई बात नहीं उठाई है, कि कभी भी इन्होंने अपने साथ किसी बीती घटना का उल्लेख किया हो । [×××]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । कार्यसूची पर होता तो मैं जरूर ले लेता । कल माननीय अध्यक्ष जी ने संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप इस पर वक्तव्य दें और आप से भी कहा था कि वक्तव्य आने पर स्पष्टीकरण ले लेना । आज की मद सं०–19 पर यह विषय आ चुका है । दुराग्रह से काम नहीं चलता संसदीय परम्पराओं में ।

श्री बी०आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो प्रलाप किया है वह अंकित नहीं किया जायेगा । यह उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है ।

* श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, यह आपको अधिकार है, सत्तापक्ष बहुमत में है उसको अधिकार है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव पेश कर दें, हम सब लोगों को निकाल दिया जाय यदि यही उचित है और सत्तापक्ष यही चाहता है तो यही कर लिया जाए । यदि सत्तापक्ष के लोग इस तरह से चलायेंगे तो यह बहुत अच्छा सदन नहीं कहा जायेगा "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाव ।" मान्यवर, एक सदस्य का यह मामला है, इनको आप सुन लें । सरकार के पास भी सूचना आ चुकी है । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य को अपनी पीड़ा को कहने का अवसर दें ।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी और माननीय लालजी वर्मा ने जो भावना प्रकट की है, मैं स्वयं इस बात का पक्षधर हूं कि इस माननीय सदन के किसी सदस्य के साथ कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसे अपनी बात कहने का अवसर मिले । प्रश्न केवल इतना है कि कल माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय सदस्यों के आग्रह पर शासन से यह कहा था कि आप इस मामले में वक्तव्य देंगे । आज वह वक्तव्य आ गया है और मद संख्या–19 पर सदन में प्रस्तुत होगा । यह भी कहा गया कि मद संख्या–19 तक कौन रह जायेगा, यदि किसी माननीय सदस्य की पीड़ा को सुनने के लिए हम उपस्थित नहीं रह सकते तो क्या नैतिक अधिकार है और दुराग्रहपूर्वक कहें कि उसको सुन ही लीजिये । मेरा कहने का मतलब है कि यह मद संख्या–19 पर आ चुका है । चूंकि एक माननीय सदस्य का मामला है, बड़े ध्यान से सारी बातों को सुनना चाहिए । यह विधान सभा एक संस्था है, यह किसी व्यक्ति का मामला नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मद संख्या–19 तक हो जाने दें । सरकार का क्या वक्तव्य है और माननीय सदस्य की क्या भावनायें हैं उसको सुन लिया जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह प्रकरण माननीय सदस्य ने कल सदन के शुरुआत में उठाया था उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि उन्होंने वक्तव्य मांग लिया है और कल क्वेश्चन आवर के बाद अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे सामने कार्यवाही रखी है । आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिये । अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, शिवचरण लाल प्रजापति हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा आग्रह है, जो आपकी भावनायें हैं, सदन का यह मामला है, हम भी उतना ही प्रभावित हैं । हम कहीं बाहर नहीं हैं । संकल्प प्रस्तुत हो जाने दीजिये । उसके बाद जो कुछ होगा हम सदन में कहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या–19 के बाद सुनूंगा । पूरी गम्भीरता से सुनूंगा ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर संकल्प

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"यह सदन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर जो भारत का संविधान के अनुच्छेद–3 के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार प्रकट करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान

मण्डल को निर्देशित किया गया है, विचार करने के पश्चात् उस पर इस सिफारिश के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता है कि उक्त विधेयक में–

1–खण्ड–2 के उपखण्ड (ज) में उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में जनसंख्या का अनुपात "1328 : 63" के स्थान पर "1332 : 59" रख दिया जाय ।

2–खण्ड–3 में उपखण्ड–(ख) और उससे सम्बन्धित पहली अनुसूची निकाल दी जाय तथा इस खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :–

उत्तरांचल राज्य का बनाया जाना

"3–नियम दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा जो उत्तरांचल राज्य कहलाएगा जिसमें विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत और रुद्रप्रयाग जिलों के राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे और तदुपरि उक्त राज्य क्षेत्र विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।"

3–खण्ड–5 के उपखण्ड (क) में "बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" के स्थान पर "बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)" रख दिया जाय और विधेयक का अंग्रेजी पाठ भी तदनुसार ठीक कर दिया जाय ।

4–खण्ड–8 के उपखण्ड (1) में शब्द "दूसरी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "पहली अनुसूची" रख दिया जाय और उक्त अनुसूची के प्रस्तर–(i) को निकाल दिया जाय और प्रस्तर–(ii) व (iii) को क्रमशः प्रस्तर–(i) और प्रस्तर–(ii) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रस्तर–(ii) में शब्द "ऐसा एक सदस्य, जिसे राज्य सभा का सभापति लाट निकाल कर अवधारित करे, उत्तरांचल राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझा जायेगा और अन्य ग्यारह आसीन सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से ग्यारह स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे ।" के स्थान पर शब्द "ऐसे दो सदस्य, जिन्हें राज्य सभा का सभापति लाट निकाल कर अवधारित करे, उत्तरांचल राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे और अन्य दस आसीन सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से दस स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे ।" रख दिये जायं ।

5–खण्ड–10 में शब्द "तीसरी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "दूसरी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न तीसरी अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–1 को दूसरी अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

6–खण्ड–12 में–

(क) उपखण्ड (1) में अंक "405" के स्थान पर अंक "406" रख दिये जायं,

(ख) उपखण्ड (2) में, मद संख्या (ग) में अंक "425" के स्थान पर अंक "406" रख दिये जायं ।

7–खण्ड–14 के उपखण्ड (1) में शब्द "विधान सभा के बीस आसीन सदस्यों और विधान परिषद् के छः सदस्यों" के स्थान पर शब्द "विधान सभा के उन्नीस आसीन सदस्यों और विधान परिषद् के सात सदस्यों" रख दिये जायें ।

8–खण्ड–18 में अंक व शब्द "8 उत्तर प्रदेश ———— ——102" के स्थान पर अंक व शब्द "उत्तर प्रदेश ————101" रख दिये जायं ।

9–खण्ड–19 में शब्द "चौथी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "तीसरी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न चौथी अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–2 को तीसरी अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

10–खण्ड–20 के उपखण्ड (1) में शब्द "पांचवी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "चौथी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न पांचवीं अनुसूची को चौथी अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 6 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय :–

"7-श्री भगत सिंह कोश्यारी"

11–खण्ड–24 में शब्द "छठी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "पांचवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न छठीं अनुसूची को पांचवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित पांचवीं अनुसूची में क्रम संख्या 9,27,33,34,35,37,42,45,46,48 और 61 पर उल्लिखित जातियों के स्थान पर क्रमशः बलहर, धांगर, दुसाध, धरमी, धसिया, ग्वाल, कंजड़, खरैता, खरवार (वनवासी को छोड़कर) खरोट और सहरिया जातियां रख दी जायं ।

12–खण्ड–25 में शब्द "सातवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "छठीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न सातवीं अनुसूची को छठीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ।

13–(क) खण्ड–47 में, उपखण्ड (1) में शब्द "आठवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "सातवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न आठवीं अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–3 को सातवीं अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

(ख) उपखण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :–

"(5) केन्द्र सरकार, उत्तरांचल राज्य की राजधानी के निर्माण का समस्त व्यय वहन करेगी ।"

14–खण्ड–49 के उपखण्ड (4) के मद (ख) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड" रख दिये जायं ।

15–खण्ड–54 में शब्द "नवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "आठवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न नवीं अनुसूची को आठवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित आठवीं अनुसूची के पैरा–3 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1998" के स्थान पर नियत दिनांक के पश्चात् का कोई ऐसा दिनांक जिसे केन्द्र सरकार नियत करे, रख दिया जाय ।

16–खण्ड–63 के स्थान पर नया खण्ड–63 निम्न प्रकार रख दिया जाय :–

"(i) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और राज्य भण्डारागारण निगम नियत दिन से इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते रहेंगे जिसमें नियत दिन के ठीक पहले वे कार्य कर रहे थे ।

(ii) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश

इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भण्डारागारण निगम के स्थान पर अपने लिये कोई अन्य संस्था बनाये जाने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जेल निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भण्डारागारण निगम उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल में कार्य करना बन्द कर देंगे और उनके आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन इस प्रकार से होगा जैसा विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय और जब तक इस प्रकार अवधारित न हो तब तक इस संबंध में नियत दिनांक के ठीक पूर्व की व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी ।

(iii) विद्युत के उत्पादन या सम्भरण के लिये या वर्तमान सिंचाई या विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पानी की आपूर्ति करने के संबंध में जो व्यवस्था नियत दिन के ठीक पूर्व है वह नियत दिन को और उसके पश्चात् तब तक चलती रहेगी जब तक उनके संबंध उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार व दायित्व उपर्युक्त उपखण्ड (II) में निर्दिष्ट बोर्ड द्वारा अवधारित न कर दिये जायं ।

17–खण्ड–64 में इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि विद्युत उत्पादन प्रदाय तथा जल के प्रदाय के संबंध में वर्तमान व्यवस्था यथावत् तब तक बनी रहे जब तक इस संबंध में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार, स्वामित्व, दायित्व और नियंत्रण विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित न कर दिये जायं ।

18–खण्ड–65 के उपखण्ड (1) में उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निदेश के उपबन्ध को और उपखण्ड (3) में "उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी" का उल्लेख हटा दिया जाय ।

19–(क) खण्ड–66 के उपखण्ड (1) में कतिपय निगमों के बारे में किये गये उपबन्धों में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिये जाने का उल्लेख हटा दिया जाय तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

(ख) खण्ड–66 से सम्बन्धित दसवीं अनुसूची को नवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नवीं अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–4 को नवीं अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

20–खण्ड–67 के उपखण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले निदेशों के उपबन्ध को हटा दिया जाय और उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

21–खण्ड–71 के उपखण्ड (1) से संबंधित "ग्यारहवीं अनुसूची" को "दसवीं अनुसूची" के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित "दसवीं अनुसूची" के स्थान पर विधेयक के अनुलग्नक–5 को "दसवीं अनुसूची" के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

22–खण्ड–72 के उपखण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :–

"(4)–उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश काडर में दर्ज थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य कैडर को उनके विकल्प प्राप्त करके ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आवंटित किये जायेंगे जो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश कैडर से बाहर के कैडर में दर्ज थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के उत्तरांचल राज्य के कैडर को उनके विकल्प प्राप्त करके ऐसे रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आवंटित किये जा सकते हैं जिसे केन्द्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।"

23–खण्ड–73 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:–

"(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्दर कार्यरत हो, उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के बाहर और उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर कार्य कर रहा हो, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायेगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य दोनों की सीमा के बाहर कार्यरत हो, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायेगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1), (2) एवं (3) के अधीन कार्यरत है, तब तक अनन्तिम रूप से कार्यरत समझा जायगा जब तक कि उससे केन्द्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् अन्तिम रूप से किसी एक उत्तरवर्ती राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए निदेशित न करे । ऐसा निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक दिया जा सकेगा । एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ऐसा निदेश न दिए जाने पर उत्तरवर्ती राज्य सरकारें परस्पर परामर्श करने के पश्चात् स्वयं निर्णय ले सकेंगी ।

24–खण्ड–79 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:–

(i) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य में विद्यमान और निर्माणाधीन जल स्रोत परियोजनाओं, जिसके अन्तर्गत सिंचाई परियोजनायें भी हैं, की बाबत सभी अधिकार, स्वामित्व, दायित्व, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण दोनों उत्तरवर्ती राज्यों का इस प्रकार से होगा जैसा विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय और जब तक इस प्रकार अवधारित न हो तब तक इस संबंध में नियत दिनांक के ठीक पूर्व की व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी ।

(ii) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों के अन्तर्गत –

(क) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वितरण के लिये उपलब्ध जल को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार; और

(ख) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित विद्युत शक्ति को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार; भी होगा किन्तु नियत दिन के पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति या

प्राधिकारी के साथ की गई किसी संविदा के अधीन के अधिकार तथा दायित्व इसके अन्तर्गत नहीं होंगे ।

(iii) भविष्य में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अपने-अपने क्षेत्रों में जलस्रोत के विकास के मामले में ऐसी परियोजनायें जिनसे दूसरे राज्य के हित या लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चलाई जा सकती हैं ।

(iv) यदि ऐसी परियोजना किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा बनाई जाती है जिससे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य के जलस्रोत की परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना हो, अथवा ऐसी योजना जिसे दोनों उत्तरवर्ती राज्य एक संयुक्त योजना के रूप में निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो ऐसी परियोजनाओं या योजनाओं के निर्धारण, निर्माण, संचालन के लिए एक स्वशासी द्विपक्षीय बोर्ड का गठन किया जायेगा । इस बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं या योजनाओं को इस तरह परिकल्पित, नियोजित व निष्पादित किया जायेगा कि दोनों राज्यों को जो वर्तमान सुविधाएं व लाभ मिल रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी न हो । बोर्ड की अंशपूंजी में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अंश उस अनुपात में होंगे जैसा दोनों राज्य तय करें ।

25–खण्ड–80 के स्थान पर नया खण्ड रख दिया जाय जिसमें इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि धारा 63, 64 और 79 के प्रयोजनों के लिये बोर्ड का गठन इस प्रकार हो :–

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दी गयी सूची में से दोनों राज्यों की सहमति से चुना जायेगा,

(ख) दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा नामित दो-दो पूर्णकालिक सदस्य,

(ग) दोनों राज्यों द्वारा नामित दो-दो अंशकालिक सदस्य,

(घ) पूर्णकालिक सचिव जो बोर्ड द्वारा चुना जायेगा ।

बोर्ड के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे:–

(क) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भण्डारागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के मध्य प्रभाजन करना,

(ख) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य की सीमाओं में विद्यमान और निर्माणाधीन जलस्रोत परियोजनाओं जिसके अन्तर्गत सिंचाई परियोजनायें भी हैं, की बाबत उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के अधिकार, स्वामित्व, दायित्व, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण को अवधारित करना,

(ग) परियोजनाओं की परिकल्पना, अन्वेषण, नियोजन करना और उनका सक्षमतापूर्वक और कम लागत से निर्माण करना,

(घ) परियोजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तरवर्ती राज्यों में आवंटन एवं संभरण ।

26–खण्ड–81 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :–

(क) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु आवश्यक स्टाफ नियोजित करेगा । पहला प्रयास यह होगा कि ऐसा स्टाफ उत्तरवर्ती राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय ।

(ख) बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायगा ।

27–खण्ड–82 में इस आशय के उपबन्ध कर दिये जायं कि :–

(क) बोर्ड साधारणतया धारा–63,64 और 79 में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि धारा–63,64 और 79 में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं तो उसे उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों के निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा ।

28–खण्ड–83 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :–

"83–बोर्ड उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के पूर्वानुमोदन से तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत हों –

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों के संव्यवहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन,

(ख) शक्तियों तथा कर्तव्यों का बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन,

(ग) बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन,

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय ।

29–खण्ड–42 के उपखण्ड (4), खण्ड–49 के उपखण्ड (2), खण्ड–55 के उपखण्ड (1) के परन्तुक, खण्ड–56 के उपखण्ड (ख), खण्ड–57 के उपखण्ड (ख), खण्ड–59, खण्ड–65 के उपखण्ड (1), खण्ड–66 के उपखण्ड (1), खण्ड–67 के उपखण्ड (1) और खण्ड–71 के उपखण्ड (1) में जहां कहीं भी केन्द्र सरकार द्वारा आदेश या निदेश देने या विनिर्दिष्ट करने संबंधी उपबंध हों, वहां-वहां यह उपबंध कर दिया जाय कि केन्द्र सरकार उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् ही ऐसे आदेश या निदेश दे सकेगी या इस प्रकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी, रख दिये जायं ।"

अनुलग्नक–I

दूसरी अनुसूची

(भाग 10 देखिये)

संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 22 में,––

(1) भाग-क में–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,–

(क) क्रम संख्यांक 1,2,3 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(ख) क्रम संख्यांक 12 के अन्त में, निम्नलिखित अंक और शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे; अर्थात :–

"56–बहेड़ी"

(2) भाग ख में–सभा निर्वाचन क्षेत्र,–

क्रम संख्यांक 1 से 16 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) और क्रम संख्यांक 423 से 425 (जिनमें दोनों सम्मिलित हैं) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायगा ।

अनुलग्नक–2

तीसरी अनुसूची

(धारा 19 देखिये)

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 की सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात :–

सारिणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	
1–बरेली–मुरादाबाद खण्ड स्नातक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–लखनऊ खण्ड स्नातक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3–गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड स्नातक	बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1
4–वाराणसी खण्ड स्नातक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
5–इलाहाबाद–झांसी खण्ड स्नातक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
6–कानपुर खण्ड स्नातक	कानपुर नगर और कानपुर देहात और उन्नाव जिले	1
7–आगरा खण्ड स्नातक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले	1
8–मेरठ खण्ड स्नातक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
	शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	
1–बरेली–मुरादाबाद खण्ड शिक्षक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–लखनऊ खण्ड शिक्षक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3–गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक	बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1
4–वाराणसी खण्ड शिक्षक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
5–इलाहाबाद–झांसी खण्ड शिक्षक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
6–कानपुर खण्ड शिक्षक	कानपुर नगर और कानपुर देहात तथा उन्नाव जिले	1
7–आगरा खण्ड शिक्षक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले	1
8–मेरठ खण्ड शिक्षक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

सारिणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र	
1–मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी	मुरादाबाद ज्योतिबाफुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–रामपुर–बरेली स्थानीय प्राधिकारी	रामपुर और बरेली जिले	1
3–बदायूं स्थानीय प्राधिकारी	बदायूं जिला	1
4–पीलीभीत–शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकारी	पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले	1
5–हरदोई स्थानीय प्राधिकारी	हरदोई जिला	1
6–खीरी स्थानीय प्राधिकारी	खीरी जिला	1

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
7–सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी	सीतापुर जिला	1
8–लखनऊ–उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी	लखनऊ और उन्नाव जिले	1
9–रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी	रायबरेली जिला	1
10–प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	प्रतापगढ़ जिला	1
11–सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी	सुल्तानपुर जिला	1
12–बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी	बाराबंकी जिला	1
13–बहराइच स्थानीय प्राधिकारी	बहराइच और श्रावस्ती जिले	1
14–गोण्डा स्थानीय प्राधिकारी	गोण्डा और बलरामपुर जिले	1
15–फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1
16–बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी	बस्ती, सन्तकबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले	1
17–गोरखपुर-महराजगंज स्थानीय प्राधिकारी	गोरखपुर और महराजगंज जिले	1
18–देवरिया स्थानीय प्राधिकारी	देवरिया और कुशीनगर जिले	1
19–आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी	आजमगढ़ और मऊ जिले	1
20–बलिया स्थानीय प्राधिकारी	बलिया जिला	1
21–गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी	गाजीपुर जिला	1
22–जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी	जौनपुर जिला	1
23–वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी	वाराणसी, चन्दौली और सन्त रविदास नगर जिले	1
24–मिर्जापुर-सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी	मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
25–इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इलाहाबाद और कौशाम्बी जिले	1
26–बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले	1
27–झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकारी	जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
28–कानपुर–फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी	कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिले	1
29–इटावा–फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया जिले	1
30–आगरा–फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आगरा और फिरोजाबाद जिले	1
31–मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी	मथुरा, एटा और मैनपुरी जिले	1
32–अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	अलीगढ़ और हाथरस जिले	1
33–बुलन्दशहर स्थानीय प्राधिकारी	बुलन्दशहर और गौतमबुद्ध नगर जिले	1
34–मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी	मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिले	1
35–मुजफ्फरनगर-सहारनपुर, हरिद्वार स्थानीय प्राधिकारी	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।

अनुलग्नक–3

सातवीं अनुसूची

(धारा 47 देखिये)

नियमों की सूची

1–अवमूल्यन रक्षित निधि–सिंचाई ।
2–अवमूल्यन रक्षित निधि–राजकीय मुद्रणालय ।
3–अवमूल्यन रक्षित निधि–सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला ।
4–ग्राम्य विकास निधि ।
5–अकाल राहत निधि ।
6–शक्कर शोध और श्रमिक आवास व्यवस्था निधि ।
7–जमींदारी उन्मूलन निधि ।
8–उत्तर प्रदेश सड़क निधि ।
9–चिकित्सालय निधि ।
10–अध्यापक आनुतोषिक निधि ।
11–राज्य पुल निधि ।
12–सामान्य बीमा निधि ।
13–नजूल निधि ।
14–राज्य सहकारिता विकास निधि ।
15–कृषि उधार सहायता और प्रत्याभूति निधि ।
16–किसान सहायता निधि ।
17–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–बिजली ।
18–आकस्मिकता आरक्षित निधि–बिजली ।
19–उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्ट्रियां पुनःस्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि ।
20–उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि ।
21–राज्य विकास ऋणों एवं जमींदारी विनाश प्रतिकर बंधों के विमोचन से संबंधित समेकित ऋण शोधन निधियां ।
22–उत्तर प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निधि ।
23–उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण निधि ।
24–उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी आवास निधि ।
25–संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि ।
26–उत्तर प्रदेश युवा कल्याण निधि ।
27–उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि ।
28–उत्तर प्रदेश भाषा निधि ।
29–पुलिस कल्याण निधि ।
30–आचार्य नरेन्द्र देव निधि ।
31–आपदा राहत निधि ।
32–पूर्वांचल विकास निधि ।
33–बुन्देलखण्ड विकास निधि ।
34–उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि ।
35–रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि ।
36–सचिवालय निधि ।
37–विधायक निधि ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक–4

नवीं अनुसूची

(धारा 66 देखिये)

सरकारी कम्पनियों की सूची

क्र०सं०	सरकारी कम्पनी का नाम	पता
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	भूमित्र भवन, 19 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
2	उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड	22–विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।
3	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	7वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड	नवचेतना केन्द्र, अशोक मार्ग, लखनऊ ।
5	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	12 वां तल, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	4 बी, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
7	उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	16/58 ए, सदर भट्ठी रोड, आगरा ।
8	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	2–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
9	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	17. गोखले मार्ग, लखनऊ ।
10	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	110–औद्योगिक क्षेत्र, फजलगंज, कानपुर ।
11	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	हथकरघा भवन, जी०टी० रोड, कानपुर ।
12	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	ए–81. विजयखण्ड–2. गोमतीनगर, लखनऊ ।
13	दी प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० (पिकप)	पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
14	दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	कलक्टरबक गंज, बरेली ।
15	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	चुर्क, सोनभद्र ।
16	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ ।
17	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	वस्त्र भवन, शारदानगर, कानपुर ।
18	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	ए–1/4. लखनपुर, पो०बो० नं० 1150, कानपुर ।
19	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड	बायातट, गोमती बैराज, गोमतीनगर, लखनऊ ।
20	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	बी–2/5 विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
21	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	4/13–14. विवेक खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
22	उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त निगम लिमिटेड	सी–232. निरालानगर, लखनऊ ।

1	2	3
23	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ ।
24	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पी०सी०एफ० भवन, चतुर्थ तल, स्टेशन रोड, लखनऊ ।
25	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	कैम्पस ऐनिमल हस्बैन्ड्री, बादशाहबाग, लखनऊ ।
26	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	9–सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ ।
27	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	16–मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ ।
28	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	विश्वेश्वरैया भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
29	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम लिमिटेड	बी–912, सेक्टर–सी, महानगर लखनऊ ।
30	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	लेखराज मार्केट, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
31	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	54–एक्स, जापलिंग रोड, लखनऊ ।
32	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	न्यू बेरी रोड, निकट उप गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ ।
33	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	सरकुलर रोड, निकट गन्ना किसान संस्थान, मुजफ्फरनगर ।
34	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	एच०आई०जी०–6, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल नगर, देवरिया ।
35	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	26–27, बी०डी०ए० कालोनी, शहामतगंज, बरेली ।
36	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	विपिन खण्ड, निकट ताज होटल, गोमती नगर, लखनऊ ।
37	उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम लिमिटेड	चित्रहार, 3–नवल किशोर रोड, लखनऊ ।
38	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	74–राजपुर रोड, देहरादून ।
39	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	ओकपार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल ।
40	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन	बी–2/140, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
41	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	प्रथम तल, 118, जवाहर भवन, लखनऊ ।
42	उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	हल्दी, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर ।
43	कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	राजमहल होटल परिसर, मल्लीताल, नैनीताल ।
44	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	74–राजपुर रोड, देहरादून ।

अनुलग्नक–5

दसवीं अनुसूची

(धारा 71 देखिए)

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की सूची

1–उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
2–उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल ।
3–प्रबन्ध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4–न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।
5–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–1, मुरादाबाद ।
6–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–2, मुरादाबाद ।
7–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–3, गोरखपुर ।
8–सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर ।
9–पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद ।
10–पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर ।
11–रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, चुनार, मिर्जापुर ।
12–राज्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव ।
13–सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।
14–सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध, लखनऊ ।
15–राजा टोडरमल सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई ।
16 चकबन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय, फैजाबाद ।
17 प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ ।
18–जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ ।
19–वित्त और लेखा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
20–सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद ।
21–स्थानीय निधि परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद ।
22–विक्रय कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
23–राज्य विद्युत बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून ।
24 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारिवृन्द महाविद्यालय, देहरादून ।
25–तापीय प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० रा० वि० बी०, ओवरा, सोनभद्र ।
26–केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
27–दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
28 लघु सिंचाई और जल उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
29–श्रीमती इन्दिरा गांधी सहकारी प्रशिक्षण अकादमी, लखनऊ ।
30–सहकारी प्रशिक्षण अकादमी, देहरादून ।
31–कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
32 सहकारी और निगमित प्रबन्ध शोध और प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
33 गन्ना विकास संस्थान, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

34–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ।
35–उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण बोर्ड, इलाहाबाद ।
36–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
37–होटल प्रबन्ध और खान-पान संस्थान, देहरादून ।
38–शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ।
39–उत्तर प्रदेश आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली ।
40–केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड, कानपुर ।
41–राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
42–कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
43–राज्य नियोजन संस्थान, प्रशिक्षण प्रभाग, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ ।
44 उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
45–होटल प्रबन्ध और खान-पान संस्थान, अल्मोड़ा ।
46–मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।
47–राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ ।
48–केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर ।
49–इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालोजी, इलाहाबाद ।
50–नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नालोजी, इलाहाबाद ।
51–खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ ।
52–डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर ।
53–राजकीय चर्म संस्थान, आगरा ।
54–राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।
55–संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, लखनऊ ।
56–गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ।

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य अनुपस्थित थे)

श्री शिवचरन प्रजापति के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरण को श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री श्रीराम–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि श्री शिवचरन प्रजापति जी को इस संकल्प को रोककर सुन लें । पूर्व में भी यह व्यवस्था दी गयी थी कि इसको पहले सुन लिया जायेगा । अतः आपसे अनुरोध है कि पहले इसे सुन लें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह कहा था कि पहले मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर लूं उसके बाद आप इसको ले आइयेगा । उन्होंने यह भी कहा था कि न तो आप भागे जा रहे हैं और न मैं भागा जा रहा हूं । पहले मैं इसको प्रस्तुत कर लूं तब आप अपनी बात रख दीजियेगा । तो आपसे अनुरोध है कि इनको अब सुन लें । हो सकता है कि कोई आप अपनी व्यवस्था इनकी पीड़ा को सुनकर दे दें ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे तो यह मद संख्या–19 में सूचीदद्ध है । उचित तो यह होता कि जब वह मद आती तब इसे लेते । लेकिन आपका आग्रह है तो मैं इसे ले लेता हूं लेकिन यह कोई परम्परा नहीं बननी चाहिए कि इस तरह से व्यतिक्रम करके आगे की सूची ली जाय । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इसमें केवल माननीय सदस्य श्री शिवचरन प्रजापति जी ही अपनी बात कहेंगे और कोई माननीय सदस्य इसमें नहीं बोलेगा तभी मैं इसमें अनुमति दूंगा ।

(श्री राम औतार शाक्य सदन में आकर कहने लगे कि मैं उपस्थित हो गया हूं)

*श्री शिव चरन प्रजापति–

मान्यवर, दिनांक 2-3-2(XX) को मुझे यह जानकारी मिली कि बेतवा के किनारे जो मौरंग का क्षेत्र है वहां पर दो गुटों का आपस में संघर्ष हो सकता है । मैंने इसकी जानकारी सम्बन्धित थाने में दी । टेलीफोन के माध्यम से ए०डी०एम० को सूचना दी और पूरी बात बतायी फिर पुलिस कन्ट्रोल को अवगत कराया कि इस तरह की घटना हो सकती है । मान्यवर, जो मेरे गांव का पट्टा धारक था वह मौरंग ट्रक में भर रहा था उसको मारकर भगा दिया । मैंने इसे सी०ओ० सदर को भी बताया कि इस तरह की वारदात हो सकती है । जब मुझे यह जानकारी हो गयी कि वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच गया है तो मैं भी वहां पर पहुंच गया । पुलिस ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की और मुझे धक्का देकर मौरंग से भरे ट्रक में बैठाकर थाने में ले गये । यह क्यों हो रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं ।

मान्यवर, वहां पर करोड़ों रुपये का व्यापार चौपट हो रहा है । वहां पर पुलिस के सहयोग से मौरंग खनन का कार्य चलाया जा रहा है । जो वहां पर बालू माफिया हैं उन्होंने दस-बीस पट्टे धारक को अपने कब्जे में कर रखा है । मान्यवर, दो साल पहले और आज की स्थिति को देख लें वहां पर कितने राजस्व की क्षति हुई है । सेल्स टैक्स करोड़ों रुपये का बकाया है । यह पुलिस अपने बलबूते पर चलाती है । मैंने इसके विरोध में तमाम चिट्ठियां दी कि इस तरह से अवैध खनन हो रहा है जिससे क्षति हो रही है । मान्यवर, मेरे साथ अन्याय हुआ है, विधान सभा का अपमान हुआ है । मान्यवर, थाने में मेरे साथ के लोगों के साथ मेरा अपमान किया गया । मुझे नीचे बैठाया गया । मान्यवर, मुझे बेइज्जत किया गया । मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण के लिए माननीय विधायकों की एक समिति बनायी जाये जो समिति जांच करे वहां जाकर तभी फैसला हो सकता है । मान्यवर, हमारे असलहा जमा करवा लिए गये । एस०डी०एम० ने आदेश दिया कि असलहा दे दिये जायें हमारी सुरक्षा को देखते हुए लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया है ।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

चार दिन बाद उसके निरस्तीकरण की नोटिस दे दी । मान्यवर, आप समिति गठित कर दें । मान्यवर, मेरी सुरक्षा के लिए असलहे तुरन्त दिलवा दिये जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी थी । जिनको अनुमति दी गयी उनका लिख लिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जैसे ही कल यह प्रकरण सदन में आया और आपने कृपापूर्वक आज के लिए इसकी जानकारी की बात कही मैंने पूरी जानकारी वहां से प्राप्त की । वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यहां

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर बुलाया और उनसे जानकारी प्राप्त की। मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि तनाव था। खनन के स्वामित्व को लेकर तनाव था। दोनों पक्षों का कहना था कि हमारा वहां फला स्थान तक काम है। एक स्थान ऐसा था जहां पर कॉमन था। झांसी से खनन अधिकारी आये और पैमाइश के बाद निशानदेही कर दी।

मान्यवर, हमारे दो पुलिस कान्टेबिल वहां पर पहले से लगे थे उसके बाद तीन थानों की फोर्स गयी। जब जानकारी हुई कि वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है जो हथियार दोनों पक्षों के पास थे वह पहले ले लिए गये।

मान्यवर, इसमें वैध हथियार भी थे और अवैध हथियार भी थे। गिरफ्तारी 34 लोगों की हुई। एक तरफ से 19 और एक तरफ से 15 यह सेक्शन 151 में गिरफ्तारी हुई ताकि कोई झगड़ा न हो जाये। 15 व्यक्तियों में विधायक भी शामिल थे। उनको कस्टडी में 151 में लिया गया। आप सम्मानित विधायक हैं इसलिए वहां पर जो ट्रक था उसकी फ्रन्ट सीट पर बिछाकर ससम्मान थाने तक लाया गया।

(समय 3.00 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, यह जो 15 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उसमें से 4 व्यक्ति ऐसे थे जो पुराने रिकार्ड वाले हैं जिन पर दूसरे थाने में 395 और 397 का मुकदमा दर्ज है और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास में अवैध लाइसेंस थे। चूंकि तनाव था, 151 में कार्रवाई की गयी 107 में आगे कारवाई चलती तो स्वाभाविक है कि जिन पर लाइसेंसी हथियार थे उनके निरस्त्रीकरण की कार्रवाई की गयी। कुछ घंटे उनको थानें पर रखकर एस०डी०एम० के सामने प्रस्तुत किया और हाथों हाथ जमानत हुई और वह लोग बाहर आ गये।

यह स्वाभाविक है कि आपका क्षेत्र वहां पर पड़ता नहीं है जहां पर यह घटना की कार्रवाई हुई, वह सम्भवतः आपका क्षेत्र नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। यह भी जानकारी मिली है कि एक पक्ष जिसकी तरफ से 15 लोग गिरफ्तार हुए माननीय विधायक भी साथ थे उस पक्ष ने जिनकी पट्टे की जमीन थी उससे कई गुना आगे जाकर अवैध कब्जा किया हुआ था। जब प्रशासन ने कोशिश की और जब जिन लोगों के पट्टे थे उन्होंने रोका तो तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया। दोनों पक्षों को 151 में बन्द करके ले आये कि वहां पर कोई घटना न घटने पाये, यही तथ्य है।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी,जो सूचना अभी तक सरकार प्राप्त कर पाई थी उसको आपके सामने रखा है इसके बारे में कुछ बिन्दु मैं रखना चाहता हूं। एक तो जो माननीय विधायक के लाइसेंसी हथियार है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है, ऐसे व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस, एक तो तनाव था बन्द कर दिया इस आधार पर कैंसिल कर दिया जाय और दूसरी बात जो मंत्री जी ने स्वीकार करी है अगर यही परम्परा है कि हमारी सुरक्षा में हमें ट्रक की अगली सीट पर बैठा कर ले जाया जायेगा या पुलिस की जीप में बैठाकर ले जाया जावेगा और इससे विधायक की गरिमा बढ़ जायेगी तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

मान्यवर, उनके पास गनर थे, जीप थी, वह गनर पुलिस के हैं उन्हें जीप में बैठाकर ले जाया जा सकता था 151 का मामला था कोई 302 नहीं था, वह कोई भाग नहीं जाते अगर यह आपकी दृष्टि में न्यायोचित है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

तीसरा बिन्दु यह है कि थाने के अन्तर्गत जितने पक्ष और विपक्ष के लोग थे जो बैठाये गये थे उन्हीं के साथ पंक्ति में जमीन पर विधायक जी को बैठाना भी आपको उचित लगता है, यही विधायक की गरिमा है तो यह आप निर्णय करें। चौथा एक बिन्दु और है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं यह पता कर लें कि राजस्व की प्राप्ति 3-4 साल पहले वहां कितनी होती थी और इस समय क्या हो रही है यह सरकार का अपना मामला है।

मान्यवर, पहले के कम्परीजन में वह घटकर एक चौथाई रह गयी है और वहां पुलिस की मिली भगत से अवैध खनन हो रहा है। आप दिखवा लें वहां स्टोर करने का नियम नहीं है लेकिन कई करोड़ रुपये की बालू वहां स्टोर के रूप में रखी हुई मिलेगी जो पुलिस की मिलीभगत से स्टोर करके रखी गयी

है । इन चारों बिन्दुओं को जो मैंने कहा है इस पर आप विवेक से निर्णय लें । अगर सरकार माननीय सदस्य की गरिमा रखना चाहती है तो सरकार को कुछ करना चाहिए अन्यथा यह तो समय है कभी हम हैं कभी आप हैं आज हम बैठाकर जा रहे हैं कल आप जायेंगे आपकी गरिमा बढ़ जायेगी । अगर यही चलाना है तो अच्छी बात है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक बिन्दु और कहा गया, उसका मुझे कष्ट है । विधायक जी को जमीन पर बिठाया गया, अगर ऐसा हुआ है । वैसे जब वह बोल रहे थे उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था । मैं इस बिन्दु पर वहां के कमिश्नर से जांच करा लूंगा और रिपोर्ट ले लूंगा । अगर ऐसी बात है तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपने उत्तर में यह कहा कि वहां तनाव था और माननीय विधायक जी वहां पहुंचे, इनके पास लाइसेंसी शस्त्र था, लेकिन अगर माननीय विधायक की उस तनाव में कोई भूमिका नहीं थी तो शस्त्र लाइसेंस के कैन्सीलेशन की प्रक्रिया कहां तक उचित है । वहां विधायक जायेगा तो उसके पास गार्ड भी होगा, शस्त्र भी होगा । लेकिन यदि वह बीच बचाव करे और उसकी कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं हैं तो लाइसेंस कैसे निरस्त हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि विधायक जी की आपराधिक गतिविधि नहीं है । जो हमारे सामने जानकारी आयी है, उसके अनुसार दो पक्ष हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर तर्क के लिए मान भी लें तो उसमें विधायक की भूमिका क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वहां 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी और 15 वह व्यक्ति हैं, जिनको माननीय विधायक जी का संरक्षण प्राप्त है, उसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके पास अवैध हथियार मिले हैं । माननीय विधायक जी उनको कब्जा कराने गये थे । वैसे आपका जो आदेश है, जमीन पर बैठाने वाली बात कही गयी है, टूक वाली बात कही गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

प्रत्येक विधायक को न्यूनतम सम्मान का अधिकार तो है ही । आप जानकारी कर लें । माननीय वर्मा जी ने जो सरकार की घटती आय के बारे में कहा है, वह तो सरकार के हित में है । वहां यदि बालू अवैध खनन का पड़ा हुआ है तो सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे दें कि वह मौके पर जाकर जांच करें ।

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सदन के माननीय सदस्य की गरिमा का मामला है और इस पर आपका संरक्षण चाहिए । आप इस मामले पर माननीय सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति बना दें और वह मौके पर जाकर अपनी रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करें और जो भी दोषी लोग हैं, उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार किसी विधायक का अपमान न हो ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री ने कह तो दिया है कि जांच करा लेंगे और यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही होगी ।

श्री दी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो अपराधी हैं, उनको सजा दें, उनकी पैरवी हम कदापि नहीं कर रहे हैं, उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करें, परन्तु जो विधायक जी हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश वापस करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश कर दिया है, संसदीय कार्य मंत्री ने कह भी दिया है, वह सहमत भी हैं, हामी भी भर दी है, वह देख लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप उक्त से जांच की बात कर रहे हैं, इसको आप समय सीमा में बांध दें।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप 10 दिन के अन्दर करवा लें।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आबकारी मंत्री जी की तरफ से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000, मान्यवर.....

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह अत्यन्त ही छोटा संशोधन है और अधिनियम की धारा 28(1) के अन्तर्गत जो अधिकतम धनराशि रु० 15 से रु० 30 करने का प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि यह राजस्व से निहित मामला है।

श्री अध्यक्ष–

दोनों पर एक साथ समीकृत विचार प्रकट कर दीजिये।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, आबकारी मंत्री जी ने कहा है कि यह एक छोटा संशोधन है। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से मान्यवर, इन्होंने 15 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति लीटर यह जो किया है, विचार का।

हमारे लिये तो यह मदिरा है, आबकारी मंत्री जी के लिए मदिरा हो न हो। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद-47 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "राज्य, अपने लोगों के

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" बाध्यता तो नहीं है, लेकिन नैतिकता यह कहती है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो समावेश किया गया है, तो इस सरकार को पूर्ण मद्य निषेध की तरफ भी काम करना चाहिए। अब यह सही है कि इन्होंने तर्क यह दिया कि 15 रुपये लीटर से 30 रुपये लीटर कर दिया है, इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार 30 रुपये की बजाय 100 रुपया, 150 रुपये टैक्स लगाकर दाम बढ़ा दें इससे राजस्व भी बढ़ जायगा और जो गरीब आदमी तांगे वाला, किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला हैं उसके पीने की आदत छूट जायगी। यह बियर को शराब नहीं मानते हैं लेकिन मैं शराब मानता हूं।ऐसा करने से संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका पालन हो जायगा। मद्य निषेध और राजस्व में बढ़ोत्तरी भी हो जायगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय वहां पर इसके गुण-दोष पर विचार हो जायगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया बियर पर राज्य सरकार ने शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है। जो कानून है उसके अन्तर्गत 15 रुपये से ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह संशोधन लाया गया है और यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जहां तक शाक्य जी की जो चिन्ता का विषय है तो सरकार प्रयास करती है कि मादक द्रव्यों का कम से कम प्रचालन हो। राज्य सरकार को 2 हजार करोड़ रुपयों का राजस्व आबकारी से होता है, राज्य के राजस्व में इसका बड़ा योगदान है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय शाक्य जी अपने प्रस्ताव को वापस लें और सर्वसम्मति से इसको पास होने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो सरकार से इसको बढ़ाने की बात करता हूं कि 150 रुपया कर दें। ऐसा कौन सा विपक्ष होगा जो इनके साथ होगा ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

(2) यह पहली अप्रैल, 2000 से प्रवृत्त होगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2- संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में उपधारा (3) में, खण्ड (ए), (सी), (डी) और (ई) में, सारणी में, मद 2(ए) के सामने आये हुए शब्द "पन्द्रह रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द "तीस रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है। मान्यवर, यह सरकार प्रदेश में माल के प्रवेश पर इन्ट्री टैक्स लगाने जा रही है।

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, पहले मैं प्रस्तुत कर दूं।

श्री लालजी वर्मा–

मेरी बात सुन लें, हो सकता है कि आपको इसको प्रस्तुत ही न करना पड़े।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में व्यापार कर एक बड़े राजस्व का स्रोत है। जिससे करीब 3,500 करोड़ गत वर्ष आय हुई थी। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए, सिंचाई संसाधनों के लिए, विकास के लिए और माननीय विधायकों के विधायक निधि के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। व्यापार कर विभाग 3,500 करोड़ रूपये की वसूली करता है जिससे प्रदेश का खर्चा चलता है। आज जो असुविधायें हैं, कानूनी अड़चनों का लाभ उठाकर व्यापार कर चोरी करने वाले, संगठित गिरोह द्वारा कर अपवंचन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विचार करके इण्ट्री टैक्स लगाने का फैसला किया है जिससे आर्थिक संसाधन को और समृद्ध किया जा सके।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह आबकारी मंत्री जी के पास बैठे हैं, इसलिए उसका असर है। यहां व्यापार कर की बात ही नहीं हो रही है। मंत्री जी व्यापार कर के बारे में बता रहे हैं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, व्यापार कर को बढ़ाने के लिए प्रवेश कर की व्यवस्था की गयी है जिससे आर्थिक संसाधन मजबूत हो इस कर से लगभग 400 करोड़ और अधिक राजस्व की व्यवस्था होगी और इससे हम विकास त्वरित गति से कर पायेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह जो इन्ट्री टैक्स लगाने का काम किया गया है। इसी सदन में पिछली बार जब 1998-99 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय इस इन्ट्री टैक्स का जिक्र किया गया था। उस समय यह अध्यादेश आया और इन्ट्री टैक्स लगाने का निर्णय किया गया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उस इन्ट्री टैक्स को लगाया गया फिर उसका क्रियान्वयन रोक दिया गया। इस टैक्स को लेकर सरकार की हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि एक बार यह टैक्स लगाते हैं केवारा व्यापारियों के दबाव में आकर उसे समाप्त करते हैं। अब फिर टैक्स लगाने के लिए अध्यादेश लाने का काम किया जा रहा है। आप स्वयं जानते हैं कि पहले चुंगी टैक्स लगता था और सभी नगरों में उसके माध्यम से आय होती थी लेकिन व्यापारियों का होने वाले उत्पीड़न के कारण उस टैक्स को बन्द किया गया। आज फिर उसी रूप में इस तरह से माल पर प्रवेश कर लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी भी इच्छा है कि इस प्रदेश की आय बढ़नी चाहिए, विकास कार्यों के लिए बढ़नी चाहिए लेकिन इस तरह से एक हास्यास्पद स्थिति जो बनायी जा रही है एक बार इस टैक्स को लगाने का काम किया जाता है पुनः उसको समाप्त किया जाता है। इसी वर्तमान सरकार द्वारा पुनः लगाने का काम किया जाता है यह सरकार इस बारे में सुनिश्चित नहीं हो पायी है कि इस टैक्स को वसूल करने का काम किया जाए या न किया जाए इससे [xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह अंश निकाल दिया जाएगा।

श्री लालजी वर्मा–

इस कर के माध्यम से गरीब व्यापारियों के दोहन करने का काम किया जाएगा। इस टैक्स को लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इस टैक्स के माध्यम से नाजायज तरीके से व्यापारियों को, किसानों को या तमाम लोगों को परेशान करने का काम करेंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश आया है उसका अननुमोदन किया जाए एवं इस अध्यादेश के अननुमोदन पर विशेष बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि विधायक निधि के लिए भी रुपया चाहिए और चीजों के लिए रुपया चाहिए इसलिए सारी व्यवस्थायें करने के लिए इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि कहीं भविष्य में हवा और धूप में भी टैक्स न लगा दिया जाए कि देहात के लोग धूप और स्वच्छ हवा ज्यादा लेते हैं इसलिए वह टैक्स दें। इस टैक्स के द्वारा गरीब व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण होगा बड़े आदमियों से तो यह मिले हुए हैं किसानों और गरीब व्यापारियों का ध्यान रखते हुए श्री मुलायम सिंह जी ने चुंगी माफ करने का काम किया था। इस अध्यादेश को लाने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बी० आर० वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश और विधेयक पर सदन में विचार चल रहा है । प्रदेश की आमदनी बढ़े और प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा जैसे राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति की स्थिति है उसमें सामन्जस्य बनाने के लिए हमें आमदनी बढ़ानी पड़ेगी इससे मैं समझता हूं कि कोई भी इस सदन का सदस्य असहमत नहीं होगा । इसलिए यह जो टैक्स लगा है इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है परन्तु जो हालात चेक पोस्टों के हैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो व्यापार कर विभाग की चेक पोस्टें हैं उनमें हमारी जानकारी के अनुसार जितने अधिकारी कर्मचारी अनुमन्य हैं उसके आधे कर्मचारी इन चेक पोस्टों पर तैनात हैं वहां कोई अधिकारी कर्मचारी रहना नहीं चाहता है जैसे ही उसको मौका मिला वह किसी न किसी माध्यम से हट जाना चाहता है । वर्क लोड इतना ज्यादा है कि कई-कई चेक पोस्टों से बीसों लाख रुपये की व्यापार कर की चोरी होती है । क्योंकि उसके लिए उतना स्टाफ चाहिए जिससे वे जांच कर सकें और व्यापार कर की चोरी रोक सकें लेकिन उसी स्टाफ पर आप एक और कार्य का लोड डालने जा रहे हैं जिसका परिणाम होगा कि और चोरी होगी और समुचित देख-रेख नहीं हो पायेगा ।

इसलिए यदि आप सचमुच में कर बढ़ाना चाहते हैं तो वह टैक्स वसूल हो सके, राजस्व सरकारी खजाने में पहुचं सके इसके लिए आपको प्रबन्ध करना चाहिए । मात्र टैक्स लगा देने से टैक्स खजाने में नहीं पहुंच सकेगा । इसलिए मंत्री जी कर लगाने के साथ ही साथ विचार करें और इस तरह का प्रबन्ध करें कि जो टैक्स लगा रहे हैं वह चोरी से बिचौलिए न खा जायं बल्कि वह सरकारी खजाने में पहुंच सके जिससे प्रदेश की आय बढ़े और प्रदेश की तरक्की में वह धन खर्च हो सके अन्यथा आय नहीं बढ़ेगी बल्कि चोरी बढ़ जायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रवेश कर के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति को भेजने अथवा अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है वे भी इस बात से सहमत होंगे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, विकास की योजनाओं को गति देने के लिए यह कर लगाया जाना चाहिए । श्री बी० आर० वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सिद्धान्तः इससे सहमत हूं इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि प्रतिपक्ष में बैठकर उन्होंने साफ बात कही । मान्यवर, यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि कई प्रकार के कर वर्षों से लगे हैं और उन करों का जिस प्रकार एकत्रीकरण होना चाहिए जिस प्रकार उन करों द्वारा वांछित धनराशि सरकारी खजाने में जमा होनी चाहिए लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और भ्रष्टाचार की घटनायें निरन्तर हो रही हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक विधेयक का प्रश्न है, इसमें इसकी मंशा साफ है कि हम प्रदेश की आय को बढ़ाना चाहते हैं और आय बढ़ाकर इस तथ्य को स्वीकार करें कि उसे प्रदेश के विकास के कार्यों में लगायें जिससे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकें । मान्यवर, सरकार की मंशा है कि जहां-जहां करों के चोरी के अवसर हैं वहां-वहां व्यवस्था में परिवर्तन करके उन सारे अवसरों को बन्द कर दिया जाये । यह कार्य करने का सरकार उत्तरोत्तर कार्य कर रही है । हम सत्ता पक्ष में हों या प्रतिपक्ष में हों, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है और हम अपने कर्तव्य पालन में सफल जब तक नहीं हो सकते हैं तब तक हम इस भावना से ऊपर नहीं उठेंगे कि प्रदेश के हित में क्या हो ?

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

प्रदेश के हित में हम आपस में सहमति देने में जरा भी संकोच न करें । इसलिए बिना संकोच के मैं श्री लालजी वर्मा तथा श्री राम औतार शाक्य जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को समर्थन दें और हम सबका सम्मिलित प्रयास हो कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं में कमी आये, उनको बन्द किया जाये । मैं श्री लालजी वर्मा से सहमत हूं कि जब कहीं भी व्यवस्था में गड़बड़ी होती है उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए । व्यवस्था । दिन में नहीं बनती, इसके लिए कोई एक व्यक्ति अपराधी तथा दोषी नहीं हैं, यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए और सामंजस्य होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सही है कि पहले से ही कई किस्म के टैक्स लगे हुए हैं । टैक्स की वसूली हो, प्रदेश की तरक्की हो, यह सबकी मंशा है और करना भी चाहिए परन्तु जो काम करने का इसका तरीका है, उसमें कहीं न कहीं कमी है । व्यापारी भी आन्दोलित हैं, उनकी भी यही सोच है कि उनके माल पर उनसे जो टैक्स लिया जायेगा, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा । फिजूल खर्ची होती रहेगी, चाहे आप जितना टैक्स लगवाते जायं, विकास और तरक्की सही नहीं होगी । मैं तो यह कहता हूं कि जो कमजोर तथा गरीब लोग हैं, उनका तो शोषण होगा ही और जो आज मौजूदा सरकार में गठबन्धन में है, उनका भी शोषण होगा । इसलिए इसे प्रवर समिति को दे दिया जाय जहां इस पर विचार-विमर्श हो सके । एक सन्तुलित आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार जो यह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लेने जा रही है, इस पर आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं तो इस सरकार से पहले इसकी मंशा जानना चाहता हूं । यही सरकार थी, यही मंत्रीगण थे यह कर लगेगा, वह आया भी परन्तु एक मुख्य मंत्री की बलि लेकर यह वापस हो गया । पुराने मुख्य मंत्री जी ने लगाया परन्तु उनकी बलि लेकर यह चला गया । दुबारा यह लाया गया है । कहीं सबकी नीयत तो खराब नहीं हो रही है, आप इसको देखवा लें । आप एक अच्छे आदमी हैं । क्योंकि आपकी पार्टी बिना व्यापारी के चलेगी नहीं । यह कौन कहता है कि इसका प्रभाव केवल व्यापारी पर पड़ेगा । इसका तो उपभोक्ताओं पर और सामान्य जन-जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा । पहले से ही उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं ।

तीसरी बात यह है कि नये टैक्स लगाने की प्रवृत्ति को आप छोड़िये पहले से जो टैक्स लगे हुए हैं, उनकी वसूली को सही ढंग से कीजिये और जिन पर बकाया है, उसे वसूलिये । यदि आपने यही काम कर लिया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जायेगा और बहुत सारा राजस्व प्राप्त हो जायेगा । जिनके पास आज बहुत बकाया है, उनसे आप ले नहीं पा रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसे आप ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिये मंत्रिमंडल में भी मारा-मारी है कि कौन सा विभाग किसको मिले।

दूसरी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आप उसे जरूर ध्यान दें। आज जो यह खुली अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण का युग है। व्यापार या उद्योग उसी प्रदेश में बढ़ेगा जहां कम से कम टैक्स लगे होंगे। प्रवेश पर नो एन्ट्री का बैन लगा होगा और दिल्ली, पंजाब से चलकर माल एक चौराहे पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश जाने के लिये उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हरियाणा या राजस्थान यदि वह जाता है वहां उसे कम टैक्स देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का उद्योग और व्यापार प्रभावित होगा। आपने निर्णय लेकर कई टैक्स बढ़ा दिया। सेल्स टैक्स ज्यादा कर दिया आज गाड़ी खरीदने के लिये लोग ग्वालियर, पंजाब, दिल्ली जाने लगे हैं। आप इस कर के माध्यम से थोड़ा सा राजस्व अर्जित करना चाहते हैं लेकिन जो पहले से राजस्व आपको मिल रहा है इससे उसमें कमी आयेगी।

मैं आग्रह करूंगा कि सरकार यह जो नाम बदलकर टैक्स लगा रही है इस पर विचार करें। यदि आप उत्तर प्रदेश का हित चाहते हैं तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रदेश के साथ साथ अपना भी हित चाहते हैं तो इस पर विचार अवश्य करें। किसी भी मुख्यमंत्री के लिये इस तरह का कर लगाना अशुभ है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, राम औतार शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक पर जो संशोधन रखा है उसका में समर्थन करता हूं और दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी प्रमोद तिवारी जी ने सरकार का और सदन का ध्यान आकृष्ट किया उसी तरफ मैं भी दो बातें कहना चाहता हूं। सेल्स टैक्स का वसूली का लक्ष्य 4420 करोड़ रुपये इस वर्ष का निर्धारित था और अभी तक केवल 3800 करोड़ रुपये संबंधित विभाग वसूल पाया है। आप यह जो वर्तमान में प्रवेश कर लगाने की बात कर रहे हैं उससे बामुश्किल मात्र 500 करोड़ की आय की भी आशा नहीं लगती है। अगर हम जैसा प्रमोद जी ने कहा कि इसको हम बढ़ा लेंगे तो पिछला राजस्व जो प्राप्त होता रहा है उसमें वृद्धि आयेगी। इसको न लगाकर यदि हम 3800 करोड़ के स्थान पर 4420 करोड़ रुपये वसूल कर लें तो 400 करोड़ रुपये से भी अधिक वसूली हम वसूली तन्त्र को ठीक करके प्राप्त कर सकते हैं। वसूली तन्त्र का ठीक से उपयोग करके वसूली को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इतनी वसूली कर लें तो हमें यह टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हम आवास विभाग से 270 करोड़ की आशा कर रहे थे और 77 करोड़ रुपये की वसूली हुई। यह रैशनल तर्क संगत नहीं है। जो टैक्स पहले से लगे हैं यदि उसकी वसूली हम ठीक से कर सकें तो यह नया टैक्स लगाने और उसके लगाने से जो विवाद खड़े होंगे हम उससे बच सकते हैं। जिस प्रकार यह टैक्स लगाया जा रहा है। अभी एक आइटम है कि 50 रुपये प्रति मीटर से अधिक सभी कपड़ों पर यह टैक्स लगेगा। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि इससे व्यापारियों को भी लाभ नहीं होना है। सरकारी कर्मचारियों और इन्स्पेक्टरों को लाभ होगा।

सरकार कहती है कि इन्स्पेक्टर राज खत्म कर रहे हैं। यह बात कैसे तय होगी कि यह कपड़ा 50 रुपये मीटर से अधिक का है। व्यापारी भी चोरी करेगा वह कहेगा कि नहीं यह 20 रुपये मीटर का है इन्स्पेक्टर कहेगा कि नहीं यह 100 रुपये मीटर का है। यह कैसे तय होगा। यदि व्यापारी इन्स्पेक्टर को नहीं देगा उसको खुश नहीं करेगा तो उसका उत्पीड़न भी होगा और उसको यातना भी मिलेगी और वह बेईमान भी कहा जायेगा। इसलिये जो हालात हैं जिनमें यह प्रस्ताव किया गया है वह ठक नहीं है। आज औद्योगिकीकरण में एक उद्योगपति एक शहर में उद्योग लगायेगा और सामान बेचने दूसरी जगह जायेगा तो प्रवेश कर प्रदेश में ही उसे देना होगा।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसका कोई औचित्य नहीं है अगर हम वसूली ठीक करेंगे, अभी हमारे सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स की, पूरे व्यापार कर की वसूली नहीं हो पा रही है फिर इसको कैसे वसूल कर पाएंगे । सभी परेशान हैं कि प्रदेश का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो तो दलगत राजनीति से हटकर प्रदेश के विकास की बात करें, संसाधन को बढ़ाने की बात करें, लेकिन जो आर्थिक सिद्धान्त है अभी कर आरोपण इसके अनुरूप नहीं है । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि करों का आरोपण बढ़ाते रहे और आप प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन खर्चा कम नहीं किया, वसूली को बढ़ाने का काम नहीं किया तो प्रदेश औद्योगिक प्रदेश नहीं बन पाएगा जिसकी घोषणा हम मुख्य मंत्री जी के चित्र के साथ जगह-जगह देखते हैं कि वह इस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहते है वह कल्पना साकार नहीं हो पाएगी । आप प्रवेश कर के जगह-जगह वैरियर लगायेंगे प्रवेश कर के नाम पर जो होगा आप समझ सकते हैं आप प्रवेश कर के नाम पर भ्रष्टाचार का अड्डा वैरियर के रूप में शुरू कर रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो इस पर सांगोपांग विचार कर सके ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर द्वारा जो प्रवेश कर का प्रस्ताव लाया गया है इसके समर्थन में मैं अपनी बात चन्द लाइनों में कहना चाहता हूं –

"इससे तो गति तेज होगी विकास की ,
पूरी भी कमी होगी यहां आर्थिक ह्रास की,
प्रवेश कर लगा के सूझबूझ जो दिखाया
प्रशंसा हम करते मंत्री जी के प्रयास की,
यह तो विरोधी हैं, विरोध करते रहेंगे
हर अच्छे कार्य में, अवरोध करते रहेंगे
प्रदेश के विकास में जो कुछ है जरूरी
हमेशा हम ऐसे अच्छे शोध करते रहेंगे ।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, यह जो टैक्स की बात है इसका फार्मूला यह होना चाहिये कि –"लैस टैक्सेशन, मोर कलेक्शन" टैक्स कम लगे और आमदनी ज्यादा हो तो ज्यादा आमदनी के लिये सूची बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे बाहर से सामान आयेगा तो टैक्स मिलेगा । अगर बनिए का माल कम बिका तो उतनी आमदनी नहीं होगी लेकिन टर्न ओवर होगा तो आमदनी बढ़ेगी । वैसे आमदनी के लिहाज से सरकार टैक्स लगाने जा रही है लेकिन सरकार को आय कम होगी । भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा । वैरियरों में तमाशा होगा आप देख लीजियेगा वैरियर पर टैक्स लगेगा तो बाहर से सामान नहीं आएगा कम आएगा इसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ेगा तो इस टैक्स के माध्यम से महंगाई बढ़ाने का न्योता दिया जा रहा हैं । इससे सामान की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी इसी के साथ शाक्य जी द्वारा रखे गये संशोधन का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं उन सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लिया, उन सभी के भाषण को गौर से सुना चाहे डंग साहब हो, वर्मा जी हो, अम्बरीष जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों या फिर पंकज जी हों। सभी लोगों की भावनाएं करीब-करीब मिलती जुलती हैं।

मान्यवर, किसी प्रदेश का विकास हों या किसी भी प्रदेश में उद्योग का विकास, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कल्पना है हम औद्योगिक प्रदेश बनाने जा रहे हैं, यह तभी बना पायेंगा जब कम से कम टैक्स हो और अधिक से अधिक कनेक्शन हो। हमारी जो कमजोरी है उसके लिए कौन दोषी है, किस तरह से दोषी है यह एक चर्चा का विषय है। मान्यवर, निश्चित रूप से जो हमारी टैक्स की व्यवस्था है उसके अन्तर्गत हमारे टैक्स तो बहुत अधिक हैं। मान्यवर, सबसे अधिक टैक्स उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कलेक्शन हम नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिनको हम जिम्मेदारी सौंपते हैं उसका वह निर्वहन नहीं करते हैं। निर्वहन की जो हमारी व्यवस्था है उसका पालन करने वाले लोग हैं वह उपाय सोचें।

अभी हमारे अम्बरीष जी ने कहा है कि चौवालिस करोड़ की इनकम होनी चाहिए थी लेकिन अड़तीस सौ करोड़ हुई। अगर यह छः सौ करोड़ की हो जाती तो फिर यह पांच सौ करोड़ रुपये की इससे जो आमदनी होती उसकी जरुरत न पड़ती। एन्ट्री टैक्स के सम्बन्ध में स्वयं मंत्री जी स्वयं गलत फहमी में हैं। एक बार लगा और फिर रोक दिया गया। फिर लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय शाक्य जी ने जो प्रस्ताव किया है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय उसमें विचार हो सकता है कि किस तरह से इसका स्वरूप बनाया जाय। कैसे इनकम ज्यादा हो इस पर विचार करना होगा। मैं भी सहमत हूं कि इनकम बढ़नी चाहिए। इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो पाये इस विषय में सोच की आवश्यकता है। यह मेरा अननुमोदन का प्रस्ताव है इस पर आप लोग सहमत होंगे। इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसमें काफी मन्थन हुआ, गम्भीर चिन्तन हुआ और उसमें दो तीन बातें सामने निकलकर आयीं। मान्यवर, जब विश्व बैंक पैसा देता है तो उसकी शर्तें हुआ करती हैं। केन्द्रीय सरकार जब स्टेट गर्वनमेंट को रुपया देती है तो उसकी भी शर्तें हुआ करती हैं। यह उसे मालूम होता है कि इसके तहत संसाधन जुटाने होंये । अगर सरकार वह नहीं करेगी तो फिर विश्व बैंक या केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी यह मजबूरी है राज्य सरकार की।

जब सरकार यह मानती है कि वित्तीय स्थिति घाटे में है और वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए तीन बातें कही गयी, अनुत्पादक व्ययों में कमी लायेंगे, कर अपवंचकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो तमाम बकाया हैं उनकी वसूली करेंगे। सरकार ने इन तीनों मामलों में कोई कदम उठाया है ? जम्बो जेट मंत्रिमंडल में चाय नाश्ते पर कार के पेट्रोल, डीजल पर तमाम खर्चा हो रहा है। आपने निगम में प्रशासक बिठा दिये हैं जो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं दूसरी तरफ तनख्वाह नहीं निकल रही है सरकार कहती है कि राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं दूसरी तरफ अनुत्पादक व्ययों को कम करने का काम यह सरकार नहीं कर रही है।

पिछले वर्ष मेरे एक तारांकित प्रश्न के संदर्भ में बताया गया था 20 बड़े बिजली के बकायेदार हैं जिन पर अरबों रु० बकाया है लेकिन सरकार की नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति हो तभी तो जो बकायेदार हैं उनसे वसूली हो सकती है। जो बकायेदार हैं ये वे लोग हैं जिनके बल पर यह सरकार चल रही है जो रुपया देते हैं यह वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं करना चाहते हैं गरीब आदमियों पर टैक्स

लगाकर उनका शोषण करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी अम्बरीष जी ने ठीक कहा कि और इन्सपेक्टर राज कायम करना चाहते हैं। गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना होनी चाहिए। मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, इस विषय पर कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी। कुछ सदस्यों ने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। उन्होंने गौर से पढ़ा नहीं कि इन्ट्री टैक्स किन वस्तुओं पर लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं। मान्यवर, कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो विधायक निधि की स्थापना की बात आयी थी सभी ने यहां एक सुर से कहा था कि क्षेत्र में विकास के लिए इस निधि की आवश्यकता है जो तमाम विकास पुलिया, सड़क आदि की बात है उसके पास ऐसा कोई धन नहीं था कि वे उससे क्षेत्र का विकास कर पाता।

इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए निवर्तमान मुख्य मंत्री ने प्रवेश कर का विचार रखा। ताकि उससे पूरे प्रदेश में विधायकों को अधिकार दिया जाये कि जिससे वह समग्र और सर्वांगीण विकास करने में सहायक बन सकें। वर्तमान सरकार ने आपके क्षेत्र के विकास के लिये इस प्रदेश में आर्थिक मजबूती लाने के लिये एक प्रवेश कर की बात रखी है, केवल तीन वस्तुओं पर यह रखा है, उससे किसानों पर भार नहीं पड़ेगा। एक कच्चा तेल है जो प्रदेश में भारी मात्रा में आता है एक जगह लेंगे दूसरी जगह नहीं लेंगे दूसरे प्राकृतिक गैस तीसरे दस लाख से ऊपर की मशीनरी है। इसमें कहां से गरीब, किसान प्रभावित हो रहा है। हमने बात रखी है वह इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये रखी है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये यह प्रस्ताव रखे हैं।

(समय 4.00 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी ने अभी कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमारे यहां कर अपवंचन हो रहा है मुझे जब यह दायित्व दिया गया था तो मैंने कहा था कि हमारे विभाग में कर अपवंचन बड़ी मात्रा में हो रहा है और बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। मैंने प्रयास किया है सी० एम० सी० को हमने यह जिम्मेदारी दी है कि प्रदेश में जहां भी हमारी टैक्स है उसमें सीधे-सीधे उनके माध्यम से वसूली कर ली जाय। जिससे कर अपवंचन रोका जाय। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने एक आदेश जारी किया था कि अगर 10 लाख का माल है और 5 लाख का भी बिल है तो उस ट्रक को चेक नहीं कर सकते हैं तो यह आदेश व्यापारियों के, कर चोरों के दबाव में नहीं किया था तो किसके दबाव में किया था।

मान्यवर, हमने 35 से 40 बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है उनको निलम्बित किया है और प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार कर अपवंचन को रोका जाय विगत 6 माह से व्यापार कर अपवंचन को पूरी ताकत से यह सरकार रोकने का प्रयास कर रही है और इससे हम अपने आर्थिक संसाधन को बढ़ायेंगे लेकिन आपसे आग्रह है कि इस रचनात्मक कार्य में हमारा सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि अपने प्रस्ताव को वापिस लें और हमारा सहयोग करें।

श्री अधिष्ठाता–

लाल जी वर्मा जी, आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि इससे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिये मैं अपने मत पर कायम हूं और मैं इसे वापिस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

[x x x]

(श्री अरविन्द कुमार जैन एवं श्री बाबू राम यादव द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निर्देशित कर दिया है, यह कुछ लिखा नहीं जा रहा है । कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मुलायम सिंह जी का जिक्र किया उसको कार्यवाही से निकलवा दें । तो मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा । अगर वह कार्यवाही में है तो मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, व्यापारियों का भी ध्यान रखा और व्यापारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने देशद्रोही नहीं समझा । जो लोग व्यापारियों से नोट और सपोट लेने का काम करते हैं वही यह धोखेबाज लोगों की सरकार है जिसके वोट पर यहां बैठे हैं उसी की कमर पर चोट करने का काम करते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर बिक्रीकर को समाप्त करने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया तो वह कर अपवंचन के लिये नहीं किया । इससे कर अपवंचन नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी, कृपया स्थान ग्रहण करें । शाक्य जी आप संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो लोग प्रदेश को दिवालिया करने के दोषी हैं, उनको यह बात कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी यह बात कही गई कि बड़े लोगों को टैक्स किया गया है, आपके संज्ञान में होगा, जब यह लग्जरी टैक्स के संबंध में विधेयक आया था, उस समय खैनी-तम्बाकू को मुक्त

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया था, सभी प्रकार की तम्बाकू और तम्बाकू के सभी उत्पाद । लेकिन अब आपकी बात में खुद विरोधाभास है ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

विचार किया जायेगा, अभी तो केवल 3 वस्तुओं पर अनुमति मांग रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

नायलान सूत, पोलियस्टर सूत और पोलियस्टर स्टेवल फाइवर, यह बड़े लोगों की चीज नहीं है । जहां तक मुलायम सिंह यादव का नाम लेने की बात है, वह इस सदन के सदस्य नहीं है । वह देश के महान नेता हैं, उन्होंने जो किया है । वह आपके फरिश्ते भी नहीं कर सकते, वह तो बहुत बड़े चिन्तक हैं, इसलिये मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–9 तक, खण्ड–1. अनुसूची,प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह पहली नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

2-(1) इस अधिनियम में,

(क) व्यापार के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वांणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोभूत हो या नहीं ;

(दो) किसी प्रयोजन के लिये किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल को प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या नहीं ; और

(तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषांगिक या उसके परिणाम स्वरूप हो ।

(ख) ''व्यापारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी कोई सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐसा व्यापार करता है ;

(दो) कोई मध्यवणिक (फैक्टर) दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यक अभिकर्ता (मर्केन्टाइल एजेन्ट) चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो, और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है ;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है, चाहे इच्छुक क्रेता की प्रस्थापना उसके द्वारा स्वीकार की जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती द्वारा ;

(चार) कोई सरकार जो चाहे व्यापार के दौरान या अन्यथा नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से मान का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है ;

(पांच) प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय; विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है :–

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथापरिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता ; या

(ख) माल या माल से संबंधित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता ; या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रतिभूत ;

(छः) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के संबंध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय ;

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य के रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है ;

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद, अस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है ।

(नौ) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने के लिये हकदार है ;

(ग) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य,

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम ;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका ;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत ;

(चार) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत ;

(पांच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी के प्रादेशिक क्षेत्र से है ;

(घ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है ;

(ङ) "माल का मूल्य" का तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कराने वाले किसी व्यापारी के संबंध में ऐसे माल के क्रय-मूल्य से है जैसा उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (छ छ) में परिभाषित है, या ऐसे माल के, यदि उसे क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो, बाजार मूल्य से है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 में उनके लिये समनुदेशित है ।

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये व्यापार-कर कमिश्नर प्रवेश-कर आयुक्त होगा ।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन "कर निर्धारक प्राधिकारी" "अपील प्राधिकारी" और "अधिकरण" इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये क्रमशः "कर निर्धारक प्राधिकारी" "अपील सुनने वाला अधिकारी" और "अधिकरण" होंगे ।

(3) कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उचित निष्पादन का अधीक्षण और नियंत्रण प्रवेश-कर आयुक्त में निहित होगा ।

कर उद्ग्रहण

4-(1) किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर का स्थान भी सम्मिलित है, से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये, प्रवेश पर माल के मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विर्निदष्ट करें और भिन्न-भिन्न माल या माल को भिन्न-भिन्न श्रेणियों के संबंध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची की उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करें या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा ।

स्पष्टीकरण :– जहां व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल के परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी जिसने ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है या स्थानीय क्षेत्र में माल लाया है या मंगवाया है ।

(3) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये या ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो किसी माल के सभी व्यापारियों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के संबंध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल जिसके संबंध में उक्त उपधारा के अधीन किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो, लाता है या मंगवाता है, कर का उद्ग्रहण और संग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(5) किसी भी व्यापारी को उपधारा (4) का लाभ तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि वह विक्रेता व्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में जो विहित की जाय, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार प्रस्तुत न कर दें ।

(6) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय ; गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा ।

व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण

5–(1) प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा ।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध जो व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण और राजस्व के हित में प्रतिभूति के संबंध में है, यथावश्यक परिवर्तनों सहित व्यापारी पर लागू होंगे ।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

6–इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय को लागू करने के लिये सशक्त प्राधिकारी, कर निर्धारण, कर का पुर्ननिर्धारण, संग्रह और कर के संदाय, जिसमें इस अधिनियम के अधीनदेय शास्ति सम्मिलित है, को लागू कर सकते हैं मानों वह उक्त ऐक्ट के अधीन देय कर या शस्ति थी और इस प्रयोजन के लिये वे उक्त ऐक्ट और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उन्हें जो शक्तियां हैं, उन सभी का, या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उक्त ऐक्ट के उपबन्धों का जिसमें विवरण पत्रों, कर के संदाय और वसूली, विघटित फर्म और हस्तांतरिती पर कर का दायित्व, कर दायित्व का समाधान , व्यापारियों द्वारा कर की वसूली, अपील, पुनरीक्षण, भूल सुधार, पुर्ननिर्माणित या नई फर्म पर कर निर्धारण और साझे का बदला जाना, तृतीय पक्ष से वसूली, जांच चौकियों और नाकों, लेखा रखना, लेखों की दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार माल का अभिग्रहण करने का अधिकार, अपराध और शास्तियां, अपराधों का समाधान, मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करने पर दायित्व, रुपये की वापसी, कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय हो, राजस्व को कपट वंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना, ब्याज प्रभारित करना और देना अधिकारिता के प्रति आपत्ति, हानि रक्षा, कतिपय कार्यवाहियों पर रोक, कम्पनियों द्वारा अपराध विवादास्पद प्रश्नों का अवधारण, किस्त मंजूर करने का अधिकार और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा सम्मिलित है, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

7–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अनय अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें यह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

(8) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2000

निरसन और अपवाद

9-(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन् के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

1-ऐल्यूमिनियम की कच्ची धातु (धातुएं और स्क्रेप) और ऐल्यूमिनियम के रोल्ड उत्पाद और निष्कासन उत्पाद ।

2-सभी प्रकार के रसायन ।

3-काफी ।

4-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल (क्रूड आयल) ।

5-मशीन और मशीन के फालतू पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो ।

6-सभी प्रकार के मोटर यान जिसमें इसकी चेसिस भी सम्मिलित है, किन्तु ट्रैक्टर्स को छोड़कर ।

7-प्राकृतिक गैस ।

8-नाइलान सूत, पालिस्टर सूत और पालिस्टर स्टेपिल फाइबर ।

9-रेफ्रीजीरेटर, एयर कण्डीशनर, औवन, वाशिंग मशीन और टेलीविजन ।

10-भारत में निर्मित विदेशी शराब ।

11-चीनी ।

12-पचास रुपये प्रति मीटर से अधिक कीमत वाले सभी प्रकार के कपड़े ।

13-सभी प्रकार की तम्बाकू और तम्बाकू के सभी उत्पाद ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रस्ताव कर दीजिये ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, अगर माननीय मंत्री जी ने पीठ से इसकी अनुज्ञा नहीं ली तो उनको प्रस्तुत करने का अधिकार कैसे हो गया ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, केवल अनुज्ञा नहीं दी, आदेश दिया है । उनके आदेश के बाद किया है, पढ़ा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरी बात की पुष्टि कर दी । माननीय मंत्री जी को अनुज्ञा नहीं थी, वह बिना अनुज्ञा लिये ही ... मान्यवर, आदेश देने की परम्परा को यदि परम्पराओं से जोड़ा जा सकता है तो मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कल आपकी अनुज्ञा से धन्यवाद प्रस्ताव मैंने माननीय सदन के समक्ष उपस्थित किया था और आपकी ओर से निर्देश आया था कि चर्चा जारी रखी जाए मैं वहीं से अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं जहां से कल समाप्त की थी । मान्यवर, किसी प्रदेश की सरकार के कार्यों के आंकलन में कुछ मापदण्ड

---

† टिप्पणी :– दिनांक 29-3-2000 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी ।

होते हैं और उनमें जनजीवन कितना सुरक्षित है, लोगों के सम्मान की सुरक्षा के लिये, उनके जानमाल की सुरक्षा के लिये सरकार कितना सचेष्ट है, वह भी एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है ।

इस सरकार में स्पेशल टास्क फोर्स बनने के बाद से काफी हद तक इसने अपनी उपादेयता सिद्ध की है । इस प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें उन्होंने ऐसे गिरोहों को, ऐसे अपराधियों को केन्द्रित कराया है जो इसके पहले सामान्य रूप से सम्भव नहीं हो पा रहा था । गिरोह बन्दी अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसका कठोरता से पालन इस सरकार द्वारा कराया जा रहा है । इस सरकार की सफलता का एक और आयाम रहा है । मान्यवर, अभी लोक सभा के निर्वाचन हुए हैं यदि अन्य प्रदेशों से उ० प्र० में होने वाले लोक सभा के निर्वाचन को मिलाकर देखा जाये तो लगेगा कि जिस प्रकार से, जिस सफलता से लोक सभा के चुनाव यहां कराये गये हैं देश के अन्य प्रदेशों में ऐसा सम्भव नहीं हो पाया है । हिंसा की न्यूनतम घटनायें इस प्रदेश में हुयी हैं ।

मान्यवर, यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग है । इनफारमेंशन इज नालेज, एण्ड नालेज इज पावर । देर ही सही, यह पहली सरकार है जिसने सरकारी कामकाज के हर आयाम में इस तकनीक का सुनिश्चित उपयोग करने का निर्णय लिया है । प्रदेश की सुरक्षा के कार्यों में भी इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दिया गया है । इन्फारमेशन का कम्प्यूटराइजेशन तथा वायस लागिंग सिस्टम और पौलनेट का प्रयोग किया जा रहा है । यूरोप और अमेरिका की पुलिस के पास जिस प्रकार की सुविधा है उसी प्रकार की सुविधा हमारी सरकार ने पुलिस को देने का निर्णय लिया है और यह काम प्रारम्भ भी हो गया है । कानून व्यवस्था और विवेचना का काम जुड़ा होने के कारण एक विसंगति उत्पन्न होती थी और उसके कारण भ्रष्टाचार, कदाचार के कई उदाहरण सामने आये हैं । इस सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरीय क्षेत्रों में दोनों कार्यों को अलग कर दिया जाय । विवेचना का काम अलग हो और कानून व्यवस्था का काम अलग हो ।

मैं समझता हूं कि जहां पर इस प्रकार का प्रयोग हुआ है वहां पर सफलता मिली है । निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में भी इस दिशा में सफलता प्राप्त होगी । बिना जन सहयोग के कोई योजना सफल नहीं हो सकती है । आज की स्थिति में जब तक जनता का सहयोग नहीं लेंगे तब तक किसी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होगी ।

भारत के संविधान में लिखा है कि देश का स्वामी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मुख्य मंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक नहीं होगा देश की स्वामी देश की जनता है । लेकिन यह गलती बराबर कई वर्षों से होती आयी है कि जन और तंत्र को अलग रखा गया है । जनतंत्र की शक्ति ही जन है । जन का सहयोग न लेने के कारण लोकतंत्र में विसंगति पैदा हुयी । इस सरकार ने निर्णय लिया है कि जनता की सहभागिता भी ली जायगी सुरक्षा के लिये और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिये । इसी प्रकार से आये दिन चर्चा होती रहती है भारत और नैपाल की सीमा पर होने वाली गतिविधियों के बारे में । यह निश्चित रूप से एक तथ्य है हो सकता है कि प्रतिपक्ष में बैठे हुये मेरे मित्र इसको स्वीकार न करें, या करें राजनीतिक कारणों से या कहीं से ऊपर से दबाव पड़ता हो जिसके कारण स्वीकार न करें लेकिन जब अकेले मिलते हैं तो कहते हैं कि कुछ मामला गड़बड़ है ।

भारत और नेपाल की सीमा पर जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उससे देश की सुरक्षा को गम्भीर खतरा है । यह जो सीमावर्ती पुलिस बनायी गयी है उसके पास कोई विधिक अधिकार नहीं थे । इस सरकार ने निर्णय लिया है कि सामान्य पुलिस से हटकर कुछ विधिक अधिकार सीमावर्ती पुलिस को दिये जायं जिससे वह राष्ट्र विरोधी तत्वों का दमन करने में सफल हो सके । मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई किसी क्षेत्र में काम करता है तो समय के बढ़ते हुये कदमों के साथ अगर उसका प्रशिक्षण नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से सफल नहीं होगा । और विकास की दौड़ में पीछे रह जायेगा ।

इस सरकार ने पहली बार प्रशिक्षण विभाग, लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिये सुनिश्चित किया है । मैं आशा करता हूं कि इसके सुपरिणाम बहुत शीघ्र प्रदेश के सामने आयेंगे । मैं यह भी मानकर चलता हूं कि हम में से कोई कितना बुद्धिमान और अनुभवी क्यों न हो जब तक हम अन्तिम श्वांस नहीं ले लेते

शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी रहती है, बस सीखने की ललक होनी चाहिये । मान्यवर, प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिये, प्रशासन में जवाबदेही होनी चाहिये और हमने इसलिये नागरिक अधिकार-पत्र के बारे में विचार किया । उसको हम ठोस स्वरूप देना चाहते हैं । मैंने अपनी वार्ता के दौरान कहा कि देश की जनता देश की स्वामी है, उसका अधिकार है । मालिक का अधिकार है, और लोकतंत्र में लोक बड़ा है और तंत्र छोटा है । यही लोकतंत्र का अभिप्राय है । मैं नागरिक अधिकार तंत्र पर बल देता हूं कि यह अधिकार नागरिकों को दिया जायेगा, कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें मिलनी चाहिये ।

एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम इस सरकार के द्वारा इस सन्दर्भ में उठाया गया है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वर्षों से परम्परा चली आ रही है उस परम्परा को ठीक ढंग से निभाने का काम कर रहे हैं । जनता से सीधे मिलना, जनता की कठिनाईयों को सुनना, उनका निराकरण तत्काल करना, जो तत्काल नहीं हो सकता है, ज्ञापन लेकर उन समस्याओं को समयबद्ध कर निस्तारण करना । यह तो शासन स्तर की बात हुई । प्रशासन के स्तर पर प्रत्येक कार्यदिवस में 10-12 बजे प्रातः जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को बैठना पड़ेगा और जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा । भ्रष्टाचार के संदर्भ में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं यह सत्य है कि इस देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो कदाचार और भ्रष्टाचार ने किया है । दुःख की बात यह है कि जब उधर के लोग इधर बैठते हैं और इधर के लोग उधर बैठते हैं तो भ्रष्टाचार के आक्षेप बराबर एक-दूसरे पर होते रहते हैं । मगर क्या कभी गम्भीरतापूर्वक इस बात का प्रयत्न किया गया कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं और उसका निवारण कैसे होना चाहिये । इस सरकार ने उसके निवारण के संदर्भ में भी पहली बार गम्भीरता से विचार किया है ; हमने यह तय किया है कि अगर किसी लोक सेवक के पास अपेक्षा से अधिक परिसम्पत्ति है, जितनी उसकी आमदनी है उससे ज्यादा है तो उसकी परिसम्पत्ति कुर्क की जानी चाहिये । जनता के सामने उसका भ्रष्टाचार सामने आना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि यह कठोर कदम शीघ्र ही यह सरकार उठायेगी और प्रतिपक्ष भी देखेगा और इस प्रदेश की जनता भी देखेगी ।

श्री बाबूराम यादव–

मंत्रियों ने तो सम्पत्ति का ब्यौरा दिया नहीं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय बाबू राम जी के संदर्भ में केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि बेचारे बाबू हैं और राम के भरोसे हैं । यह मुस्कराते रहते हैं और इनका कोई विरोध कर ही नहीं सकता ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

हम लोग तो राम भरोसे हैं लेकिन आप लोग तो राम विरोधी हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं श्री रामतेज जी के तेज से प्रभावित हो जाता हूं मगर इनका तेज इसी सदन में रहता है, घर जाकर कम हो जाता है ।

मान्यवर, राजस्व के बारे में, प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में चिन्ता प्रकट की गयी है सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिपक्ष की ओर से भी और यह बिल्कुल ठीक है मैंने प्रवेश कर विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा था कि करों का एकत्रीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है इस सच्चाई को मंत्री जी ने भी स्वीकार किया जब तक करों का एकत्रीकरण ठीक से नहीं होगा जनता के खजाने में आने वाला पैसा अधिकारियों बिचौलियों और दलालों की जेब में चला जाएगा तो यह कठिनाई बनी रहेगी इसलिये व्यापक वित्तीय सुधार के लिये इस सरकार ने अनुत्पादक व्यय में कमी करने का निर्णय लिया है । राजस्व कैसे अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से एकत्र किया जा सके इसके लिये व्यवहारिक कदम उठाये जा रहे हैं ।

जब हरीश जी ने वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला था यह मैं बिना किसी पूर्वाग्रह और संकोच के कह रहा हूं तब की स्थिति में और आज की स्थिति में काफी अन्तर पड़ा है । जिन लोगों ने खजाने

खाली कर दिये थे जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि करों का एकत्रीकरण नहीं हो सका एवं जो लोग पांच-पांच बीघे के मालिक थे वह भ्रष्टाचार द्वारा हजार करोड़ के स्वामी हो गये, बड़ी बड़ी पार्टियां चला रहे हैं एवं बड़े बड़े पदों पर जिन लोगों ने अपने गुर्गे बिठा रखे हैं जिनके द्वारा वह नम्बर दो की कमाई एकत्र करते रहे हैं उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिये । मैं अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि वह बजट भाषण ठीक से पढ़ें एवं देखें कि मंत्री जी ने किस तरह से अनुत्पादक व्ययों में कटौती की एवं राजस्व को किस तरह से बढ़ाने का काम किया । मा० मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में वह दिन जल्दी आएगा कि हमें यह कहने का मौका मिलेगा कि आपने जो खजाना खाली छोड़ा था उसको हमने फिर भर दिया । जिन विकास कार्यों को आपने छोड़ दिया था हमने उनको पुनः प्रारम्भ कर दिया । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जनता द्वारा ऐसे डकैतों को पुनः सरकार में न भेजे ।

श्री रामतेज यादव.एडवोकेट–

इसमें डाक्टर साहब का नम्बर लगा दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

रामतेज जी बहुत ही सदाचारी पुरुष हैं कभी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीयकरण करने से इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है काम यहां की जनता के विकास का और निर्णय दिल्ली में लिया जाता था । यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत अनुभवी और विद्वान व्यक्ति मौजूद हैं और नेता सदन भी उतने ही विद्वान हैं इससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और सदन दोनों को लाभ मिलेगा । मान्यवर, गांव की योजना राजधानी लखनऊ में बनेगी तो उन्हें मालूम नहीं होगा कि क्या काम होने जा रहा है । मान्यवर, पंचायत राज अधिनियम बिना बहस के यहां पास करा दिया गया था उनकी सरकार के समय में । तो जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात और जनता को पावर देने की बात वे करते हैं लेकिन उनका आचरण कैसा था कि पंचायत राज अधिनियम को चुटकी बजाते पास करा लिया था । वहीं इस सरकार ने पंचायत राज के महत्व को समझते हुए यहां बिन्दुवार चर्चा करायी और आज वह प्रयोगात्मक स्थिति में है । मान्यवर, जब मैं पंचायत राज में विचार रख रहा था तो कहा था कि यह प्रयोग है, हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं इसलिये इसका विरोध न करें और जो व्यवहारिक विसंगतियां होंगी उनको दूर किया जाएगा और इस दिशा में जो कदम उठाया गया है वह प्रशंसा के योग्य है । जनता के हाथ में शक्ति जानी चाहिये । वर्ष 1999-2000 में 8 विभागों के कर्मियों को पंचायत राज विभाग को दे दिया गया है और गांवों के विकास के निर्णय का अधिकार उन्हें दे दिया गया है ।

मान्यवर, सहकारिता एक महत्वपूर्ण आन्दोलन है । हमारी सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि सहकारी संस्थाओं में 12 हजार पद जो रिक्त थे उनका सफलतापूर्वक निर्वाचन कराकर चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथों में इन सहकारी संस्थाओं को दे दिया गया है ।

मान्यवर, अब मै विद्युत परिषद् के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कितना घाटा हो चुका था कि किस प्रकार से जिलों जिलों में जो परिस्थितियां डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थीं, वे किसी से छिपी नहीं है और लगता था कि हाथी के रूप में विद्युत परिषद् जो थी वह अपने बोझ से गिर जायेगी लेकिन इस सरकार ने सारे विरोधों का सामना करते हुए प्रदेश के हित में राज्य विद्युत परिषद् को भंग करके विद्युत नियामक आयोग बनाया और तीन अलग-अलग निगमों में विद्युत परिषद् का गठन किया गया । इस प्रकार यह सफेद हाथी रूपी विद्युत परिषद् जिसको अधिक दिनों तक ढोया नहीं जा सकता था, प्रतिपक्ष की हम प्रशंसा करते हैं कि उसने उदण्ड हड़तालियों को सहयोग नहीं दिया जिससे उनको अपनी हड़ताल समाप्त करना पड़ा और प्रदेश के व्यापक हित में जो निर्णय लिया गया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, 25 फरवरी, 2000 को इस सरकार ने एक और उपलब्धि अर्जित किया और एक समझौता ज्ञापन केन्द्र सरकार से किया जिससे निश्चित रूप से आर्थिक सहायता उस समझौते से मिलने वाली है ।

आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जो हमको चिन्ता है, उस चिन्ता को हमें चिन्तन तथा पुरुषार्थ में बदलना पड़ेगा। पहले यह किसी ने प्रयास नहीं किया कि केन्द्र सरकार के साथ बैठकर इस पर बात की जाय परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को तथा माननीय वित्त मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ बैठकर स्पष्ट वार्ता की और बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति यह है। अगर इसमें सहयोग नहीं मिला तो जनजीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है कि उन्होंने प्रदेश को एक आर्थिक पैकेज देने का आश्वासन दिया।

मान्यवर, इस सरकार ने 53 विभागों में नीतियां कैसी हों, क्योंकि शासन तो चलता है नीति, नियोजन और नीयत से और नीति उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। नीतियां जिस प्रकार से तय हो जाती है बिना विचार किये, उन्हीं के कारण कठिनाइयां पैदा होती हैं। 53 विभागों में कार्यकलाप पारदर्शी, उनका सरलीकरण और सर्वस्वीकार्य नीति निर्धारण हेतु प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह भी तथ्य है कि कृषि के क्षेत्र में, सम्भवतः माननीय सदस्यो को जानकारी होगी कि भारत के सकल उत्पादन का 20 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश पैदा करता है। परन्तु इस उत्पादन को एक ग्रहण लगा हुआ था। आज भी सारी जमीन सिंचित नहीं है और मौसम पर किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। आज भी ओलापात होने से खड़ी फसल नष्ट हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है और फसल नहीं होती है और ऐसे में किसान हाथ मलकर रह जाता है और उसके घर में भुखमरी हो जाती है, इसलिए यह सरकार कृषि बीमा योजना को व्यावहारिक बनाने की चेष्टा कर रही है ताकि किसान प्राकृतिक आपदा से भुखमरी की स्थिति में न पहुंच जाय। वह अपने पैरों पर खड़े हो सके और अगली फसल के लिए उसे खाद, बीज, कीटनाशक मिल सकें और वह अपने काम को कर सके इसके लिए कृषि बीमा योजना को व्यावहारिक बनाने की चेष्टा हमारी सरकार कर रही है।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट व श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर व्यवधान)

श्रीमन्, शाक्य जी हमारे एक विद्वान सदस्य हैं उन्होंने एक बार सुअर की लाश को महिला की लाश बता दिया। अब मैं उनको क्या जवाब दूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य ने सुअर की लाश के बारे में कहा। मान्यवर, वह सुअर की लाश नहीं थी इस मामले में तो मुख्य मंत्री जी को एस०पी० का ट्रान्सफर करना पड़ा और अधिकारियों को दण्ड दिया गया। सदन को गुमराह किया गया। इसमें एस०एस०पी० का ट्रान्सफर हुआ और एस०ओ० को निलम्बित कर दण्डित किया गया। मैं इस सदन में कभी भी गलतबयानी नहीं करता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, शाक्य जी ने हमारा ज्ञानवर्धन किया। कृषि में नई प्रोद्योगिकी आयी, विभिन्न नई प्रजातियां बीज की आयी, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियां आ रही हैं। भूमि सुधार की नई-नई तकनीकी आ रही हैं। इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय खोला जाय और इसके लिए 400 करोड़ का प्रस्ताव किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है पश्चिम के किसानों के लिए। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए और उनके बच्चों के लिए यह सुविधा है। किसानों के बच्चे इसमें जायं और नई प्रौद्योगिकी सीखें, नये बीजों के बारे में जानकारी करें, सिंचाई के नये-नये साधनों के बारे में जानकारी करें। आज इजरायल जैसे छोटे-छोटे देश जहां सिंचाई ड्रिप सिस्टम

से की जाती है क्योंकि वहां पानी की कमी है । वहां जमीन कम है और उत्पादन ज्यादा हो रहा है । यह एक बहुत अच्छा कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है ।

श्री अधिष्ठाता–

गागर में पूरा सागर भरने में कितना समय और लगेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं केवल दो तीन विन्दुओं की चर्चा करूंगा । सामान्य रूप से आधे घन्टे का समय देते हैं । पांच मिनट तो राम तेज जी के तेज में और बाकी कुछ राम औतार जी के औतार के साथ चले गये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहले सिंचाई के रोस्टर बनाते थे इंजीनियर कार्यालय में बैठकर । अभी मैं आन्ध्र प्रदेश गया था वहां मैंने देखा कि वहां के किसान क्षेत्र का रोस्टर स्वयं बनाते हैं । कहां सिंचाई होगी, किस क्षेत्र में किस दिन होगी, कब तक चलेगी किसान स्वयं तय करते हैं । जनता को उसके अधिकार, उसके हाथों में दे दिये गये हैं । किसानों के बारे में इस तरह की बात सोचने वाला हिन्दी भाषी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पहला है । यहां भी वाटर यूजर एसोसियेशन बनाई जा रही है । हमारा प्रदेश गन्ना किसानों को सबसे अधिक मूल्य देने वाला दूसरा प्रदेश है । अगैती किस्म के लिये 90 रु० तथा अन्य प्रजाति के लिये 85 रु० प्रति क्विंटल ।

इस प्रकार से इस वर्ष गन्ना उत्पादक किसानों के घर 225 करोड़ रु० अधिक पहुंचेगा । कर के क्षेत्र में विभिन्न करों को लगाये बिना काम नहीं चलेगा । उत्पादन तो है लेकिन दुकान नहीं, उत्पादन तो है मगर परिवहन के साधन नहीं हैं ।

वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 700करोड़ रुपये के इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने वार्ता की है और यह निर्णय लिया है कि उससे ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बनायेंगे । हाट पैंठ बनायेंगे । दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग जो गांव के किसानों से जुड़े उद्योग व्यवसाय हैं उसमें इस धन का उपयोग करेंगे । ग्रामीण क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में निर्धनता की रेखा से नीचे 22 लाख परिवारों को ऊंचा करेंगे और कोशिश करेंगे इसके माध्यम से उनकी आय 2000 रुपये प्रतिमाह हो जाय । इस वर्ष 1 लाख 90 हजार इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया । इन्दिरा आवास के निर्माण के अलावा इस बात की भी चिन्ता की है कि प्रदेश का वानकीकरण ठीक हो । यह प्राविधान किया गया है कि अपनी जमीन पर किसान पेड़ लगायेगा तो 50 प्रतिशत पर उसका अधिकार होगा । पहले वह पेड़ लगा सकता था लेकिन उनको काट नहीं सकता था । अब 50 प्रतिशत काटने का अधिकार उसको दे रहे हैं । इस तरह से उद्यानीकरण होगा तो पर्यावरण भी सुधरेगा और प्रदेश हरा भरा प्रदेश होगा । औद्योगिक विकास के लिये 100 करोड़ रुपये के इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेप करने की योजना हमारी है । दो तीन बातें कहकर समाप्त करूंगा ।

मान्यवर, किसी भी प्रदेश के गांव अगर सम्पर्क मार्ग से जुड़े नहीं हैं तो निश्चित रूप से उस प्रदेश में प्रगति के पांव नहीं पड़ेंगे । मान्यवर, 3,300 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का कीर्तिमान है । श्रीमन् 1000 किलोमीटर लम्बाई में नहर पटरियां पक्की हुई । 200 करोड़ रुपये से सड़क निधि की स्थापना अनुरक्षण हेतु की गई है । ताकि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकें । नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का कार्य विचाराधीन है ।

श्री राम औतार शाक्य-

यह गड्ढामुक्त सड़कों की बात कर रहे हैं गडढों के कारण सड़क पर निकलना मुश्किल है दारुलशफा से विधान सभा आते हैं तो रास्ते में इतना पानी भरा है कि निकलना मुश्किल है बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसी तरह मान्यवर, जहां पर सड़क मार्ग हैं पहली बार जल परिवहन की व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद से कलकत्ता तक राष्ट्रीय जलमार्ग की योजना चालू की जा रही है। मान्यवर, यदि चर्चा करते समय लखनऊ के बारे में चर्चा न की जाए विधान सभा में, तो यह उचित न होगा। लखनऊ आज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। हमारा निर्णय है कि इसको "माल परिवहन स्टेशन" बनाकर पूरे प्रदेश के व्यापारियों को यह सुविधा उपलब्ध करायें कि वह दिल्ली और कलकत्ता से ही निर्यात न करके लखनऊ से भी निर्यात करें इससे प्रदेश का हित होने वाला है।

एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है जो पूर्ववर्ती सरकार ने मछुआरों का हक छीन लिया था छोटे खनेन का काम जलाशयों में मछली पालने और ठेके लेने का काम जो छीना जा रहा था उसमें मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इसमें अब पिछड़े वर्ग गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी पहले मछुवारों और निषादों को ठेके मिलेंगे माफिया नहीं आ सकेंगे इसके विरोध में अगर कोई माननीय सदस्य खड़ा होता है तो मैं समझूंगा। उस वर्ग से मिले हुए हैं। बुनकरों के लिए "प्रोजेक्ट पैकेज योजना " "हथकरघा विकास केन्द्र योजना " " सामूहिक बीमा योजना " प्रिप्ट फण्ड योजना महिलाओं के लिए जो बुनकर महिला हैं उनके लिए "राज राजेश्वरी महिला बुनकर बीमा योजना " चालू की है। अन्य बिन्दुओं पर अब मुझे आपके विचार सुनने के बाद कहने का अवसर मिलेगा।

"हरि अनंत, हरि कथा अनंता" प्रदेश सरकार ने जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा हैं। इस सरकार ने कृषि से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य हर प्रकार की चिन्ता की है। जनजीवन का कोई पक्ष अछूता नहीं छोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण 23 मार्च, 2000 को दिया था यह सदन उस अभिभाषण पर कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता है, मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय डा० डंग साहब बहुत योग्य आदमी हैं इनको अपने मंत्रि मंडल में ले लें यह बहुत दिनों से पैदल चल रहे हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, राम तेज जी इधर आ जायें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लूंगा कि एक दाढ़ी वाले को छोड़कर दूसरे दाढ़ी वाले को शामिल कर लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

* श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता जी, श्री राज्यपाल द्वारा 23 मार्च को दिये गये अभिभाषण पर डा० सरजीत सिंह डंग ने जो धन्यवाद ज्ञापित किया है कि मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चाहे कोई भी सरकार हो उसकी स्वाभाविक रूप से चिन्ता शिक्षा, स्वास्थ्य इन सबके बारे में होती है। यह सरकार विशेष रुप से जो प्रदेश में सबसे गरीब हैं, पंडित दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुसार अन्त्योदय और विवेकानन्द जी के शब्दों में दीन ही मेरे परमेश्वर हैं और उनकी सेवा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही मेरी पूजा है इन सारे उद्देश्यों को लेकर जो गरीबी की रेखा से नीचे गांव में बसता है उसकी चिन्ता करके अपना कार्य कर रही है।

मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा नेता सदन को कि उन्होंने लोक सभा के चुनाव बड़ी ही निष्पक्षता और शांति के साथ करायें। चाहे परिणाम कुछ भी रहे हों। यह तो चलता ही रहता है। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने नीतिगत रूप से निर्णय लिये जाने के लिए, क्योंकि यदि न्याय देर से होता है तो वह न्याय नहीं होता है। मुकदमों की संख्या माननीय न्यायालय में बढ़ती जा रही है और इसके बारे में कानून व्यवस्था और विवेचना को अलग-अलग कर दिया है वह निर्णय लिया गया है यह बहुत ही स्वागत योग्य है। मान्यवर, हमें यह कहा जाता है कि हम दलित विरोधी हैं। मान्यवर, जब महामहिम जी का अभिभाषण प्रारम्भ हुआ तो यहां पर हंगामा हो रहा था उन्होंने बहुत प्रयत्न किया दो-तीन बार अपने अभिभाषण को पढ़ने का लेकिन माननीय विद्वान सदस्यों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ने दिया। शायद अनुसूचित जाति के होने के कारण से या किसी अन्य कारण से। लेकिन वे लोग कौन हैं और उनका क्या आचरण है। यह एक गौरवमयी सदन है। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि "मुझे विश्वास है कि आपके विचार विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा प्रमुख होगी और आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे।" मैं बधाई देना चाहता हूं नेता विपक्ष को और माननीय सदस्यों का जिन्होंने डा० डंग जी के भाषण को शान्तिपूर्वक सुना।

मान्यवर, प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति जर्जर हो रही थी, खजाना खाली हो रहा था, आपने कहा कि भरो हम फिर आ जायेंगे लेकिन डा० डंग साहब ने कहा कि जनता सावधान हो गयी है वह ऐसा अवसर नहीं आने देगी। मान्यवर, भ्रष्टाचार निवारण के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा या अन्य सेवा के जो अधिकारी हैं उनको कठोर निर्देश दिये गये हैं। उनको कठोर निर्णय लेने हैं और उन्होंने लिए भी हैं उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है। एक बात की और चर्चा इस सदन में बार-बार हुई। जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण पढ़ रहे थे तो उस समय कुछ विपक्ष के लोग बार-बार यह नारे लगा रहे थे कि धर्म स्थल विधेयक वापस लो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। वह यह चाह रहे होंगे कि अधर्म विधेयक लाओ। आखिरकार यह क्या है। मान्यवर, जिस तरह से यह विधेयक लाया गया। मान्यवर, उस पर चर्चा की बात स्वीकार हुई है।

मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार ने और राजस्थान सरकार ने पहले से कर रखी है। मध्य प्रदेश में 1984 में मध्य प्रदेश सार्वजनिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 1984 पारित है। जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पर, मन्दिर, गिरिजा या गुरुद्वारा हो, उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसमें यह भी है कि जिलाधिकारी आयुक्त के आदेश के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायालय में नहीं लाया जा सकता।

इसी तरह से पश्चिम बंगाल में धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 1985 पारित हुआ। जो मध्य प्रदेश में अधिनियम पारित हुआ उसमें धारा 4 क में है कि बिना अनुमति धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होगा, 4 ख में है कि प्राइवेट, पब्लिक भवन को सार्वजनिक धार्मिक स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता धारा 7 में है स्वयं की जानकारी अथवा अन्य के द्वारा जानकारी दिये जाने पर नोटिस देकर दोनों पक्षों को सुनेगा, न हटाने पर ध्वस्त करने के आदेश देगा उसका खर्च भू-राजस्व की तरह वसूली होगी। धारा 11 में है कि उनके आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

मान्यवर, राजस्थान में 46 वर्ष पूर्व 1954 में राजस्थान धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 1954 पारित किया गया उसकी धारा 6 क में है बिना जिलाधिकारी की अनुमति के निर्माण

नहीं होगा धारा 6 (ख) में है निजी सार्वजनिक भवन को धार्मिक भवन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है धारा 9 में है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/आयुक्त के आदेश पर न्यायालय में अपील नहीं होगी । मान्यवर, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्ती जगजाहिर है, जब वेस्ट बंगाल के आधार पर यहां पर विधेयक लाया गया है तो विरोध कर रहे हैं परन्तु वेस्ट बंगाल में विरोध नहीं कर रहे हैं उन्हें विरोध वहां पर करना चाहिए था । यह दोमुंही बातें नहीं चलेंगी

पश्चिम बंगाल धार्मिक भवन एवं स्थल विधेयक, 1985 की धारा 5(1) में है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण नहीं होगा, उसी में आगे है कि व्यक्ति/सार्वजनिक भवन को धार्मिक भवन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । यदि कोई निर्माण बिना अनुमति के किया जायेगा तो उसे ध्वस्त किया जा सकेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है क्या ?

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, यह सरकार प्रदेश में सौहार्द् का वातावरण चाहती है आई०एस०आई० की गतिविधियां किस प्रकार से प्रदेश में रुकें हमारा पहला कर्तव्य इस देश की सुरक्षा का है ।

[समय 5.00 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, हमारा पहला कर्तव्य इस प्रदेश की सुरक्षा के प्रति है । नैपाल की तरफ से चल रही गतिविधियां हम सबको मालूम हैं । यह राजनीतिक दलों का सवाल कहीं इस प्रदेश को बर्बाद न कर दे इस चिन्ता में हम सब समान रूप से सहभागी होंगे । मैं चाहता हूं कि इस बात को आप सब लोग बहुत गम्भीरता से जब चर्चा करें तो इसको जरूर देखें । जब भी महामहिम का अभिभाषण होता है तो विपक्ष की ओर से एक बात आती है कि बेरोजगारों के बारे में चिन्ता नहीं की है इसलिए 5 वर्षों में 22 लाख परिवारों को स्वरोजगार देने की योजना की गयी है ।

कृषि के बारे में अभिभाषण में स्पष्ट रूप से 20 प्रतिशत उत्पादन की बात कही गयी है । कृषि बीमा की बात आयी चाहे बरसात हो, चाहे वह जाड़ा हो जिस प्रकार से रात्रि में वह पानी देता है, पाला से ओला पत्थर पड़ने से फसल बर्बाद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह पहली बार फसल बीमा योजना लागू की गयी है यह स्वागत योग्य है । अभी तक यह शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत न्याय पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात थी तो न्याय पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय स्वागत योग्य है ।

मान्यवर, 50 वर्ष 53 वर्ष हो गये गांव सड़कों से जुड़े नहीं थे लेकिन पहली बार वास्तविक रूप से काम हो रहा है और 3300 ग्रामों को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है 1000 कि०मी० नहर पटरी पक्का करने का निर्णय लिया गया है और ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट बिजली बनाने का निर्णय लिया गया है । विशेष रूप से टेक्नालोजी पार्क लखनऊ, आगरा, नोएडा, देहरादून, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और गौतमबुद्धनगर को स्मार्टसिटी बनाने का निर्णय लिया गया है । 630 करोड़ की योजना स्वास्थ्य विकास व्यवस्था की है । मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जाटो को आरक्षण दिया गया । यह उनकी मांग काफी समय से चली आ रही थी, 285 करोड़ रुपये वृद्धा, विधवाओं और विकलांगों को दिये जाने, 526 करोड़ कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए, अल्संख्यकों को छात्रवृत्ति दुगुनी दर पर करने, शिया-सुन्नी वक्फ बोर्डों का पहली बार चुनाव कराया गया और उनको सौंप दिया गया यह एक सराहनीय कार्य है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सबसे नीचे हैं उसकी चिन्ता करें, सकारात्मक

चिन्तन हम लोग करें केवल विरोध के लिए विरोध न करें। मैं यह चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपेक्षा करी है वह होना चाहिए। मै भारत सरकार के प्रधान मंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन के आने के कारण... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मेहरा जी, उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात कहें।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें जो भी संशोधन का प्रस्ताव दिया है उसको वापस ले लें और हम सब मिलकर इसको पारित करें।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, जनपद बहराइच में पिछले 2 महीनों से सारे अधिवक्ता स्ट्राइक पर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आज केवल प्रस्ताव मूव कर दें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव जो हमारे डंग साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उसमें संशोधन के रूप में निम्न बातें रख रहा हूं। प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की निम्नलिखित ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु कोई प्रभावी योजना के बारे में नहीं कहा है :–

1—प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किए जाने हेतु किसी प्रभावी रूपरेखा की घोषणा नहीं की गयी है,

2–प्रदेश के अवरुद्ध विकास को पुनः चालू करने की प्रभावी घोषणा नहीं की गयी है.

3–कृषि नीति की घोषणा नहीं की गयी है,

4–बेरोजगारों को रोजगार देने और रोजगार न दे पाने पर रोजगार भत्ता देने की घोषणा नहीं की गयी है,

5–औद्योगिक विकास के लिए किसी प्रभावी रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया गया है,

6–मण्डी समिति और ऊसर भूमि सुधार द्वारा बनाई गयी सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कोई घोषणा नहीं की गयी है।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माने जाने की परम्परा नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

ठीक है मैं पूरा पढ़ देता हूं ।

7–प्रदेश की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को रोकने हेतु किसी कार्य योजना की घोषणा नहीं की गयी है,

8–नवसृजित जनपदों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु घोषणा नहीं की गयी है,

9–नवसृजित जनपदों के पत्रकारों को नियमानुसार पत्रकारिता की मान्यता देने की घोषणा नहीं की गयी है,

10–प्रदेश की बिहड़ी नदियों जैसे यमुना-चम्बल आदि के रिवाइंस को समतल करवाकर और सिंचाई साधनों से युक्त कराकर सदैव के लिए दस्यु समस्या के समाधान की घोषणा नहीं की गयी है,

11–भवन रहित राजकीय अस्पतालों के अधूरे बने भवन पूर्ण कराने एवं भवनहीन अस्पतालों के भवन बनवाकर डाक्टरों की नियुक्ति करने तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सीय सुविधा दिलाने की घोषणा नहीं की गयी है,

12–खानाबदोश बेघर और झुग्गी-झोपड़ी में तथा टूटे-फूटे कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए गृह निर्माण कराए जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

13–गरीबी उन्मूलन की प्रभावी घोषणा नहीं की गयी है,

14–प्रदेश में शत-प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाए जाने की प्रभावी घोषणा नहीं की गयी है,

15–बाढ़, वर्षा और आग आदि दैवीय आपदाओं में धन-जन की हानि पर पर्याप्त और अविलम्ब सहायता देने की घोषणा नहीं की गयी है,

16–बेसहारा, वृद्ध तथा विकलांग और विधवाओं को अनिवार्य रूप से अविलम्ब पेंशन देने की घोषणा नहीं की गयी है,

17–प्रदेश के खानाबदोश लोगों को बसाकर और उन्हें रोजगार दिलाकर उनके और उनके बच्चों के उज्जवल भावी जीवन बनाए जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

18–चकबन्दी प्रक्रिया समयबद्ध कराए जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

19–समान शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की गयी है,

20–हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने की घोषणा नहीं की गयी है,

21–आलू किसानों की बरबादी रोकने हेतु आलू को 300/–रुपये कुन्तल समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा नहीं की गयी है,

22–यूरिया की बढ़ी हुई दरों को प्रदेश स्तर पर वापस लेने की घोषणा नहीं की गयी है,

23–स्थाई मान्यता प्राप्त असहायिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की घोषणा नहीं की गयी है,

24–सरकारी और अर्द्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने के दिन ही उनके प्राविडेन्ट फण्ड और अन्य देयों की धनराशि दिलवाए जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

25–धर्म-स्थल विधेयक को वापस लेने की घोषणा नहीं की गयी है,

26–ग्राम पंचायतों आदि के चुनाव निर्धारित समय पर करवाए जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

27–प्रदेश के छात्रों से बढ़ी दरों पर शिक्षा शुल्क वसूलने का आदेश वापस लेने की घोषणा नहीं की गयी है,

28–यूरिया और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 750/–रुपया और धान का समर्थन मूल्य 600/–रुपया तथा इसी अनुपात में अन्य खाद्यानों और तिलहन तथा दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं की गयी है,

29–प्रदेश के हर गांव में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने हेतु किसी प्रभावी कार्ययोजना की घोषणा नहीं की गयी है,

30–पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच, जो अंग्रेजी शासनकाल से पुलिस द्वारा ही कराये जाने की प्रक्रिया है, उसको बदल कर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने की घोषणा नहीं की गयी है,

31–नहरों/रजबहों पर लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं, परन्तु उनमें नहरों से सिंचाई हेतु कुलाबों की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । नहर की पटरी के आखिरी किनारे तक कुलाबे रखवाकर पटरियों की कटान तथा मार्ग दुर्घटना रोकने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी है,

32–अधूरी सड़कों जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है अथवा मिट्टी और मोटी गिट्टी डाली जा चुकी है या मोटी गिट्टी डालकर डामरमुक्त गिट्टी सड़कों के किनारे लगा दी गयी है, उसे सड़कों पर डलवाकर डामरीकरण करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी है,

33–प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गयी है । किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है । कुटीर उद्योग भी विद्युत अभाव में अधिकांशतः बन्द हैं और जो बचे हैं वह भी बन्द होने की कगार पर हैं जिसके सुधार हेतु कोई घोषणा नहीं की गयी है,

34–घाटे में चल रहे निगमों को बेचने अथवा समाप्त करने की सरकार बार-बार घोषणा कर रही है परन्तु उनकी प्रशासनिक कमियों को दूर करके संचालित करने की घोषणा नहीं की गयी है,

35–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई प्रभावी घोषणा नहीं की गयी है ।"

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी ने सबसे पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा बताकर सरकार की बड़ी प्रशंसा की । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि कल इस पर विस्तार से अपने विचार रखूं । इसको जारी रखा जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको जारी रखा जाए । अन्य माननीय सदस्यों के जो संशोधन हैं वे प्रस्तुत माने जायेंगे । अब मैं मद सं०–17 ले रहा हूं ।

जनपद बहराइच को दो हिस्सों में विभाजित किये जाने के कारण अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह व अन्य सदस्यगण द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

* डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बहराइच जनपद में अधिवक्ता पिछले 2 महीने से हड़ताल पर हैं। बहराइच जनपद को दो हिस्सों में उसकी भौगोलिक स्थिति और राजस्व की नीतियों के विपरीत बांट दिया गया है। उस समय के मुख्य मंत्री ने उसे दो भागों में बांट दिया। आज स्थिति यह है कि बहराइच से भिनगा जाने के लिए 104 कि०मी० जाना पड़ता है। बहराइच पहले बीच में स्थित था और सारी तहसीलों से उसकी दूरी बराबर थी। आज भिनगा जो मुख्यालय बनाया गया है, वहां न अस्पताल है, न अधिकारियों के रहने की व्यवस्था है। जेलों में लोग बन्द हैं और वकीलों की हड़ताल से उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। यह स्थिति आ गयी है कि वहां पर व्यापारी, वकील, छात्र भी स्ट्राइक में शामिल हो गये हैं। बाजार बन्द हो चुके हैं बड़ी विषम स्थिति हो गयी है । मेरी मांग है कि अविलम्ब श्रावस्ती जिले को खत्म किया जाय और अधिसूचना को रद्द किया जाय। अब तक लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। वहां के वादकारी परेशान है। शासन ने, 8 तारीख को सारे विधायकों की राजस्व मंत्री जी ने मीटिंग बुलायी थी पर पता नहीं क्यों डेट कैंसिल कर दी गयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी श्रावस्ती जिले को खत्म किया जाय।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने जो इस विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। 1997 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने ऐसा निर्णय लिया जो विवेकपूर्ण नहीं था। जनपद बहराइच के 7 ब्लाकों को मिलाकर एक नया जिला बना दिया गया। वहां पर 19 ब्लाक थे। अब नया जिला बनने से भिनगा जाने में 104 कि०मी० कचेहरी के लिये जाना पड़ता है। पहले 25 कि०मी० चलकर बहराइच मुख्यालय पर पहुंच जाया करते थे। जबसे यह नया जिला बना है तबसे लगातार व्यापारी, वकील, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बहराइच अधिवक्ता संघ ने नोटिस देकर 9 फरवरी को हड़ताल किया। सरकार कहती है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है लेकिन वादकारियों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। वहां डेढ़ हजार मुलजिम बन्द हैं जबकि 300 के बन्द करने की जगह है। इसलिए बीमारियां फैल रही हैं। महसी, कैसरगंज, पयागपुर, बहराइच चारों अधिवक्ता संघों ने हड़ताल कर रखी है।

भारतीय जनता पार्टी के इकैना के भाई अक्षयवर लाल विधायक ने मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया है कि श्रावस्ती जिले को खत्म किया जाय। कमलेश कुमारी पाण्डे जो पयागपुर की ब्लाक प्रमुख हैं उन्होंने लिखकर दिया है कि श्रावस्ती जनपद की अधिसूचना को रद्द किया जाना चाहिये। दिनेश कुमार खरे जो ब्लाक प्रमुख हैं उन्होंने भी श्रावस्ती जिले को खत्म करने की मांग की है। 5 ब्लाक प्रमुखों ने और एक विधायक तथा आपके जो सांसद हैं उन्होंने लिखकर दिया है कि श्रावस्ती जिले की अधिसूचना रद्द होनी चाहिये। वहां पर आंदोलन धरना, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस अननेचुरल डिवीजन, अप्राकृतिक बंटवारे के खिलाफ लोगों में रोष है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वकीलों के सम्बन्ध में एक अध्यादेश आया है कि उनको नये सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वकीलों को जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इससे भी वकीलों की हड़ताल हो रही है। मान्यवर, इतना ही नहीं यहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तक कर दिया गया कि वकील को अपना ही प्रमाण पत्र लेने के लिए जिलाधिकारी के सामने खड़ा होना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

इसका जिले के विभाजन से क्या मतलब ?

श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"-

उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिल्ली मे भी अधिवक्ताओं की हड़ताल हो गयी। मैं आपको अपने जनपद के बारे में बताना चाहता हूं कि श्रावस्ती जनपद की अधिसूचना रद्द होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एम०पी०, एम० एल०ए० और उनके ब्लाक प्रमुख सभी चाहते हैं कि अधिसूचना रद्द हो। इस पर राजस्व मंत्री जी ने 8-2-2000 को बैठक बुलायी, हम लोगों को सूचना भी गयी लेकिन बिना कोई कारण बताये हुए बैठक भी रद्द कर दी। यह अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आधे घण्टे की चर्चा में 10 माननीय सदस्यों के नाम हैं। हमारे पास 3 मिनट से ज्यादा समय एक सदस्य के लिए नहीं है। अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री दिलीप कुमार जी अपनी बात कहें।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"-

मान्यवर, हमारे जनपद में विगत दो माह से अधिवक्ता भाई हड़ताल पर हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और न्याय मंत्री जी को चाहिए कि वह वहां जायं और वहां आन्दोलनरत अधिवक्ताओं से समझौता करवानी चाहिए क्योंकि हड़ताल बेमतलब की चल रही है।

*श्री दिलीप कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी , बहराइच को गलत ढंग से दो जिलों में बांट दिया गया इसके लिए वकीलों की दो माह से हड़ताल चल रही है। छोटी-छोटी धाराओं में इतनी संख्या में लोग जेल में बन्द हैं कि वहां बन्दियों के बैठने-उठने तक की जगह नहीं रह गयी है। पक्ष- विपक्ष के सारे लोग इस हड़ताल में शरीक हैं, सभी का समर्थन है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे दुःख की बात है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने का समय दिया था लेकिन समय देने के बाद पता नहीं क्यों बैठक नहीं की। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो हड़ताल चल रही है उसको समाप्त करायें और श्रावस्ती जनपद की अधिसूचना रद्द कराने की कृपा करें।

* श्री शब्बीर अहमद-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जनपद बहराइच जिसको दो भागों में विभाजित किया गया। उसमें 19 ब्लाक थे और 7 ब्लाकों को अलग कर एक जनपद वर्ष 1997 में पूर्व मुख्य मंत्री जी के द्वारा बनाया गया। इस जनपद के बनाये जाने से वहां की सारी व्यवस्थायें चरमरा गयी हैं। जनपद की समाप्ति के लिए छात्र आन्दोलनरत हुए, जनता ने आन्दोलन किया, अधिवक्ताओं ने आन्दोलन किया और अधिवक्ताओं का आन्दोलन आज भी जारी है। इससे पहले इस सदन में श्रावस्ती जनपद के विरोध में प्रश्न हुआ था। यहां भी माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि और समस्त उत्तर प्रदेश के लिए यह कहा गया कि जो भी गलत तरीके से बगैर भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले बनाये गये हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर समाप्त कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

देंगे । समिति भी बनायी गयी । जहां तक मुझे जानकारी है जनपद श्रावस्ती के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो चुकी है । उस समय भी जांच समिति जो बनाई गई थी उसमें यह बताया गया कि जिला बनने का कोई औचित्य नहीं था ।

जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा है मेरा विधान सभा क्षेत्र चरदा है यहां के निवासियों को भखला राप्ती नदी से घिरे होने के कारण मुख्यालय तक जाने में परेशानी होती है । यहां के निवासियों को 50 कि०मी० दूर बहराइच आकर 55 कि०मी० भिनगा मुख्यालय पर पहुंचना पड़ता है जहां जाने के लिए भखला और राप्ती नदियों पर कोई पुल नहीं है अच्छे रास्तों की व्यवस्था नहीं है । जब लोग लौट कर आते हैं तहसील मुख्यालय जाने के लिए जंगल सुहेलवा में कई बार लोग लूट लिए जाते हैं, प्रताड़ित किये जाते हैं । मुख्यालय पर कहीं कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बस अड्डा नहीं है, यात्रियों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है जिससे परेशानी होती है । ठहरने की कोई व्यवस्था न होने के कारण जनता सड़कों पर लेटती है जिससे पुलिस वाले उनको पकड़कर ले जाते हैं एवं डण्डा मारकर थानों में बन्द कर देते हैं जिससे प्रधानों या हम लोगों के बताने पर वह थानों से छोड़े जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री शब्बीर अहमद-

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस जनपद को समाप्त करें । जनपद श्रावस्ती करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री सौलत अली, एडवोकेट-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त लोकमहत्व के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । बहराइच जनपद के थोड़े से भाग को काटकर जनपद श्रावस्ती बनाया गया उसको लेकर वहां की जनता को यह परेशानी आ रही है । वादकारियों को 100-100.125 कि०मी० दूर चलकर जाना पड़ता है । इसी मुद्दे को लेकर वहां के अधिवक्ताओं की दो महीने से हड़ताल चल रही है वैसे तो पूरे प्रदेश में यह हड़ताल चल रही है । इसी सूचना में अधिवक्ता अधिनियम का भी हवाला दिया गया है जो केन्द्र में लाया गया है। कुल मिलाकर यह समस्या पैदा हो गयी है कि दो महीने से हड़ताल होने के कारण जेलों की कैपीसिटी से पांच से दस गुना लोग वहां रखे गये हैं जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं और प्रदेश को बहुत बड़ी राजस्व की हानि हो रही है जिस तरह से अधिवक्ता अधिनियम में दर्शाया गया है कि वकीलों को हर पांच साल के बाद नया टेस्ट देना पड़ेगा उस टेस्ट के आधार पर उनका रिन्यूअल होगा मैं यह कहना चाहता हूं कि वकील की सीनियारिटी ही उसका टेस्ट है, उसकी काबिलियत का सबूत है हर देश के वादकारी होते हैं, देश की ही अधिवक्ता होते हैं उस अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि विदेश से वकील आया करेंगे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय तक ही अपने को सीमित रखें । विषय विभाजन के कारण अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री सौलत अली, एडवोकेट–

जिस तरह से यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के मुदकमों की देशी वकील देशी भाषा के बजाय, विदेशों से वकील आया करेंगे और विदेशी वकील वह पैरवी करेंगे । वादकारी देशी होंगे । वकील विदेशी

भाषा विदेशी होगी इन सारे मुद्दों को लेकर दो महीने से हड़ताल चल रही है। इससे भारी राजस्व की हानि हो रही है। किस तरह की अव्यवस्था जेलों में हो रही है, गरीब जनता का उत्पीड़न हो रहा है, झूठे चालान पुलिस कर रही है इन सब बातों को देखते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, किसी भी क्षेत्र और प्रदेश के विकास के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयां महत्वपूर्ण होती हैं। दुनिया के नक्शे पर श्रावस्ती का एक महत्वमूर्ण स्थान है और उसके द्वारा इस प्रदेश के पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। गौतमबुद्ध ने जहां से दीक्षा देने का काम शुरू किया था उस श्रावस्ती को भूतपूर्व मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने उसे जिला बनाया था जिसके लिए मैं उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इस श्रावस्ती जिले के विभाजन का विरोध केवल इसलिए किया जा रहा है कि वहां के वकीलों की आय घट गयी है क्योंकि उन्होंने इसको आधार बनाकर जिनकी वहां मोनोपली थी वे आन्दोलन कर रहे हैं जब कि भिनगा से बहराइच दूर है। भिनगा को मुख्यालय बनाया गया था, उस क्षेत्र के विकास के लिए इस श्रावस्ती जिले का महत्व अधिक है। श्रावस्ती में पर्यटन से विकास हो रहा है क्योंकि वहां पर्यटक आते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए श्रावस्ती जिले का गठन किया गया था। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य किया गया था लेकिन चन्द स्वार्थी लोगों की आय घट गयी थी इसलिए वे लोग आन्दोलन चला रहे हैं और वे निन्दा के पात्र हैं जिनकी मैं भर्त्सना करता हूं। हमें दुःख होता है कि कुछ साथी उनकी वकालत करते हैं जबकि श्रावस्ती महत्वपूर्ण केन्द्र है इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता हूं कि श्रावस्ती जिले को बनाये रखना देश और प्रदेश के लिए विशेष रूप से पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शब्बीर अहमद–

मान्यवर, जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा गया है (व्यवधान) और श्रावस्ती जिले का गठन कर दिया गया जिसे मैं चाहता हूं कि समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपके विचार पहले ही आ गये हैं इसलिए आप् बैठ जायं।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, जनपद बहराइच और श्रावस्ती से आठ एम०एल०ए० हैं जिसमें सात ने लिख कर दिया है कि श्रावस्ती समाप्त होना चाहिए। इसी प्रकार वहां से दो सांसद हैं एक भारतीय जनता पार्टी के और एक समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने लिखकर दिया है कि श्रावस्ती जिला समाप्त होना चाहिए। पांच प्रमुखों ने लिखकर दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूआवा सईद जी ने लिखकर दिया है कि श्रावस्ती जनपद को खत्म होना चाहिए। 1997 में एक जनपद बनाने की लहर चल गई। जो आई०ए०एस० तथा पी०सी०एस० मिट्टी खा रहे थे, उनसे बहन मायावती जी ने पैसा लेकर जनपद बनाने शुरू कर दिये। वह श्रीमती जी भी हैं परन्तु लालजी वर्मा जी को क्या मालूम हो सकता है इनको पैसा नहीं मिला होगा। श्री अक्षयवर लाल जी ने भी पत्र लिखा है कि श्रावस्ती जनपद को खत्म होना चाहिए।

* श्री अक्षयवर लाल–

श्रीमन्, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बहराइच जनपद का विभाजन कर दिया जो नितान्त ही गैर जिम्मेदाराना है। किसी ने जनपद की मांग भी नहीं की थी और न ही कोई भौगोलिक कारण थे और न ही कोई राजनैतिक कारण थे। अनायास ही बहराइच जिले को बांट दिया गया। अब स्थिति यह है कि जिन्हें मात्र 20 किलोमीटर बहराइच आना पड़ता था अब उन्हें 80 कि०मी० जाना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है और धन का दुरुपयोग भी होता है, जिससे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा कि श्री रामतेज यादव जी ने बताया 7 प्रमुखों में से 5 ने लिखकर दिया है कि इसे समाप्त किया जाय। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी लिखकर दिया है। बार बार यह अनुरोध किया जाता है कि इस ज़िले को समाप्त किया जाय। अधिवक्तागण लगभग डेढ़ महीने से आन्दोलन पर हैं, इस पर भी गौर किया जाय। वहां पर जनता ने धरना, प्रदर्शन, रास्ता जाम सभी लोगों ने मिलकर किया है कि यह जेला बनाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करें कि इसे जिले को समाप्त किया जाय। सरकार के पास धन भी नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, प्रदेश की जनता को शीघ्र सुलभ व सही न्याय मिल सके, इस संबंध में जिलों व मण्डलों का सृजन किया गया था श्रावस्ती जनपद भी उनमें से एक है। 1997 में इसका सृजन किया गया था। सृजन होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने तथा अन्य संस्थाओं ने प्रत्यावेदन दिये कि इस जिले को समाप्त केया जाय। एक उप समिति का गठन किया गया। इस पर काफी विचार भी हुआ और यह भी निर्णय ले लिया गया कि इस जनपद का बना रहना आवश्यक है। इसके बाद फिर से प्रत्यावेदन आये और कुछ वेधायकों ने भी दिये हैं।

सीमा और मुख्यालय के बारे में 8 तारीख को बैठक बुलाई गई थी और सारे लोग आये थे। जैसा के श्री राम तीरथ जी ने कहा कि हम इसकी निन्दा करते हैं, उनको यह नहीं कहना चाहिए था। सरकार के बहुत सारे काम होते हैं और व्यवस्थायें होती हैं। सीमा और मुख्यालय के बारे में समाधान हो सके परन्तु वह बैठक निरस्त हो गई किन्हीं विशेष कारणों से। मंशा इसमें कहीं से भी खराब नहीं है। वैसे माननीय सदस्य जो, निन्दा कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जनता के हित में कार्य किया था। आज भी पुनः मामला विचाराधीन है।

मंत्रि परिषद् द्वारा निर्णय हो गया कि बनाया रखा जाय। जन प्रतिनिधि, ब्लाक प्रमुख और जनता कहती है तो उसकी भावनाओं पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बैठक भी बुलाई थी। इस सम्बन्ध में रिट याचिका भी चल रही है। जल्दी ही एक बैठक रखी जायेगी जिसमें यह तय किया जायेगा कि इस जनपद को रखा जाय या न रखा जाय। इस पर हम शीघ्र निर्णय करेंगे। अधिवक्ताओं की हड़ताल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वह हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है। इसका विधान सभा से कोई मतलब नहीं है। यह दिल्ली का विषय है वहां पर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में स्ट्राइक कर रहे हैं।

(व्यवधान)

बात सुनने की क्षमता रखिये। आप जब अपनी बात कहते हैं तो हम सुनते हैं। हमारी बात आप सुनिये। जब आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं एक शब्द नहीं बोलते हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल पूरे देश में चल रही हैं उस सम्बन्ध में केन्द्र से विचार विमर्श चल रहा है। जिले में भी जो आप कह रहे हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि स्थिति हड़ताल के कारण खराब है तो ऐसा नहीं है। छोटे मोटे जमानत के कार्य आदि हो रहे हैं। जनपद के सम्बन्ध में जो बात है उसके बारे में हम शीघ्र विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 9 फरवरी से लगातार बहराइच के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। नानपारा, कैसरगंज, मसीहगंज के 3 हजार वकील हैं। इसी बीच में आपका प्रोग्राम लगा था। लोगों ने समझा था राजस्व मंत्री आयेंगे कोई रिलीफ दे देंगे। देश की लड़ाई में वकील लगे हैं तो अगर यह गलत जिले का सृजन हुआ है तो वो सामने आयेंगे। मैंने बहुत साफ कहा है और उसके दल के श्री अक्षयवर जी ने कहा, एम०एल०सी० आपके तिवारी जी हैं, चौधरी साहब सांसद हैं। हम 5 एम०एल०ए० स०पा० के हैं। ब्लाक प्रमुख आपके दल के हैं सबका यही कहना है कि इसको खत्म किया जाना चाहिए लेकिन पता नहीं यह सरकार कहां से गूंगी बहरी हो गयी है। 9 फरवरी से हड़ताल चल रही है आप चाहें तो चुटकी बजाकर इसका हल निकाल लें। अधिवक्ता भी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी बात भी सुनें। माना कि हम लोग अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन क्षेत्रीय समस्यायें आयेंगी तो उसके लिये एक साथ मिलकर लड़ेंगे। आप लोगों ने नाहक एक जिला बना दिया। मैं चाहता हूं कि इसमें सख्त कदम उठायें। उस जिले की सूचना रद्द करायें। आप बात तो करिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। समय समाप्त हो गया है। मैं अगली मद पुकार रहा हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 30-3-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर वक्तव्य स्वीकार किया जाता है :–

1. श्रीमती कृष्णा राज
   श्री हीरा लाल गौतम
   श्री प्रदीप कुमार
   श्री उदय राज यादव
   श्री गोपाल कृष्ण
   श्री अब्दुल मन्नान
   श्री श्याम प्रकाश

   प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के कार्य-कलापों एवं अनियमित प्रशासकीय व्यवस्थाओं के संबंध में।

2. श्री प्रमोद कुमार
   श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी
   डा० अम्मार रिजवी
   श्री कौकब हमीद
   श्री जगदम्बिका पाल

   शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 के उपबन्धों का उल्लंघन कर चयन समिति के गठन तथा अनियमित नियुक्ति के संबंध में।

3. श्री अजय कुमार पोइया

   जनपद मथुरा में भांग के ठेके की नीलामी में की गयी अनियमितताओं तथा "हितकारी भांग का चूर्ण" की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री भगवती प्रसाद
   श्री राजाराम पाल

   प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निदान हेतु लागत के अनुसार आलू का समर्थन मूल्य निर्धारित करने एवं कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा मनमाने रेट निर्धारण के स्थान पर भण्डारण दर 60/–रुपया प्रति कुन्तल करने के संबंध में।

निम्नलिखित सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर केवल वक्तव्य स्वीकार किया जाता है :–

1–श्री लालजी वर्मा — जनपद अम्बेदकरनगर में थिरुआनाला की सफाई न किये जाने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2–डा० कौशल किशोर — जनपद लखीमपुर में ब्लाक लखीमपुर अन्तर्गत एस० आर० वाई० के धन के दुरुपयोग व नियमित खर्चों की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।

3–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — लोक निर्माण विभाग कानपुर नगर द्वारा चांदपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत लहुरीमऊ, अंसभारमऊ आदि ग्रामों के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

निम्नलिखित सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है :–

1–श्री संजय गर्ग — जनपद सहारनपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2–श्री कृष्णपाल सिंह — कानपुर नगर के कल्याणपुर थानान्तर्गत पुलिस अधिकारियों की ज्यादती के चलते सम्भ्रान्त परिवारों का उत्पीड़न तथा पनकी रोड स्थित आराजी सं० 360 व 359 पर साजिशन कब्जेदारी कराये जाने तथा फर्जी अपहरण अभियोग पंजीकृत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3–डा० पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में अभिया-सुरियावां मार्ग पर वरुणा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में ।

4–श्री अरिमर्दन सिंह — जनपद महोबा की नगर पंचायत कबरई द्वारा अवैध वसूली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

5–श्रीमती माया प्रसाद — जनपद लखीमपुर खीरी शहर में घनी आवादी के मध्य स्थित चोपड़ा स्टील इण्डस्ट्री द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण न किए जाने से जनसामान्य को हो रही कठिनाईयों के संबंध में ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :–

(1) डा० वकार अहमद शाह, श्री रामतेज यादव एडवोकेट एवं डा० कौशल किशोर, (2) श्री राम औतार शाक्य, (3) श्री हरदेव सिंह, (4) डा० लक्ष्मीकांत वाजपेयी, (5) श्री सुधाकर सिंह, (6) श्री श्याम देव राय चौधरी, (7) श्री रघुबर दयाल वर्मा, (8) श्री जगदीश नारायण राय एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र, (10) श्री राम चन्द्र यादव, (11) श्री छोटे लाल राजभर, (12) श्री रामवीर उपाध्याय ।

श्री शिवचरण द्विवेदी सदस्य विधान सभा को मनपर हमीरपुर पुलिस द्वारा उनकी मनगढ़न्त आपराधिक प्रकरण में फंसाये जाने व उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलाश पाल व अन्य सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्याय मंत्री का वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, दिनांक 3-3-2000 को समय 1.00 बजे रात थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर.....

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

पढ़ा हुआ माना जाए ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राधेश्याम गुप्त–

[के अन्तर्गत ग्राम भेड़ी के अन्तर्गत बेतवा नदी में मोरंग खदान के भूखण्ड के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में तनाव होने की सूचना पर पुलिस बल ग्राम भेड़ी में उक्त मोरंग खदान पर पहुंचा । दोनों पक्ष लाइसेन्सी व गैर लाइसेन्सी शस्त्र लिये थे । मौके पर दोनों पक्षों में तनाव व शांति भंग की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों के 34 व्यक्तियों को मौके पर धारा–151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था जिनमें से दो व्यक्ति के पास से अवैध शस्त्र बरामद होने के कारण उनके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट की कार्यवाही की गयी और यह दोनों व्यक्ति माननीय विधायक श्री शिवचरण प्रजापति के पक्ष के थे ।

प्रथम पक्ष के 15 व्यक्तियों में माननीय विधायक श्री शिवचरण प्रजापति हमीरपुर भी सम्मिलित थे । इनके पास भी लाइसेंसी रिवाल्वर व राइफल पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गये थे इनके साथ ही इनके पक्ष के अन्य व्यक्तियों के पास से पांच अन्य लाइसेंसी शस्त्र पुलिस कब्जे में लिए गये थे ।

दूसरे पक्ष के राजेश कुमार सचान आदि 19 नफर को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया था और इस द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों के पास से 15 लाइसेंसी शस्त्र पुलिस कब्जे में ले लिए गये ।

जिन 2 व्यक्तियों के पास अवैध शस्त्र बरामद होने के कारण शस्त्र अधिनियम की कार्यवाही की गयी, उनके अतिरिक्त शेष 22 शस्त्रों के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की गयी । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 21 शस्त्र लाइसेंस निलम्बित किये जा चुके हैं और एक शस्त्र का लाइसेंस पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है ।

उपरोक्त मौरंग खदान पर भूखण्ड के स्वामित्व को लेकर उत्पन्न तनाव की सूचना मिलने पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक हमीरपुर व अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंच गये थे । माननीय विधायक जी को कहीं रोका नहीं गया था और उन्हें ट्रक की आगे की सीट पर बैठा कर लाया गया था । इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था । यहां यह उल्लेखनीय है कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को माननीय विधायक सहित दिनांक 3 मार्च, 2000 को प्रातः 5.30 पर थाना जलालपुर में लाया गया था और उसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न उप जिला मजिस्ट्रेट राठ के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना कर दिया गया था । इस प्रकार सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को थाना जलालपुर में मात्र 5.30 घण्टे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रोका गया था । उप जिला मजिस्ट्रेट राठ द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2000 को ही माननीय विधायक श्री प्रजापति को जमानत पर रिहा किया गया ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय विधायक श्री प्रजापति के पक्ष के गिरफ्तार 15 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में दिनांक 8 फरवरी, 2000 को पंजीकृत मु०अ०सं०–9/2000

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अन्तर्गत धारा 395/397 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त भी थे । जिनमें 2 के पास अवैध शस्त्र बरामद हुए ।

यदि पुलिस द्वारा समय पर पहुंच कर उपरोक्त निरोधात्मक कार्यवाही न की गयी होती तो दोनों पक्षों के बीच कोई संगीन घटना घटित हो सकती थी । उपरोक्त घटना से क्षेत्रीय जनता में कोई भय व्याप्त नहीं हुआ बल्कि इस कार्यवाही की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 30 मार्च, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

०एस०यू०पी०–एल० 204 विधान सभा (392)–2001 813 (डी०पी०पी०) ।